



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092026-276550
CG-DL-E-28092026-276550

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948

No. 256]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

मामला सं.-एडी (एसएसआर)-11/2025

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32" के आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/18/2025-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क(पाटित वस्तुओं की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण और उन पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे 'पाटनरोधी नियमावली' अथवा 'नियमावली' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

1. एसआरएफ लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष चीन गणराज्य ("चीन जन.गण.") (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी)

घटक आर-32 (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध सामान" या "आर-32" भी कहा गया है) के आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. और जबकि, घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पादों के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना फा.सं. 7/18/2025-डीजीटीआर, दिनांक 24 सितंबर, 2025 द्वारा यह जांच करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की कि क्या उन शुल्कों की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है और क्या पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता है।

क. मामले की पृष्ठभूमि

3. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 06/33/2020-डीजीटीआर और मामला संख्या- एडी (ओआई) - 28/2020 दिनांक 28 सितंबर 2020 द्वारा शुरू की गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के अनुसरण में और विस्तृत जांच के बाद, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि संबद्ध देश से आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी। तदनुसार, दिनांक 23 सितंबर 2021 के अंतिम जांच परिणामों द्वारा, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 75/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 21 दिसंबर 2021 द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए।
4. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाए गए किसी भी पाटनरोधी शुल्क का, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता है, उन्हें लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, नियमावली के नियम 23 (1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

“किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत् पुष्टिकृत; तथा अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस जांच परिणाम पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।”

5. उपरोक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करने की आवश्यकता है, कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।
6. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में 23 सितंबर 2021 के अंतिम जांच परिणाम और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 75/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 21 दिसंबर 2021 के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

7. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

3.1 जांच की शुरुआत

- i. प्राधिकारी ने जांच शुरू करने से पहले भारत में संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान निर्णायक समीक्षा आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया।
- ii. आवेदन-पत्र की जांच करने पर प्राधिकारी को पाटन और परिणामस्वरूप क्षति होने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिला। अतः, नियम 6 के अनुसार, अधिसूचना फा.सं. 7/18/2025-डीजीटीआर दिनांक 24 सितंबर 2025 द्वारा प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही शुरू की।

3.2 जांच की अवधि और क्षति की अवधि

- iii. जांच की अवधि ("पीओआई") 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक मानी गई थी। क्षति की अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि शामिल करने के लिए निर्धारित की गई थी।

3.3 आयात आंकड़े

- iv. क्षति की अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के लिए महानिदेशालय सिस्टम और आंकड़ा प्रबंधन ("डीजी सिस्टम") से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को आंकड़ें प्राप्त हो गए हैं और उन्होंने लेनदेन की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर विश्वास किया है।

3.4 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

- v. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन-पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास, विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति साझा करके जांच की शुरुआत के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया।
- vi. नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध आयातों के ज्ञात निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने लिखित रूप में अनुरोध किया था, को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
- vii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह उनके देश में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को अधिसूचना और प्रश्नावली भेजें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

3.5 भारत में संबद्ध देश के विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों और प्रयोक्ताओं/आयातकों द्वारा सूचना और प्रतिभागिता

- viii. प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी:

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
क.	मेसर्स झेजियांग क्वोजो जक्सन फ्लोरीन केमिकल कंपनी लिमिटेड
ख.	मेसर्स झेजियांग सानमेई केमिकल इंड. क. लिमिटेड
ग.	मेसर्स ज़िबो फेइवान केमिकल कंपनी लिमिटेड
घ.	मेसर्स शेडोंग डोंगयु रासायनिक कंपनी लिमिटेड
ङ.	मेसर्स झेजियांग क्वहुआ फ्लोरो-केमिस्ट्री कं. लिमिटेड
च.	मेसर्स। फुजियान किंगलियू डोंगयिंग केमिकल इंड. कंपनी लिमिटेड
छ.	मेसर्स जियांगसू सनमेई केमिकल इण्ड कंपनी लिमिटेड
ज.	मेसर्स ताइक्सिंग मीलान न्यू मैटेरियल्स कं लिमिटेड
झ.	एसीई प्रोस्पर कारपोरेशन
ञ.	अर्केमा डाइकिन एडवांस्ड फ्लोरोकेमिकल्स (चांगशु) कंपनी लिमिटेड
ट.	दाईकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कं. लि.

ठ.	डायनिक लिमिटेड
ड.	चांगशु 3एफ झोंगहाओ न्यू केमिकल्स मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
ढ.	चेमौर - मित्सुई फ्लोरोप्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
ण.	चेमौरस केमिकल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
त.	मेसर्स ताइझोऊ क्विंगसोंग रेफ्रिजरेट न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड
थ.	मेसर्स सिनोकेम लैटियन फ्लोरो मैटेरियल्स कं लिमिटेड
द.	झेजियांग क्वहुआ फ्लोअर-रसायन कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)
ध.	हांगझोऊ जुमिंग इम्प./एक्स. कंपनी लिमिटेड
न.	फ्लूओ शंघाई इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी, लिमिटेड
प.	जियांगसू मीलान केमिकल कंपनी लिमिटेड
फ.	जियांगशी नानफू केमिकल कंपनी लिमिटेड
ब.	जियांगशी जिंगफू झोंगलान न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
भ.	जियांगशी झोंगक्सिन आर्टसेन केमिकल मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
म.	दि चेमौरस 3 एफ फ्लोरोकेमिकल एस (चांगशु) कं, लिमिटेड
य.	डोंगयु समूह
कक.	डाइकिन आर्केमा रेफ्रिजरेट्स एशिया लिमिटेड
खख.	डोंगयांग वेइहुआ रेफ्रिजरेट्स कंपनी लिमिटेड
गग.	इनर मंगोलिया योंगहे फ्लोरोकेमिकल कंपनी लिमिटेड
घघ.	जिंगशी ली एंड मैन केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
ड.ड.	जिन्हुआ योंगहे फ्लोरोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड
चच.	जुहुआ ग्रुप कंपनी
छछ.	लिन्हाई लिमिन केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
जज.	लियाओचेंग फुएर न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
झझ.	लियाओचेंग रुइजिन (हांगकांग) कं, लिमिटेड
ञञ.	लू शी केमिकल (हांगकांग) कं., लिमिटेड
टट	निन्हुआ ग्रुप कंपनी, लिमिटेड
ठठ.	शंघाई हुआयी 3एफ नई सामग्री कंपनी लिमिटेड
डड.	सिनोकेम लैटियन कंपनी लिमिटेड
ढढ	सिनोकेम मॉडर्न एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (शीआन) कं. लि
णण.	रुयुआन डोंगयांगुंग फ्लोरेसेंस कंपनी लिमिटेड
तत.	शांक्सी झोंगलान केमिकल टेक्नोलॉजी न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड

थथ.	एससी निंगबो इंटरनेशनल लिमिटेड
दद.	शेडोंग हुआन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
धध.	शाओबु योंगहे जिंटांग न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
नन.	सिनोकेम लैंटियन फ्लोरो मैटेरियल्स कं. लिमिटेड
पप.	सिनोकेम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स कं, लिमिटेड
फफ.	सिनोकेम ताइकांग केमिकल इंडस्ट्रियल पार्क
बब.	झेजियांग लैंटियन पर्यावरण संरक्षण फ्लोरो मैटेरियल कं, लिमिटेड
भभ.	झेजियांग योंगहे रेफ्रिजरेट्स कंपनी लिमिटेड
मम.	ज़ीबो आओफ़ान न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
यय.	झेजियांग व्होजो लिआनझोउ रेफ्रिजरेट्स कंपनी। लिमिटेड
ककक.	झेजियांग व्हुआ फ्लोरीन केमिकल कंपनी लिमिटेड
खखख.	झेजियांग फोटेक इंटरनेशनल कंपनी,

- ix. संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने खुद को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है और वर्तमान जांच में भाग लिया है:

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
क.	फुजियान किंगल्यू डोंगविंग केमिकल इंड. क. लिमिटेड
ख.	शंडोंग डोंगयु रेफ्रिजरेट्स कं, लिमिटेड
ग.	मेसर्स जिबो फियुआन केमिकल कं. लि, चीन
घ.	झेजियांग सानमेई केमिकल इंड. क. लि.

- x. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावलियां भेजी।

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
क.	अजय एयर प्रोडक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
ख.	एवन 9 स्टार फ्यूचर प्रा. लिमिटेड
ग.	चिल्लेयर सॉल्यूशंस
घ.	कूल केम (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
ड.	कूलमेट रेफ्रिजरेट्स प्रा. लि
च.	गोरखराम हरिबक्स
छ.	गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड
ज.	हिंदुस्तान रेफ्रिजरेशन स्टोर्स

झ.	कार्तिक ट्रेडर्स
ज.	किरो रेफ्रिजरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
ट.	कोलेन रेफ्रिजरेटर्स
ठ.	मंगली पेट्रोकेम लिमिटेड
ड.	मेक्सफ्लोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ढ.	वैल्यू रेफ्रिजरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
ण.	विजय पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड
त.	वीट्रॉन इंटरनेशनल रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट (कुनशान) कं, लिमिटेड

- xi. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने जांच में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में खुद को पंजीकृत किया है।

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
क.	गुप्ता ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड
ख.	एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

- xii. उपर्युक्त के अतिरिक्त, एक एसोसिएशन अर्थात डोमेस्टिक रेफ्रिजरेट इम्पोर्टर्स एसोसिएशन (डीआरआईए) ने वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में स्वयं को पंजीकृत किया है।

3.6 पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार

- xiii. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे वर्तमान कार्यवाहियों में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करें।

3.7 आर्थिक हित प्रश्नावली

- xiv. प्राधिकारी ने जनहित और व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव का आकलन करने के लिए आर्थिक हित प्रश्नावली ('ईआईक्यू') जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को भेजी गई थी। ईआईक्यू प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा की गई थी। आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर निम्नलिखित द्वारा दायर किया गया था:

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
क.	एसआरएफ लिमिटेड
ख.	मेसर्स जिवो फियुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड
ग.	शंडोंग डोंगयु रेफ्रिजरेटर्स कं, लिमिटेड
घ.	गुप्ता ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड
ड.	घरेलू रेफ्रिजरेट आयातक संघ

3.8 मौखिक सुनवाई

- xv. नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 5 फरवरी, 2026 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दें, उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दें।

3.9 आगे की प्रक्रिया:

- xvi. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान समय पर पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकार को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- xvii. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की प्राधिकारी द्वारा दावा की गई गोपनीयता की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का अगोपनीय सार प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
- xviii. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक मानी गई सीमा तक किया। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- xix. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत ("एनआईपी") की गणना की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा। क्षतिरहित कीमत की गणना इष्टतम उत्पादन और भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री लागत के आधार पर, घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ("जीएएपी") को ध्यान में रखते हुए की गई है।
- xx. प्राधिकारी ने कार्यवाहियों के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, दी गई सूचना और किए गए अनुरोधों की जांच उस सीमा तक की है, जहां तक व साक्ष्य से समर्थित थे और अंतिम जांच परिणाम तैयार करने में वर्तमान प्रयोजन के लिए संगत माने गए थे।
- xxi. "****" गोपनीय आधार पर किसी पक्षकार द्वारा दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- xxii. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर जांच की अवधि के दौरान लागू, आयातित सामानों के मूल्य के परिवर्तन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के तहत केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों के औसत के नाते 1 अमेरिकी डॉलर = 85.43 रु. है। यही दर इस पूरे अंतिम जांच परिणाम में लागू की गई है।¹

¹ <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/view>

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**ग.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

8. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

9. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में परिभाषित है, अर्थात्, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32 या डाइफ्लोरोमीथेन।
- ii. पीसीएन पद्धति के संबंध में, घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे विचाराधीन उत्पाद के लिए पैक किए गए फॉर्म और अनपैक्ड फॉर्म को दो अलग-अलग पीसीएन के रूप में माने या क्षतिरहित कीमत की गणना करने के लिए पैकिंग के लिए घरेलू उद्योग की लागत में समायोजित किया जाए।
- iii. विचाराधीन उत्पाद पहले एचएस कोड 2903 39 19 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत आयात किया जाता था। प्रशुल्क वर्गीकरण में 2022 से एचएस कोड 2903 42 00 में परिवर्तन हुआ है।
- iv. संबद्ध सामान का उपयोग मुख्य रूप से एचएफसी रेफ्रिजेंट मिश्रण अर्थात् आर-410ए और आर-407सी के एक घटक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग एकल रेफ्रिजेंट के रूप में भी किया जा सकता है।
- v. एचएफसी-32 सबसे पसंदीदा में से एक है क्योंकि इसमें एयर कंडीशनिंग क्षेत्र में वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले रेफ्रिजेंट के बीच सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (जीडब्ल्यूपी) मान है।
- vi. लगभग 675 के जीडब्ल्यूपी के साथ, आर-32 पारंपरिक रेफ्रिजेंट जैसे आर-410ए (जीडब्ल्यूपी ~2088), आर-404ए(जीडब्ल्यूपी ~3922), और आर-22 (जीडब्ल्यूपी ~ 1,810) की तुलना में काफी कम है। यह शीतलन प्रणालियों के प्रत्यक्ष कार्बन पदचिह्न को काफी कम कर देता है।
- vii. आर-32 की ओजोन क्षरण क्षमता (ओडीपी) शून्य है, जबकि आर22 और आर12 की ओडीपी क्रमशः 0.055 और 1.0 है। हालांकि आर-410ए का ओडीपी शून्य है, फिर भी इसका उच्च जीडब्ल्यूपी चिंता का विषय बना हुआ है।
- viii. आर32 रेफ्रिजेंट कम मात्रा के साथ प्रभावी शीतलन प्राप्त करते हैं। यह विनिर्माण और रखरखाव लागत को कम करता है और संभावित रिसाव से पर्यावरणीय जोखिम को कम करता है।
- ix. एकल-घटक रेफ्रिजेंट होने के कारण, आर32 रीसाइक्लिंग और रखरखाव प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।
- x. घरेलू उद्योग द्वारा ओर संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. विचाराधीन उत्पाद ("पीयूसी") और उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित किया गया है, नीचे प्रदान किया गया है। विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में परिभाषित उत्पाद के समान है-

"4. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32 या डाइफ्लोरोमीथेन है।

हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32 या डाइफ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र CH_2F_2 है और इसे सीएस संख्या 75-10-5 के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसे एचएफसी-32, एफसी-32, फ्रेडोन-32, मेथिलिन डाइफ्लोराइड, मेथिलिन फ्लोराइड, कार्बन फ्लोराइड हाइड्राइड, हेलोकार्बन आर-32,

फ्लोरोकार्बन आर32, और यूएन 3252 के रूप में भी जाना जाता है। एचएफसी घटक आर-32 का उपयोग मुख्य रूप से आवासीय एयर कंडीशनिंग सिस्टम में किया जाता है।

5. वर्तमान आवेदन-पत्र एक निष्पक्ष समीक्षा जांच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन मूल अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में परिभाषित के समान ही हैं।

11. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति अधिसूचित की। हितबद्ध पक्षकारों से इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति, यदि कोई है, पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए कहा गया था।
12. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर कोई टिप्पणियां दायर नहीं की। तदनुसार, प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति को 28 अक्टूबर 2025 को अधिसूचित किया। इसके बाद और जांच के दौरान किसी भी पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर कोई टिप्पणी दायर नहीं की है।

विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया

13. आर-32 का निर्माण हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ एक क्लोरीनीकृत यौगिक की प्रतिक्रिया से किया जाता है। यह प्रतिक्रिया, जिसे हाइड्रोफ्लोरीनेशन के रूप में जाना जाता है, एक कार्बन-हाइड्रोजन-फ्लोरीन यौगिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है। आर-32 के उत्पादन में डाइक्लोरोमेथेन (सीएच 2 सीएल, जिसे मेथिलिन क्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है) की क्लोरीन गैस और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया शामिल है। प्रतिक्रिया का परिणाम कच्चा आर-32 और तरल अपशिष्ट है, जिसे भस्मीकृत किया जाता है। कच्चे आर-32 को फिर शुद्ध किया जाता है, जो शुद्धिकरण प्रक्रिया के माध्यम से खाद्य-ग्रेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है। आर-32 को फिर ड्राइंग प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना होगा।

विचाराधीन उत्पाद का उपयोग

14. एचएफसी घटक आर-32 एक रंगहीन, गंधहीन, गैसीय रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एचएफसी रेफ्रिजरेट मिश्रणों, अर्थात् आर-410ए और आर-407सी में घटक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग एकल रेफ्रिजरेट के रूप में भी किया जा सकता है। एक बार मिश्रित होने के बाद, आर-32 युक्त एचएफसी गैसों का उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक प्रशीतन और शीतलन अनुप्रयोगों में किया जाता है।

उत्पाद के लिए सीमा शुल्क वर्गीकरण और सीमा शुल्क नीति

15. आर-32 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) की व्यापक श्रेणी से संबंधित है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन द्वारा शासित है, जो 1 जनवरी 2019 को लागू हुआ। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उच्च या बहुत उच्च ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल्स (जीडब्ल्यूपी) वाले ग्रीनहाउस गैस हैं और वातावरण में गर्मी को फंसाकर जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जाने जाते हैं।
16. सभी एचएफसी में, एचएफसी-32 को व्यापक रूप से एयर कंडीशनिंग अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए पसंदीदा रेफ्रिजरेट में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। लगभग 675 के जीडब्ल्यूपी के साथ, आर-32 में पारंपरिक रेफ्रिजरेट जैसे आर-410ए (लगभग 2,088 का जीडब्ल्यूपी), आर-404ए (लगभग 3,922 का जीडब्ल्यूपी), और आर-22 (लगभग 1,810 का जीडब्ल्यूपी) की तुलना में काफी कम जीडब्ल्यूपी है। तदनुसार, एचएफसी-32 का उपयोग शीतलन प्रणालियों से जुड़े प्रत्यक्ष कार्बन पदचिह्न को काफी कम कर देता है और अधिक पर्यावरण के अनुकूल रेफ्रिजरेट विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है।
17. किगाली संशोधन एक वैश्विक करार है जिसका उद्देश्य आर-32 सहित एचएफसी के उत्पादन और खपत को कम करना है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान में महत्वपूर्ण वृद्धि को रोकना है। करार के तहत, देशों को निर्धारित समय सीमा के भीतर एचएफसी के उत्पादन और खपत को धीरे-धीरे कम करने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए,

प्रत्येक देश के कमी दायित्वों को एक आधारभूत स्तर के मुकाबले मापा जाता है, जिसकी गणना एक निर्दिष्ट तीन साल की संदर्भ अवधि के दौरान एचएफसी के औसत उत्पादन/खपत के साथ-साथ देश के एचसीएफ आधारभूत उत्पादन/खपत के निर्धारित प्रतिशत के आधार पर की जाती है। यह आधार रेखा उस बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है जिससे बाद की चरणबद्ध कटौती की गणना और निगरानी की जाती है।

18. आधारभूत अवधि, आधारभूत गणना और चरणबद्ध कार्यक्रम को चार समूहों में विभाजित किया गया है जैसा कि नीचे दिया गया है:

अनुच्छेद 5 पक्षकार: समूह 1 (चीन जन.गण. सहित)	2020 से 2022 तक आधार वर्ष
	2020, 2021 और 2022 में एचएफसी के औसत उत्पादन/खपत के रूप में आधार रेखा गणना के साथ-साथ एचसीएफ आधार रेखा उत्पादन/खपत का 65%
	2029 में शुरू होने वाले आधार से 10% की कमी, 2035 में 30%, 2040 में 50% और 2045 में 80% तक बढ़ रही है।
अनुच्छेद 5 पक्षकार: समूह 2 (भारत सहित)	2024 से 2026 तक आधार वर्ष
	2024, 2025 और 2026 में एचएफसी के औसत उत्पादन/खपत के रूप में आधार रेखा गणना और एचसीएफ आधार रेखा उत्पादन/खपत का 65%
	2032 में शुरू होने वाले आधार से 10% की कमी, 2037 में 20%, 2042 में 30% और 2047 में 85% तक बढ़ रही है।
गैर-अनुच्छेद 5 (मुख्य समूह)	2011 से 2013 तक आधार वर्ष
	2011, 2012 और 2013 में एचएफसी के औसत उत्पादन/खपत के रूप में आधार रेखा गणना के साथ-साथ एचसीएफ आधार रेखा उत्पादन/खपत का 15%
	2019 में शुरू होने वाले आधार से 10% की कमी, 2024 में 40%, 2029 में 70%, 2034 में 80% और 2036 में 85% तक बढ़ रही हैं।
गैर-अनुच्छेद 5 (बेलारूस, रूसी संघ, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान)	2011 से 2013 तक आधार वर्ष
	2011, 2012 और 2013 में एचएफसी के औसत उत्पादन/खपत के रूप में आधार रेखा गणना के साथ-साथ एचसीएफ आधार रेखा उत्पादन/खपत का 25%
	2020 में शुरू होने वाले आधार से 5% की कमी, 2025 में 35%, 2029 में 70%, 2034 में 80% और 2036 में 85% तक बढ़ रही हैं।

19. विचाराधीन उत्पाद पहले एचएस कोड 2903 39 19 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अन्तर्गत वर्गीकरण योग्य था। हालाँकि, जनवरी 2022 से, विचाराधीन उत्पाद के समर्पित एचएस कोड में 2903 42 00 में परिवर्तन हुआ है।

घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु

20. समान वस्तु के संबंध में नियमावली के नियम 2(घ) में समान वस्तु की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी गई है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं।”

21. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यात की गई समान वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकारों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामान के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता उनका प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर सकते हैं।

विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में प्रस्ताव

22. तदनुसार, जांच की शुरुआत के स्तर पर परिभाषित किए गए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि की जाती है। वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32 या डाइफ्लोरोमीथेन है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. घरेलू उद्योग ने क्षति जांच अवधि की सभी अवधियों के लिए आयातों के न होने और क्षति की अवधि के दौरान सभी देशों के लिए निर्यातकों/आयातकों के साथ संबंध न होने की पुष्टि करते हुए घोषणाएं नहीं दी हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

24. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. घरेलू उद्योग एक बहु-व्यवसाय कंपनी है जो रासायनिक आधारित औद्योगिक मध्यवर्ती के निर्माण में लगी हुई है, जो अकेले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तक ही सीमित नहीं है।
- ii. क्षति की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग ही संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक था।
- iii. जांच की अवधि के बाद, दो कंपनियों, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड और नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड ने भी आर-32 का उत्पादन शुरू किया।
- iv. घरेलू उद्योग ने किसी भी स्रोत से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और न ही वह किसी भी देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी उत्पादक या निर्यातक से संबद्ध है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में "घरेलू उद्योग" निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

26. यह आवेदन-पत्र एसआरएफ लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। रिकॉर्ड में मौजूद सूचना के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध सामानों का कोई अन्य उत्पादक नहीं था। जांच की अवधि के बाद, दो कंपनियों, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड और नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड ने भी क्रमशः 10,000 एमटी और 9,000 एमटी की क्षमता के साथ आर-32 का उत्पादन शुरू किया। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड ने वर्तमान जांच का समर्थन किया है और उपायों को जारी रखने का अनुरोध किया है।

27. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम लेनदेन-वार आयात आंकड़ों की जांच की है और नोट करते हैं कि एसआरएफ लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान या तो संबद्ध देश से या क्षति की अवधि के दौरान किसी अन्य देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातक से संबद्ध नहीं है या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं है।
28. इसलिए यह माना जाता है कि एसआरएफ लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से "घरेलू उद्योग" है और "आधार" के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता और विविध अनुरोध

ड.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

- i. घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले आयात आंकड़े निजी स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं और प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं हैं। प्राधिकारी को आयात की जांच के लिए डीजीसीआईएंडएस आंकड़े मंगाने चाहिए।
- ii. घरेलू उद्योग व्यापार उपचार उपायों का आदतन प्रयोक्ता है।
- iii. पांच वर्ष के बाद पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति एक नियम है और उसका जारी रहना एक अपवाद है।
- iv. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है यथा क. उत्पादन प्रक्रिया और फ्लोचार्ट; ख. आयात आंकड़ों के लिए उनकी बाजार आसूचना का स्रोत; ग. घरेलू उद्योग के संपर्क व्यक्ति की ईमेल आईडी; घ. सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का विवरण; ड. निर्यात कीमत के समायोजन के साक्ष्य; च. कर्मचारियों की संख्या; छ. लाभ/हानि और आरओसीई प्रतिशत के संदर्भ में; ज. कीमत कटौती के विश्लेषण के लिए निवल बिक्री कीमत; झ. भाग VI की सूचना और कच्चे माल के नाम, और लागत के तत्वों को गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- v. याचिका का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति नहीं है। गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर में पृष्ठों की संख्या बिल्कुल समान होनी चाहिए।
- vi. घरेलू उद्योग ने संयंत्र बंद होने के बारे में कोई विवरण (सामान्य/खरखाव/योजनाबद्ध, असामान्य/अनियोजित) और कारण प्रदान नहीं किए हैं।
- vii. विचाराधीन उत्पाद की 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' तक की संशोधित आयात नीति के कारण, उसी के ऊपर अतिरिक्त पाटनरोधी शुल्क लगाने से दोगुना संरक्षण मिलेगा।
- viii. संबद्ध सामानों के प्रयोक्ता पहले से ही संबद्ध सामानों के आयातों के लिए गैर-व्यापार बाधा का सामना कर रहे हैं।
- ix. यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाने का निर्णय लेते हैं, तो शुल्क का एक बेंचमार्क फॉर्म यथामूल्य शुल्कों के बजाय अधिक कुशल उपकरण होना चाहिए।
- x. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग द्वारा शुद्धता का कोई प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया है।
- xi. घरेलू उद्योग ने कानूनी प्रतिनिधि द्वारा कोई घोषणा प्रदान नहीं की है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

30. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

- i. उत्तरदाता ने गलत तर्क दिया है कि निजी स्रोतों से प्राप्त आंकड़े अविश्वसनीय हैं और प्रामाणिक नहीं हैं, जबकि प्राधिकारी ने आवेदक के आंकड़ों पर विचार नहीं किया है।

- ii. यह कानून का एक निर्धारित सिद्धांत है कि अधिनियम या 5 वर्षों से अधिक के शुल्कों के विस्तार के लिए नियमावली के तहत "असाधारण परिस्थिति" साबित करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।
- iii. शुल्क के विस्तार के लिए आवश्यक एकमात्र शर्त यह है कि क्या इस तरह के शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।
- iv. 24 सितंबर 2025 की जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुसार, पक्षकारों को दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से गोपनीयता पर टिप्पणियां, यदि कोई हों, दायर करने के लिए 7 दिन दिए जाते हैं। गोपनीयता पर वर्तमान आपत्ति बहुत देर से प्रस्तुत की गई है।
- v. यह व्यापार सूचना की आवश्यकता नहीं है कि उत्तर का गोपनीय रूपांतर अगोपनीय रूपांतर की सटीक प्रतिकृति हो। गोपनीय और अगोपनीय रूपांतरों के बीच पृष्ठों की संख्या में अंतर का मतलब यह नहीं है कि बाद वाला पूर्व की प्रतिकृति नहीं है, जब तक कि गोपनीय रूपांतर में निहित सभी सूचना और साक्ष्य अगोपनीय रूपांतर में पर्याप्त रूप से प्रकट किए गए हैं।
- vi. हितबद्ध पक्षकार के पास आवेदन-पत्र के गोपनीय रूपांतर तक कोई पहुंच नहीं है। इसके अभाव में, यह आरोप कि अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की 'प्रतिकृति नहीं है' अटकल हैं। अगोपनीय रूपांतर वास्तव में गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति है।
- vii. लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों को छोड़कर, गोपनीय रूपांतर में प्रदान की गई सभी सूचना अगोपनीय रूपांतर का भी हिस्सा है। जहां गोपनीय रूपांतर सार के लिए अतिसंवेदनशील नहीं था और इसका प्रकटन नहीं किया जा सकता था, घरेलू उद्योग ने पर्याप्त तर्क प्रदान किया है।
- viii. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को बंदी की सूचना प्रदान की है और व्यापार सूचना 10/2018 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को संयंत्र बंदी का विवरण प्रदान करने का अधिदेश प्रदान करना अनिवार्य नहीं है।
- ix. कानूनी प्रतिनिधि द्वारा शुद्धता और घोषणा का प्रमाण व्यापार सूचना संख्या 04/2021 के अनुसार जांच-सूची का हिस्सा है।
- x. प्राधिकारी ने कई जांचों में सकारात्मक जांच परिणाम जारी किए हैं जिनमें विचाराधीन उत्पाद को आयात नीति के तहत "प्रतिबंधित" के रूप में वर्गीकृत किया गया था या जहां आयातों की केवल लाइसेंस/प्राधिकारी के माध्यम से अनुमति दी गई थी।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"7. "गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार की

राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सार करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

32. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर आय, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन लागत से संबंधित सूचना, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, पहुंच कीमत, क्षति मार्जिन, कीमत समायोजन, लाभ से संबंधित सूचना, बिक्री चैनल, बिक्री और खरीद दस्तावेज, ग्राहक और आपूर्तिकर्ता का नाम, आदि जैसी सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा जाता है कि जहां भी क्षति की अवधि के लिए सूचना है, उसे सूचीबद्ध आधार पर प्रदान किया गया है। जहां कहीं भी सूचना एकल वर्ष से संबंधित है, उसी को सीमा में प्रकट किया गया है, यदि ऐसा प्रकटन सूचना की गोपनीयता से समझौता नहीं करता है। हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों और सूचनाओं में गोपनीयता का दावा किया है, जहां भी ऐसी सूचना उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है। उन मामलों में जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किए हैं, उसे गोपनीय होने का दावा किया गया है। जहां भी हितबद्ध पक्षकारों ने किसी दस्तावेज को गोपनीय बताया है, यह नोट किया जाता है कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि ये दस्तावेज सार के लिए अतिसंवेदनशील नहीं हैं और कारण बताए हैं कि सार क्यों संभव नहीं है।
33. प्राधिकारी ने लगातार हितबद्ध पक्षकारों को सभी जांचों में घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई ऐसी सूचना और दस्तावेजों पर गोपनीयता का दावा करने की अनुमति दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय बताया है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है।
34. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध संबंध में कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार जांच का एक आदतन प्रवर्तक है, जो प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक पैटर्न दर्शाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचएफसी गैसों के संबंध में विगत में कई पाटनरोधी जांच की गई है, लेकिन विचाराधीन उत्पाद की जांच विगत में नहीं की गई है। जांच शुरू की गई है, अपने आप में, व्यापार उपचार प्रक्रिया के किसी भी दुरुपयोग का संकेत नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार, वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन-पत्र के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार, विचाराधीन उत्पाद के तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क के आधार पर तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार यह जांच शुरू की थी।
35. आवेदन-पत्र में दी गई सूचना की सटीकता के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करने और आवेदन-पत्र के भीतर प्रस्तुत सूचना की सटीकता के लिए कानूनी प्रतिनिधि द्वारा घोषणा न किए जाने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों दस्तावेज वर्तमान जांच की शुरुआत से पहले आवेदन-पत्र की जांच-सूची के साथ घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए थे। प्राधिकारी ने उक्त दस्तावेजों की जांच की, उनकी प्रामाणिकता और पूर्णता को सत्यापित किया, और उन्हें क्रम में पाया। किसी भी मामले में, प्राधिकारी ने सूचना की सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया है और इसे वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में अपनाया गया है।

36. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों रूपांतरों में सूचना प्रस्तुत करने के तरीके के कारण अंतर उत्पन्न होते हैं। गोपनीय रूपांतर में कुछ आंकड़े एक्सेल प्रारूप में प्रस्तुत किए गए थे, जबकि अगोपनीय रूपांतर पीडीएफ फॉर्म में प्रदान किये गए थे। इसके अलावा, गोपनीय आंकड़ों को अगोपनीय रूपांतर में उचित रूप से सारभूत किया गया है, और कुछ सूचना ऐसी प्रकृति की है कि यह सार्थक सार की अनुमति नहीं देती है। गोपनीय और अगोपनीय दोनों रूपांतरों की जांच की गई है और उन्हें ठीक पाया गया है।
37. आयात की जांच के लिए उपयोग किए गए आयात आंकड़ों की विश्वसनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने जांच की शुरुआत की अधिसूचना में दर्शाए गए जांच की शुरुआत के स्तर पर और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए, दोनों के लिए वर्तमान जांच के प्रयोजन से डीजी सिस्टम के लेन-देनवार आंकड़ों पर विश्वास किया है। यह पाया गया था कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई आयात मात्रा और मूल्य डीजी सिस्टम के लेन-देनवार आंकड़ों में सूचित आंकड़ों से तुलनीय हैं।
38. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि आयात लाइसेंस के रूप में पहले से ही प्रतिबंध लगाया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता विचाराधीन उत्पाद के आयात को प्रतिबंधित नहीं करती है, न ही यह भविष्य के आयात को रोकती है। नीति में बदलाव भारतीय उद्योग को कोई समान अवसर प्रदान करने के लिए नहीं था, बल्कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के तहत की गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए था। ओजोन सेल: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पूर्व लाइसेंस के अधीन आयात की अनुमति जारी है। लाइसेंस की आवश्यकताएं और मानदंड परिवर्तन के अधीन हैं और व्यापार उपचार कार्यों से स्वतंत्र आधार पर हैं और इसलिए प्राधिकारी वर्तमान जांच के लिए उन्हें ध्यान में रखना उचित नहीं समझते हैं।
39. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि पांच वर्षों के बाद पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति एक नियम है और शुल्क जारी रहना एक अपवाद है, प्राधिकरण यह नोट करता है कि अधिनियम की धारा 9A(5) और एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 23 को एक साथ पढ़ने पर, प्रारंभिक पाँच वर्ष की अवधि के पश्चात भी एंटी-डंपिंग शुल्क को जारी रखने की अनुमति है, बशर्ते कि सनसेट समीक्षा में यह स्थापित हो कि उक्त शुल्क की समाप्ति से डंपिंग तथा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने अथवा पुनः होने की संभावना है।

नियम 23. समीक्षा - [(1) अधिनियम की धारा 9क के प्रावधान के तहत लगाया गया कोई भी पाटनरोधी शुल्क तब तक और आवश्यक होने तक जारी रहेगा जब तक पाटन के विपरीत हों, जिससे क्षति हो रही है।

(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी, जहां आवश्यक हो, अपनी पहल पर या किसी भी हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर, जो ऐसी समीक्षा की आवश्यकता को प्रमाणित करने वाली सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, किसी भी पाटनरोधी शुल्क को लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे, और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने तक उपयुक्त समयावधि समाप्त होने तक, निर्दिष्ट प्राधिकारी, केंद्र सरकार को इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर उसकी वापसी के लिए सिफारिश करेंगे कि घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या बार बार होने की संभावना नहीं है, यदि उक्त पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है या उसमें अंतर किया जाता है और इसीलिए अब उसकी आवश्यकता नहीं है।

40. प्राधिकारी मानते हैं कि, पाटनरोधी नियमावली के लागू प्रावधानों के अनुसार पाटनरोधी शुल्क को उस अवधि के लिए लागू रहना अपेक्षित है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले पाटन का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क लगाने और जारी रखने का उद्देश्य पाटित आयातों के क्षतिकारक प्रभावों को दूर करना है। नियम 23(1) में यह प्रावधान है कि क्षति पहुंचा रहे पाटन का मुकाबला करने के लिए आवश्यक सीमा तक और तब तक शुल्क लागू रहेगा। जबकि धारा 9क (5) में पांच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रावधान है, यह स्पष्ट रूप से शुल्क जारी रखने का संरक्षण करती है, जहां समीक्षा यह सिद्ध करे कि शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।

च. पाटन का आकलन, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

41. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने पाटन के आकलन, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. शांगडोंग ने वर्तमान जांच में पूरी तरह से सहयोग किया है; इसलिए प्राधिकारी को वास्तविक, सत्यापित आंकड़ों के आधार पर उत्तरदाता के लिए व्यक्तिगत पाटन और क्षति मार्जिन और शुल्क दर निर्धारित करनी चाहिए, न कि याचिका में प्रदान किए गए अनुमानों पर।
- ii. जांच की अवधि के दौरान शांगडोंग द्वारा कोई निर्यात नहीं किया गया है। यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने का निर्णय लेते हैं, तो उत्तरदाता के लिए पाटनरोधी शुल्क की वही दर जारी रखी जानी चाहिए।
- iii. ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्राधिकारी को चीनी उत्पादकों को उनकी घरेलू कीमतों और लागतों की अवहेलना करने के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था सिद्धांतों पर काम करने के लिए विचार करने में सक्षम बनाए।
- iv. प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पादक के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उनकी घरेलू बिक्री और संबद्ध सामानों की लागत के आधार पर किया जाना है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीन को बाजार अर्थव्यवस्था नहीं मानने के लिए 15 वर्षों की अवधि समाप्त हो गई है।
- v. अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन की सूचना देने के दायित्व के अधीन है। तीसरे देश के चयन के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई है, न ही हितबद्ध पक्षकारों से तीसरे देश के बारे में सुझाव देने और आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
- vi. अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करने के अभाव में, माननीय उच्चतम न्यायालय के *शेनयांग मात्सुशिता एस. बैटरी कंपनी लिमिटेड बनाम एक्ससाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य*, 2005 (181) ईएलटी 320 (एससी) मामले में निर्णय के मद्देनजर वर्तमान कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है।
- vii. पाटनरोधी परिकलन चीनी कीमतों और लागतों पर आधारित होना चाहिए क्योंकि चीन का डब्ल्यूटीओ अभिगम नयाचार 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया था। अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों ने इस समयरेखा को मान्यता दी है। इस व्याख्या को 'फास्टनर केस' में डब्ल्यूटीओ के फैसले से भी समर्थन मिलता है।
- viii. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का कोई प्रयास नहीं किया है।
- ix. निर्यात कीमत में दावा किए गए समायोजनों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

42. घरेलू उद्योग ने पाटन के आकलन, सामान्य मूल्य के निर्धारण, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों द्वारा खंडन के अध्यक्षीन, चीन जन.गण. को जांच की शुरुआत के स्तर पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना था। किसी भी उत्पादक ने इस अवधारण का खंडन नहीं किया है और एमईटी प्रश्नावली दायर की है।

- ii. मूल जांच में प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना है। इस प्रकार, भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा एमईटी दावे के अभाव में प्राधिकारी को उनकी घरेलू बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं करना चाहिए।
- iii. इस तथ्य के बावजूद कि चीन के लिए गैर-बाजार अवधारणा 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो जाती है, चीन के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार अभी भी स्वचालित नहीं है और हितबद्ध पक्षकारों को यह दर्शाते हुए साक्ष्य देने की आवश्यकता है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के तहत काम कर रहा है।
- iv. अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित पद्धतियां सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक क्रम निर्धारित करती हैं और यह प्रावधान करती हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत या जहां यह संभव न हो, वहां किसी अन्य उपयुक्त आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत इसमें शामिल हो, जो आवश्यक होने पर उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित हों, के आधार पर किया जाएगा।
- v. वर्तमान मामले में, चूंकि तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश में यह कीमत, उपलब्ध है, अतः लाभ के लिए उपयुक्त रूप से जोड़कर, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
- vi. शेंगडोंग डोंगयु का यह तर्क कि उसने जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है, तथ्यात्मक रूप से गलत है और निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया के परिशिष्ट-1 में प्रदान की गई सूचना के विपरीत है, जो जांच की अवधि में निर्यात दर्शाती है।
- vii. घरेलू उद्योग ने आवेदन-पत्र में निम्नलिखित तीन पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य प्रस्तावित किया था। क. भारत सहित किसी अन्य देश में तीसरे देश से कीमत; ख. भारत में प्रदत्त कीमत; और ग. भारत में देय कीमत।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

च.3.1 सामान्य मूल्य

43. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा: (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

ख) बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के

देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्भूत देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

44. प्राधिकारी चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित संगत प्रावधानों को नोट करते हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अंतर्गत प्रावधान नीचे दिए गए अनुसार हैं:

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”

8 (1) “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश” वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।”

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू टीओ के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं। तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जाँच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो”

45. चीन जन.गण. के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकारों के नाम
क.	ज़िबो फेयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड
ख.	झेजियांग सानमेई केमिकल इंड. क. लिमिटेड
ग.	फुजियान किंगल्यू डोंगयिंग केमिकल इंड. क.लिमिटेड
घ.	शेंगडोंग डोंगयु रेफ्रिजरेट्स कं, लिमिटेड

46. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश मानने की अवधारणा के साथ कार्यवाही की। जांच शुरू करने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना का उत्तर देने और यह सूचना प्रदान करने की सलाह दी कि क्या उनके आंकड़ों/सूचना को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए चीन जन.गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।

47. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

- “(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:
- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

48. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 (क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि, अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए नियमावली के अनुबंध- I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित हैं।
49. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन की सूचना देने के लिए बाध्य है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दायित्व केवल तब उत्पन्न होता है जब ऐसे बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाता है और इसलिए, बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश की उपयुक्तता पर हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां लेने की आवश्यकता हो। वर्तमान मामले में, ऐसी किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का प्रस्ताव नहीं किया गया था, और इसलिए, ऐसी किसी सूचना की आवश्यकता नहीं थी।
50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में उल्लिखित इस अवधारणा का खंडन करने के लिए पूरक प्रश्नावली दायर नहीं की है। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।
51. यह नोट किया जाता है कि नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण के तीन तरीके निर्धारित किए गए हैं: (क) किसी तीसरे देश में बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) भारत सहित अन्य देशों में तीसरे देश से निर्यात कीमत; और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के तहत, सामान्य मूल्य को पहले बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, या भारत सहित अन्य देशों को ऐसे देश से निर्यात की कीमत के आधार पर। हालाँकि, जब ऐसा आधार संभव नहीं है, केवल तभी प्राधिकारी किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें भारत में प्रदत्त या देय कीमत शामिल हो।
52. प्राधिकारी के समक्ष दायर आवेदन-पत्र में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि संयुक्त अरब अमीरात से भारत में आयात की मात्रा काफी है और इसलिए इसे सामान्य मूल्य के आधार के रूप में माना जाना पर्याप्त है। घरेलू उद्योग ने तदनुसार संयुक्त अरब अमीरात से भारत में आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य प्रदान किया। चूंकि आयात कीमत सीआईएफ आधार पर है, इसलिए कारखानागत आधार निकालने के लिए उचित समायोजन किए गए थे। घरेलू उद्योग ने उचित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत और लाभ के लिए विधिवत समायोजित भारत में प्रदत्त कीमत और भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का भी दावा किया था।

53. यह नोट किया जाता है कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में यह प्रावधान है कि क्रम का पालन किया जाना चाहिए। यह देखा जाता है कि चूंकि संयुक्त अरब अमीरात से भारत में आयात काफी हैं, इसलिए सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात से भारत में निर्यात के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। माननीय सेस्टेट ने कुइटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में माना है कि संबद्ध देश के विकास का स्तर तभी संगत होगा जब बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की घरेलू बिक्री कीमत या उत्पादन लागत को अपनाया जाए और न कि जब बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में निर्यात को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माना जाए। माननीय न्यायाधिकरण ने माना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और आपूर्ति का एक कार्य है और आपूर्तिकर्ता देश के विकास के स्तर से प्रभावित नहीं होती है।
54. यह देखा जाता है कि संयुक्त अरब अमीरात एक गैर-संबद्ध देश है जिसमें कोई पाटनरोधी उपाय लागू नहीं है और आयात की मात्रा काफी अधिक है, संयुक्त अरब अमीरात से सीआईएफ कीमत प्रतिनिधिकारक है। प्राधिकारी ने कारखानागत कीमत निकालने के लिए सतत परिपाटी के अनुसार समुद्री माल भाड़ा, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय माल भाड़ा, क्रेडिट लागत और समुद्री बीमा और बैंक शुल्क जैसे विभिन्न तत्वों पर उचित समायोजन किया है। इस प्रकार निर्मित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.2 निर्यात कीमत

i. मेसर्स जिबो फियुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड

55. मेसर्स जिबो फियुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड की स्थापना अगस्त 2004 में चीन जन.गण. के कंपनी कानून के तहत चीन जन.गण. में एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी। जांच की अवधि के दौरान, उत्पादक-निर्यातक ने सीधे भारत में असंबद्ध क्रेताओं को (सीआईएफशर्तों पर) ***आरएमबी बीजक मूल्य ($\approx$ *** यूएसडॉ.) के ***एमटी की बिक्री सीधे ही की है।
56. निर्यातक ने अंतर्देशीय माल भाड़ा और बंदरगाह शुल्क, समुद्री माल भाड़ा, बैंक शुल्क और क्रेडिट लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है, और डेस्क सत्यापन के बाद इसे स्वीकार किया गया है। चूंकि डीजी सिस्टम लेनदेन वार आंकड़ों में जांच की अवधि के दौरान "एचएफसी-आर 32 पैक" फॉर्म के किसी भी आयात की सूचना नहीं दी गई है, इसलिए निर्यात कीमत केवल "एचएफसी-आर 32 अन-पैकड" फॉर्म के लिए निर्धारित की गई है।
57. तदनुसार, कारखानागत स्तर पर निर्धारित किया गया है, और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ii. फुजियान किंगल्यू डोंगयिंग केमिकल इंड. कं. लिमिटेड (उत्पादक); झेजियांग सनमेई केमिकल इंड. कं. लिमिटेड (संबद्ध निर्यातक)।

58. फुजियान किंगल्यू डोंगयिंग केमिकल इंड. कं., लिमिटेड 29 नवंबर 2002 को चीन जन.गण. के कंपनी कानून के अनुसार स्थापित एक सीमित देयता कंपनी है। यह झेजियांग सनमेई केमिकल इंडस्ट्री कंपनी की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यातक है, जिसका निर्माण फुजियान किंगल्यू डोंगयिंग केमिकल इंड. कं. लि. द्वारा किया गया था।
59. झेजियांग सनमेई केमिकल इंड. कं. लिमिटेड की स्थापना मई, 2001 में चीन जन.गण. के कंपनी कानून के अनुसार एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी। जांच की अवधि के दौरान, फुजियान किंगल्यू डोंगयिंग केमिकल इंड. कं. लिमिटेड, चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों की उत्पादक, ने *** आरएमबी बीजक मूल्य के ***एमटी संबद्ध सामान एक संबद्ध निर्यातक/व्यापारी अर्थात् झेजियांग सनमेई केमिकल इंड. कं. लिमिटेड के माध्यम से फुजियान किंगल्यू डोंगयिंग केमिकल इंड. कं. लिमिटेड के परिशिष्ट-3ख में सूचित किए गए कार्यगत आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से ***एमटी संबद्ध सामान भारत को बेचे हैं। यह भी नोट किया जाता है कि झेजियांग सनमेई केमिकल इंड. कं. लिमिटेड, जो फुजियान किंगल्यू डोंगयिंग केमिकल इंड. कं. लिमिटेड का एक संबद्ध निर्यातक/व्यापारी है, ने भारत में असंबद्ध खरीदार को *** यूएसडी बीजक मूल्य के ***एमटी संबद्ध सामानों की उतनी ही मात्रा बेची है। इस संबद्ध

निर्यातक/व्यापारी ने झेजियांग सैनमेई केमिकल इण्ड. क. लि. के परिशिष्ट-3क में दावा किए गए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों और बैंक शुल्कों के निमित्त समायोजन का दावा किया है। चूंकि डीजी सिस्टम लेनदेन वार आंकड़ों में जांच की अवधि के दौरान "एचएफसी-आर 32 पैक" फॉर्म के किसी भी आयात की सूचना नहीं दी गई है, अतः निर्यात कीमत केवल "एचएफसी-आर 32 अनपैक्ड" फॉर्म के लिए निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है:

iii. शांगडोंग डोंगयु रेफ्रिजरेट्स कंपनी, लिमिटेड

60. पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद, शांगडोंग डोंगयु केमिकल कंपनी लिमिटेड ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32 और अन्य संगत उत्पादों से संबंधित अपने उत्पादन व्यवसाय खंड को अलग करके एक कारपोरेट पुनर्गठन किया, जिससे शांगडोंग डोंगयु रेफ्रिजरेट्स कंपनी लिमिटेड नामक एक नई इकाई की स्थापना हुई। पुनर्गठन के बाद, मूल कंपनी ने अपनी उत्पादन गतिविधियों को रोक दिया और रणनीतिक प्रबंधन और सहायक स्टॉक-होल्डिंग पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि नई कंपनी ने सभी संगत उत्पादन परिसंपत्तियों, योग्यताओं, कर्मियों और व्यावसायिक कार्यों को अपने कब्जे में ले लिया। स्वामित्व, प्रबंधन, उत्पादन प्रक्रियाओं और अन्य प्रमुख पहलुओं में कोई बदलाव नहीं हुआ। निर्यातक ने नाम परिवर्तन के लिए आवेदन-पत्र दायर किया है। उचित रूप से प्रस्तुत प्रतिक्रिया पर विचार करने पर, प्राधिकारी ने 03 अप्रैल, 2025 की संशोधन अधिसूचना एडी (एनसी) - 04/2024 द्वारा नाम परिवर्तन को स्वीकार कर लिया था।
61. शांगडोंग डोंगयु रेफ्रिजरेट्स कं, लिमिटेड की स्थापना 13 नवंबर, 2023 को चीन जन.गण.के कंपनी कानून के अनुसार एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी। जांच की अवधि के दौरान, शांगडोंग डोंगयु रेफ्रिजरेट्स कं. लिमिटेड ने भारत में असंबद्ध क्रेताओं को (सीआईएफ शर्तों पर), सीधे ही भारत में असंबद्ध ग्राहकों को ***आरएमबी बीजक मूल्य ($\approx$ *** यूएसडी) के *** एमटी संबद्ध सामानों का उत्पादन और निर्यात किया है। कंपनी ने समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क के निमित्त समायोजन का दावा किया। इन समायोजनों की जांच की गई है और उचित सत्यापन के बाद प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। चूंकि डीजी सिस्टम लेनदेन वार आंकड़ों में जांच की अवधि के दौरान "एचएफसी-आर 32 पैक" फॉर्म के किसी भी आयात की सूचना नहीं दी गई है, इसलिए निर्यात कीमत केवल "एचएफसी-आर 32 अनपैक्ड" फॉर्म के लिए निर्धारित की गई है। निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

iv. असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

62. चीन जन.गण. के शेष उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए आर-32 की निर्यात कीमत निर्धारित की है। चूंकि डीजी सिस्टम लेनदेन वार आंकड़ों में जांच की अवधि के दौरान "एचएफसी-आर 32 पैक" फॉर्म के किसी भी आयात की सूचना नहीं दी गई है, इसलिए पैक किए गए फॉर्म के लिए कोई अलग निर्यात कीमत निर्धारित नहीं की गई है। निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत, नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

च. 3.3 पाटन मार्जिन

63. विचाराधीन उत्पाद के लिए उपर्युक्त निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन नीचे निर्धारित किया गया है:

क्र.सं.	विवरण	सामान्य मूल्य डॉ/एमटी	निर्यात कीमत डॉ/एमटी	पाटन मार्जिन		
				डॉ/एमटी	%	रेंज
1	मेसर्स जिबो फियुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड	3,771	***	***	***	20-30
2	शांगडोंग डोंगयु रेफ्रिजरेट्स कं. लिमिटेड	3,771	***	***	***	30-40

3	फुजियान किंगल्यू डोंगयिंग केमिकल इंड. क. लिमिटेड	3,771	***	***	***	20-30
4	अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक	3,771	***	***	***	60-70

64. यह देखा जाता है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन *न्यूनतम* से अधिक है। अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देश से इस उत्पाद का पाटन जारी रहा है।

छ. क्षति का मूल्यांकन और कारणात्मक संपर्क

छ.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

65. क्षति के आकलन और कारणात्मक संपर्क के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. घरेलू उद्योग ने आयात में वृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। चीन से आयात में मामूली वृद्धि हुई है, जबकि अन्य देशों से आयात में काफी वृद्धि हुई है।
- ii. वर्तमान मामला आयात में वृद्धि पर आधारित है, तथापि ऐसे आयात से कोई क्षति नहीं हो रही है।
- iii. 2022-23 और 2023-24 में भारतीय मांग में काफी वृद्धि की प्रतिक्रिया में आयात में वृद्धि हुई।
- iv. चीन से निर्यात में वृद्धि के पीछे का इरादा अनुचित तरीके से संबद्ध सामानों का पाटन करना नहीं था, बल्कि किंगली संशोधन के तहत अपने कोटे को अधिकतम करने के चीन के प्रयासों का परिणाम था। आवेदक भी ऐसा करने की योजना बना रहा होगा और अपने आधार वर्ष (2024-2026) के दौरान अपने उत्पादन को बहुत उच्च स्तर तक बढ़ा सकता है ताकि वह लक्षित वर्षों में उच्च कोटा भी सुरक्षित कर सके।
- v. यूएई से आयात में वृद्धि का कारण यह भी है कि यूएई को भारत के साथ ग्रुप-2 देशों में वर्गीकृत किया गया है।
- vi. संबद्ध आयात की कीमत के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- vii. एक नया घरेलू व्यापारी, जीएफएल ने जांच की अवधि के बाद बाजार में प्रवेश किया है और अन्य देशों से आयात भी आना शुरू हो गया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को कोई भी क्षति यूएई से आयात के कारण होगी। जांच की अवधि के बाद यूएई से आयात की कुल मात्रा बहुत अधिक है।
- viii. चूंकि नए घरेलू व्यापार ने बाजार में प्रवेश किया, अतः यह काफी अनुमान लगाने योग्य है कि सामान्य तौर पर उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग और घरेलू बाजार क्षति की अवधि के दौरान अच्छी और लाभप्रद स्थिति रही होगी।
- ix. कैप्टिव सहित बाजार हिस्सेदारी की गलत गणना की गई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, उत्पादन और घरेलू खपत/मांग में कैप्टिव खपत की अनुमति नहीं है।
- x. संबद्ध देश से आयात की मात्रा में भारी गिरावट आई है।
- xi. घरेलू उद्योग की बिक्री चार गुना से अधिक बढ़ गई है। यह क्षति के बजाय सकारात्मक वृद्धि का संकेत है।
- xii. बिक्री की लागत आधार वर्ष में 100 सूचकांक से जांच की अवधि में 102 सूचकांक तक मामूली रूप से बढ़ी है। तथापि, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत आधार वर्ष में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि में 120 सूचकांक हो गई है।
- xiii. इस अवधि के दौरान कैप्टिव खपत में वृद्धि हुई है, जो बेहतर क्षमता उपयोग और स्थिर प्रचालनात्मक निष्पादन को दर्शाती है।

- xiv. बिक्री में वृद्धि घरेलू मांग की वृद्धि से अधिक है। बिक्री में लगातार वृद्धि से पता चलता है कि बिक्री को आयात से दबाया नहीं गया है। कैप्टिव खपत में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की क्षमता में भी सुधार हुआ।
- xv. घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता 100 से बढ़कर 203 हो गई, जो काफी विस्तार और नए निवेश को प्रमाणित करती है। क्षमता उपयोग भी स्थिर रहा है।
- xvi. क्षति या वित्तीय संकट से जूझ रहे उद्योग द्वारा पर्याप्त पूंजी निवेश उचित रूप से नहीं किया जाएगा।
- xvii. घरेलू बिक्री में एक साथ वृद्धि और आयात में गिरावट निर्णायक रूप से आयात और घरेलू उद्योग के निष्पादन के बीच किसी भी कारणात्मक संपर्क के नहीं होने को दर्शाती है।
- xviii. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत जांच की अवधि के दौरान सबसे अधिक थी। यह बेहतर कीमत प्राप्ति को दर्शाता है और कीमत क्षति के किसी भी आरोप को स्पष्ट रूप से नकारता है।
- xix. पहुंच कीमत में काफी वृद्धि हुई, जो सस्ते या आक्रामक पाटन के होने का संकेत देती है।
- xx. कीमत मापदंड स्वस्थ बाजार स्थितियों को दर्शाते हैं और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने का समर्थन नहीं करते हैं।
- xxi. घरेलू उद्योग का उत्पादन दोगुने से अधिक हो गया। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने आयात के कारण उत्पादन में किसी भी कटौती या मांग में कमी का अनुभव नहीं किया है।
- xxii. बिक्री के लिए उपलब्ध घरेलू उद्योग का घरेलू उत्पादन कुल मांग में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ा है।
- xxiii. प्रति दिन उत्पादकता तेजी से बढ़कर 223 हो गई है, जो प्रचालनात्मक दक्षता और समग्र संयंत्र निष्पादन में काफी वृद्धि को दर्शाती है। इसी प्रकार, जांच की अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता बढ़कर 119 हो गई है, जो बेहतर श्रम दक्षता और कार्यबल के प्रभावी उपयोग को प्रमाणित करती है।
- xxiv. घरेलू बिक्री और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी दोनों में असाधारण वृद्धि हुई है। साथ ही, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर में असाधारण वृद्धि है।
- xxv. अंतिम मालसूची स्तरों में तेजी से गिरावट आई है, जो 100 के सूचकांक स्तर से 72 हो गई है, जो तेजी से बिक्री और बेहतर मालसूची प्रबंधन का संकेत देता है। इस अवधि में औसत मालसूची स्तर भी कम हो गया है, जो स्टॉक संचय या बिना बिके माल की अनुपस्थिति को दर्शाता है।
- xxvi. आयात द्वारा 20-30% कीमत कटौती का आरोप न तो विश्वसनीय है और न ही वास्तविक बाजार व्यवहार को दर्शाता है।
- xxvii. यहां तक कि अगर हम यह मान भी लें कि कीमत में कटौती मौजूद थी, तो घरेलू उद्योग का आर्थिक निष्पादन दर्शाता है कि इस तरह की कटौती का घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।
- xxviii. यह तथ्य कि घरेलू उद्योग ने इसके बजाय जांच की अवधि के दौरान उच्च बिक्री दर्ज की है, निर्णायक रूप से यह सिद्ध करता है कि कथित कीमत कटौती को अधिक उल्लेखित किया गया है, वाणिज्यिक रूप से अवास्तविक है और वास्तविक बाजार की गतिशीलता द्वारा समर्थित नहीं है।
- xxix. भले ही यह मान लिया जाए कि कीमत कटौती मौजूद थी, घरेलू उद्योग का आर्थिक निष्पादन दर्शाता है कि इस तरह की कटौती का घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।
- xxx. लाभ प्रति एमटी तेजी से बढ़कर जांच की अवधि में 393 हो गया है, जो एक महत्वपूर्ण सुधार और स्वस्थ प्रचालनात्मक मार्जिन को दर्शाता है।
- xxxi. 2023-2024 को छोड़कर सभी लाभ मापदंडों में काफी वृद्धि दिखाई गई है।

- xxxii. बिक्री लागत आधार वर्ष में 100 सूचकांक से जांच की अवधि में 102 सूचकांक तक मामूली रूप से बढ़ी है। हालांकि, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत आधार वर्ष में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि में 120 सूचकांक हो गई है।
- xxxiii. क्षति की अवधि में मजदूरी 286 बढ़ गई और रोजगार स्तर बढ़कर 188 हो गया है।
- xxxiv. निवल स्थायी परिसंपत्तियां तेजी से बढ़कर 802 हो गई हैं, जो घरेलू उद्योग द्वारा किए गए पर्याप्त नए निवेश और महत्वपूर्ण क्षमता विस्तार को दर्शाती हैं।
- xxxv. संगत अवधि में कार्यशील पूंजी में भी लगातार वृद्धि हुई है, जो मजबूत प्रचालन और बेहतर तरलता स्थिति का संकेत देती है।
- xxxvi. जांच की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर आय बढ़कर 230 हो गई है, जो स्वस्थ आय-क्षमता और पूंजी के दक्ष उपयोग को सिद्ध करती है।
- xxxvii. आयात की प्रवृत्ति और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता आयातशीलता पाटन और क्षति की संभावना का संकेत देती है न कि पिछले वर्षों की, जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत उत्पादन शुरू नहीं हुआ था।
- xxxviii. घरेलू उद्योग की एक मजबूत और प्रभावशाली स्थिति है और शुल्क समाप्त होने के बाद भी इसकी स्थिति प्रभावित होने की संभावना नहीं है।
- xxxix. सकल अचल परिसंपत्तियों पर 22% आय अत्यधिक बढ़ाई गई है और कानून के अनुसार नहीं है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

66. घरेलू उद्योग ने क्षति के आकलन और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. भारत में मांग लगातार बढ़ रही है। एयर कंडीशनर (एसी) बाजार में मजबूत वृद्धि के साथ-साथ एचसीएफ 22 को एचएफसी 32 और एचएफसी 410ए से प्रतिस्थापित करने के कारण विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ गई है।
- ii. दिसंबर 2021 में पाटनरोधी उपायों के लागू होने के बावजूद, विचाराधीन उत्पाद का आयात 2022-23 में बढ़ गया और 2023-24 में आधार वर्ष से अधिक था।
- iii. संबद्ध देश से आयात 2022-23 तक निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से बढ़ा है, फिर 2023-24 में गिरावट आई और फिर जांच की अवधि में और गिरावट आई।
- iv. आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। कीमत कटौती 20-30% की रेंज में है।
- v. 2022-23 में बिक्री की लागत बढ़ गई और 2023-24 में और बढ़ गई। इस अवधि के दौरान बिक्री कीमत, बिक्री लागत में वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ी क्योंकि संबद्ध देश से आयातों उस कीमत पर असाधारण उछाल आया था, जो घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।
- vi. चीन जन.गण. से आयात घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम कीमतों पर प्रवेश आने जारी हैं। जांच की अवधि को छोड़कर, पूरी क्षति की अवधि के दौरान, लागत कटौती सकारात्मक रही।
- vii. जांच की अवधि के दौरान, आयात की पहुंच कीमत बिक्री की लागत से मामूली रूप से अधिक थी। जैसे-जैसे आयात कीमत बढ़ी, घरेलू उद्योग लाभ कमाने की स्थिति में था।
- viii. 2021-22 और 2023-24 के बीच, जबकि बिक्री की लागत में लगातार वृद्धि हुई, आयात की पहुंच कीमत में लगातार गिरावट आई।

- ix. चूंकि, जांच की अवधि में बिक्री की लागत और आयात की मात्रा में गिरावट आई, घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को लाभकारी स्तर तक बढ़ाने में सक्षम था।
- x. यह तथ्य कि पाटनरोधी शुल्क के बावजूद कम कीमत वाले आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई, यह सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग पाटन के प्रति सुभेद्य बना हुआ है।
- xi. घरेलू उद्योग की क्षमता दिसंबर 2024 में बढ़ गई, जो जांच की अवधि में पूरी तरह से प्रचालनात्मक हो गई। उत्पाद की बढ़ती मांग के अनुरूप क्षमता विस्तार किया गया था।
- xii. 2023-2024 तक घरेलू उद्योग का उत्पादन और घरेलू बिक्री लगभग स्थिर रही क्योंकि 2022-2023 और 2023-2024 के दौरान, पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद, चीन से आयात असाधारण रूप से बढ़े।
- xiii. चूंकि, जांच की अवधि में चीन जन.गण. से आयातों में गिरावट आई, अतः घरेलू बिक्री और परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई।
- xiv. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2022-23 में गिरावट आई और 2023-24 में लगातार चीनी पाटन के कारण हानियां हुईं। घरेलू उद्योग जांच की अवधि में लाभ कमाने में सक्षम था क्योंकि चीन से आयात में गिरावट आई थी।
- xv. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में उपाय लागू होने के बाद सुधार हुआ है और चीन से आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
- xvi. इस तथ्य के बावजूद कि जांच की अवधि में पाटित आयातों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई, पाटित आयातों ने क्षति की अवधि में मांग में 25-35% हिस्सेदारी रखी।
- xvii. घरेलू उद्योग के पास भारतीय बाजार में पूरी मांग को पूरा करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त, दो अन्य उत्पादकों ने बाजार में बिक्री शुरू कर दी है।
- xviii. घरेलू उद्योग में औसत मालसूची 2022-2023 में बढ़ गई, 2023-2024 में घट गई और जांच की अवधि में बढ़ गई।
- xix. घरेलू उद्योग की प्रतिदिन उत्पादकता में क्षति की अवधि के दौरान सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग द्वारा की गई क्षमता विस्तार से, रोजगार सृजित हुआ है, और प्रदत्त मजदूरी में वृद्धि हुई है।
- xx. घरेलू उद्योग ने 2023-24 तक कीमत मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की थी, जो चीन से आयात में गिरावट के कारण जांच की अवधि में सकारात्मक हो गई है।
- xxi. घरेलू उद्योग के लिए बिक्री की बढ़ती लागत के बावजूद कम कीमत वाले निर्यात में वृद्धि हुई, जिससे भारतीय उत्पादकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।
- xxii. 2022-2023 और 2023-2024 के दौरान बिक्री की लागत बढ़ गई। तथापि, अपने अधिशेष उत्पादन का निपटान करने के लिए, चीन में उत्पादकों ने घटती कीमतों पर भारतीय बाजार में उत्पाद का बड़े पैमाने पर निर्यात किया।
- xxiii. चीनी निर्यातकों की इस रणनीति ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और शुल्क को अप्रभावी बना दिया है। घरेलू उद्योग 2021-22 में लाभप्रद था, जो 2022-23 में तेजी से घट गया और वर्ष 2023-24 में हानियां होने लगी।
- xxiv. यद्यपि, संबद्ध सामानों का निर्यात कम हो गया, लेकिन निर्यात कीमत अभी भी तीसरे देशों की निर्यात कीमत के साथ-साथ घरेलू बिक्री कीमत से कम रही।

- xxv. यूएई से आयात केवल जांच की अवधि में शुरू हुआ। आयात एक ऐसी कीमत पर आ रहा है जो संबद्ध देश से आयात कीमत से काफी अधिक है।
- xxvi. बाज़ार में एक नए घरेलू उत्पादक के प्रवेश मात्र से यथा तथ्यतः यह सिद्ध नहीं होता है कि क्षति की अवधि के दौरान मौजूदा घरेलू उद्योग एक स्वस्थ या लाभप्रद स्थिति में था।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

63. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में हास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रुकी है, जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।
68. क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त लेनदेन-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।
69. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंडों में गिरावट दिखाई दे। कुछ मापदंड गिरावट दिखा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य नहीं दिखा सकते हैं। प्राधिकारी ने सभी क्षति मापदंडों पर विचार किया है और उसके बाद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति जारी है या बार-बार होती है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठ रूप से क्षति के मापदंडों की जांच की है।
70. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करते हुए इसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को यथा-तथ्यतः हल किया गया है।
71. हितबद्ध पक्षकार के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को कोई भी क्षति यूएई से आयात के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूएई से आयात केवल जांच की अवधि में शुरू हुए थे और यूएई से आयात कीमत चीन जन.गण. से आयात कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत अधिक हैं। अतः, यूएई से आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारण नहीं हो सकते हैं।
72. हितबद्ध पक्षकार के इस अनुरोध के संबंध में कि चीन जन.गण. से आयात की कीमतें लगातार बढ़ी हैं और जांच की अवधि के बाद आयात की मात्रा में गिरावट आई है, जिससे जांच की अवधि के बाद विश्लेषण की आवश्यकता है। वर्तमान कार्यवाही एक निर्णायक समीक्षा है, जिनमें जांच स्पष्ट रूप से वर्तमान तारीख से है और पिछले तीन वर्षों के साथ-साथ बारह माह की जांच की अवधि उस जांच के लिए पर्याप्त आधार बनती है।
73. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि संयंत्र बंद होने से घरेलू उद्योग को जो क्षति हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का उत्पादन और घरेलू बिक्री क्षति की अवधि में बढ़ गया है। जबकि 2021-22 और 2022-23 की अवधि में उत्पादन और घरेलू बिक्री कम थी, घरेलू उद्योग का संयंत्र इष्टतम क्षमता उपयोग पर काम कर रहा था। अतः, क्षति की अवधि के दौरान कोई असाधारण अनियोजित संयंत्र बंदी, जिसमें जांच की अवधि भी शामिल है, से उसका निष्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो सकता या उससे हुई क्षति में योगदान नहीं हो सकता।

74. हितबद्ध पक्षकारों इस अनुरोध के संबंध में कि क्षतिरहित कीमत की गणना के लिए नियोजित पूंजी पर 22% आय की पद्धति बढ़ाई गई है और कानून के अनुसार नहीं है, प्राधिकारी मानते हैं कि यह एक सतत परिपाटी है कि जब तक हितबद्ध पक्षकार अलग आय पर विचार करने की आवश्यकता न दर्शाएं, तब तक 22% आय क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए अनुमत होगी। *ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* में हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड में साक्ष्य रखा कि पूरे विश्व में संबद्ध सामानों के उत्पादकों द्वारा कम आय अर्जित की गई है। तथापि, उस निर्णय के बाद कई ऐसे मामले हैं जिनमें न्यायाधिकरण ने माना है कि 22% आय उचित है, जब तक कि यह सिद्ध करने के लिए ठोस साक्ष्य न हों कि अलग आय की अनुमति दी जानी चाहिए थी। *तांगशान सान्योउ ग्रुप हांगकांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ* के मामले में न्यायाधिकरण ने उल्लेख किया है कि चूंकि हितबद्ध पक्षकारों ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया कि 22% आय अनुचित थी, इसलिए उसके द्वारा निरंतर अपनाई गई परिपाटी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था।

“11. नियोजित पूंजी पर आय भी विवाद का विषय-वस्तु है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूंजी-गहन वीएसएफ उद्योग के लिए निवेश पर 22% आय को उचित माना। वास्तव में हम नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने निवेश काफी कम होने के कारण 22% से अधिक आय दर का दावा किया है, क्योंकि संयंत्र पुराना है और स्पष्ट रूप से मूल्यहासयुक्त है। हम यह भी नोट करते हैं कि पूर्व के मामलों में न्यायाधिकरण ने 22% आय को अपनाया था। अपीलकर्ता द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, वे तथ्यों पर हैं जहां हितबद्ध पक्षकारों ने कम आय के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता ने पूंजी पर किसी विशेष आय को समुचित और उचित होने का दावा करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। ऐसी स्थिति में, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई सतत परिपाटी पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वास्तव में, पूंजी पर आय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उस आय से कम निर्धारित की गई थी, जो घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई है।”

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा है कि 22% की आय पर विचार करने से कोई विचलन उचित और अधिक उपयुक्त है। अतः, सतत परिपाटी के अनुसार, प्राधिकारी क्षतिरहित कीमत की गणना के लिए 22% आय को अपनाना उचित मानते हैं।

छ. 3.1 मांग का आंकलन/स्पष्ट खपत

76. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में समान वस्तु की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, चूंकि घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है, इसलिए मांग का आकलन अलग से किया गया है, जिसमें कैप्टिव खपत शामिल है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	161	198	411
3	चीन से आयात	एमटी	6,144	8,774	7,129	1,571
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	143	116	26
5	अन्य देशों से आयात	एमटी	-	-	-	3,538
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	100
7	कैप्टिव को छोड़कर मांग	एमटी	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	143	193

9	कैप्टिव खपत	एमटी	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	109	130
11	कैप्टिव सहित मांग	एमटी	***	***	***	***
12	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	134	135	178

77. यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि में उत्पाद की मांग बढ़ गई है। इसके अलावा, मांग में वृद्धि काफी अधिक है।

छ.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

78. आयात की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या संबद्ध देश से पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष रूप से काफी वृद्धि हुई है। इसका विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1.	आयात मात्रा					
क.	संबद्ध देश	एमटी	6,144	8,774	7,129	1,571
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	143	116	26
ख.	अन्य देश	एमटी	-	-	-	3,538
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	100
ग.	कुल आयात मात्रा	एमटी	6,144	8,774	7,129	5,109
	प्रवृत्ति	एमटी	100	143	116	83
2.	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
क.	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	131	91	11
ख.	भारतीय मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	81	13

79. यह देखा जाता है कि:

- क. संबद्ध देश से आयात 2022-23 में पूर्ण और सापेक्ष रूप से बढ़ गया, फिर 2023-24 में घट गया और फिर जांच की अवधि में इसमें और गिरावट आई।
- ख. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन सरकार ने उत्पाद के लिए निर्यात कोटा को रोक दिया है और पूर्ण कोटा जारी नहीं किया है, और इसलिए, चीन से समग्र निर्यात में गिरावट आई है।
- ग. चीन से निर्यात में गिरावट के साथ, संयुक्त अरब अमीरात से आयात में वृद्धि हुई। संयुक्त अरब अमीरात से आयात करने वाली कंपनियों ने एचएफसी मिश्रण का उत्पादन करने के लिए मुख्य रूप से आयातित उत्पाद का उपयोग किया है। एचएफसी मिश्रण पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के साथ, भारत में एचएफसी मिश्रण के उत्पादकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें उत्पादकों ने चीन से आर-125 का आयात किया है और एचएफसी-32 का आयात भारतीय उद्योग से या अन्य स्रोतों से किया है। कंपनियां एचएफसी मिश्रणों का उत्पादन करने के लिए अन्य एचएफसी घटकों के साथ इसे मिला रही हैं।

- घ. भारतीय उत्पादन और भारतीय मांग के संबंध में आयात में 2022-23 में वृद्धि हुई, 2023-24 में गिरावट आई और जांच की अवधि में और गिरावट आई।
- ड. क्षति की अवधि में, आयात में पूर्ण और सापेक्ष दोनों दृष्टि से गिरावट आई।

छ.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

80. नियमावली के अनुबंध-II(ii) के संदर्भ में कीमतों पर, पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की तुलना में कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को काफी हद तक कम करने या कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होती। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, उत्पादन की लागत और निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत कटौती

81. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध देश से आयात के पहुंच मूल्य से की गई है। प्राधिकारी ने पैक किए गए फॉर्म और अनपैक किए गए फॉर्म को दो पीसीएन के रूप में अधिसूचित किया है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि सभी आयात अनपैकड रूप में हैं। अतः, बिना पैक किए गए रूप के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री से तुलना करके कीमत कटौती निर्धारित की गई है। यह विचाराधीन उत्पाद के लिए कीमत कटौती दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	एचएफसी अनपैकड	पीयूसी
1	आयात मात्रा	एमटी	1,571	1,571
2	निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***
3	पहुंच कीमत	रु./एमटी	2,74,273	2,74,273
4	कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***
5	कीमत कटौती	%	***	***
6	कीमत कटौती	रेंज	20-30%	20-30%

82. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में, संबद्ध देश से आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है। कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है।

क. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

83. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयात का प्रभाव ऐसी कीमतों को काफी मात्रा तक कम करने या कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि में लागत और कीमतों में परिवर्तन की जांच निम्नानुसार की जाती है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	119	102

3	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	95	120
5	पहुंच कीमत (एडीडी को छोड़कर)	रु./एमटी	2,54,242	2,11,430	2,01,098	2,74,273
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	79	108
7	पहुंच कीमत (एडीडी सहित)	रु./एमटी	342,422	306,271	299,019	374,222
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	89	110

84. यह देखा जाता है कि:

- 2022-23 में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में 11 सूचकांक की वृद्धि हुई। हालाँकि, बिक्री कीमत में केवल लगभग 6 सूचकांक की वृद्धि हुई।
- 2023-2024 में, बिक्री की लागत में सूचकांक में और वृद्धि हुई। हालाँकि, बिक्री कीमत में लगभग 11 सूचकांक की गिरावट आई, क्योंकि इस अवधि में आयात की पहुंच कीमत में भी गिरावट आई।
- घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत जांच की अवधि में 17 सूचकांक से कम हो गई, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में लगभग 25 सूचकांक की वृद्धि हुई। इस अवधि में आयात की की पहुंच कीमत में वृद्धि हुई।
- आयात की पहुंच कीमत का 2022-23 में घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा और 2023-24 में ह्रासमान प्रभाव पड़ा क्योंकि पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी। यह वह अवधि थी जब चीन में उत्पादकों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन में उत्पादन आधार रेखा के अंतिम वर्ष को देखते हुए अपने उत्पादन कोटा तक पहुंचने के लिए काफी मात्रा में निर्यात किया। हालाँकि, तथापि, जांच की अवधि में जैसे चीनी आयात की कीमतें बढ़ीं, घरेलू उद्योग लागत में गिरावट के बावजूद अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम था। इसलिए घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में न्यूनीकरण या ह्रासमान प्रभाव नहीं पड़ा।

छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

- क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

85. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा (घरेलू बिक्री के लिए कैप्टिव खपत सहित और उसे छोड़कर) नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1.	संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
2.	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	126	203
3.	कुल उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
4.	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	103	179
5.	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
6.	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	82	88
7.	कुल उत्पादन – पीयूसी	%	***	***	***	***

8.	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	128	223
9.	घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
10.	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	161	198	411
11.	कैप्टिव बिक्री	एमटी	***	***	***	***
12.	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	109	130
13.	निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
14.	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	86	142
13.	मांग	एमटी	***	***	***	***
14.	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	134	135	178

86. यह देखा जाता है कि:

- घरेलू उद्योग के पास दाहेज और भिवाड़ी में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए दो संयंत्र हैं। घरेलू उद्योग ने अपने दाहेज संयंत्र में अपनी क्षमता बढ़ा ली है।
- घरेलू उद्योग का उत्पादन 2023-24 तक लगभग स्थिर रहा, और जांच की अवधि में काफी बढ़ गया।
- घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 2022-23 में स्थिर रहा, 2023-24 में घट गया और उसके बाद जांच की अवधि में बढ़ गया।
- क्षति की अवधि में घरेलू बिक्री में लगातार वृद्धि हुई।
- घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री 2022-23 में घट गई, 2023-24 में घट गई और जांच की अवधि में बढ़ गई।
- घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि एचएफसी मिश्रण पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के साथ ही इसकी घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है क्योंकि भारत में एचएफसी मिश्रणों के उत्पादकों की संख्या या तो घरेलू उद्योग से या अन्य स्रोतों से आयातों से आर-125 का आयात करने वाले और एचएफसी-32 की खरीद करने वाले उत्पादकों से बढ़ गई है। कंपनियां एचएफसी मिश्रणों का उत्पादन करने के लिए अन्य एचएफसी घटकों के साथ इसे मिला रही हैं।

ii. बाजार हिस्सा

87. घरेलू उद्योग और आयात की बाजार हिस्सेदारी (कैप्टिव खपत की मांग को छोड़कर) नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	138	213
2	चीन से आयात	%	67%	64%	54%	9%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	81	13
3	अन्य देशों से आयात	%	0%	0%	0%	20%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	100

88. यह देखा जाता है कि:

- पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई। वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में भारत में मांग में संबद्ध देश से आयात एक प्रमुख और काफी हिस्सा रख रहा था।
- बाजार हिस्सेदारी जांच की अवधि में घट गई। पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई।
- जांच की अवधि में अन्य देशों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

iii. मालसूची

89. मालसूची के संबंध में सूचना नीचे दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	241	121	159
3	अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	50	66	72
5	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	82	98

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची 2022-2023 में बढ़ी, 2023-2024 में घटी और जांच की अवधि में फिर बढ़ी।

iv. लाभप्रदता

91. संगत सूचना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	लाभ/ (हानि)	रु./एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	27	(263)	393
3	लाभ/ (हानि)	लाख रु.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	44	(520)	1,613
5	पीबीआईटी	रु./एमटी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	50	(163)	366
7	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	(323)	1,504
9	नकद लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	(57)	203
11	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
12	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	(113)	833
13	निवेश पर आय	%	***	***	***	***
14	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	42	(71)	230

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि-

- घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2022-23 के दौरान गिरावट देखी गई और 2023-24 के दौरान वित्तीय हानि में और गिरावट आई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह अवधि चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा में काफी वृद्धि के साथ मेल खाती है, साथ ही ऐसे सामानों की पहुंच/आयात कीमत में तदनुसूची गिरावट भी है।
- प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान, चीन जन.गण. से आयात की मात्रा में गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग अपनी लाभप्रदता और रिकॉर्ड लाभ बनाने रखने में सक्षम था।
- नकद लाभ और निवेश पर आय में 2022-2023 में गिरावट आई, और 2023-2024 में और गिरावट आई, जो जांच की अवधि में में बढ़ गई।

93 यद्यपि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर सकारात्मक आय दर्ज की , तथापि प्राधिकारी मानते हैं कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में समग्र प्रवृत्ति दर्शाती है कि घरेलू उद्योग संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण क्षति के प्रति सुभसेद्य रहा है। एक ही अवधि में अच्छी आय जो कि पाटित आयातों में गिरावट से है, अपने आप में इस तथ्य से विचलित नहीं होती है कि घरेलू उद्योग आयात से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता रहा जब मात्रा इतनी काफी थी, और इसलिए, पाटन और परिणामी क्षति जारी रहना उजागर करता है।

v. उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी

94. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	128	223
3	प्रति कर्मचारी उत्पादन	एमटी/संख्या	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	90	119
5	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	142	188
7	वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	160	286

95. यह देखा जाता है कि:

- घरेलू उद्योग का प्रति दिन उत्पादन 2022-2023 में बढ़ गया है, जो 2023-24 और जांच की अवधि में और बढ़ गया है।
- घरेलू उद्योग के प्रति कर्मचारी उत्पादन में 2022-23 में गिरावट आई है, जिसमें 2023-24 में और गिरावट आई और जांच में की अवधि में वृद्धि हुई।
- क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।

iv. घरेलू उद्योग का वेतन और मजदूरी क्षति की अवधि के दौरान लगातार बढ़ा है।

vi. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उत्पाद की मांग में वृद्धि के साथ-साथ 2023-24 और जांच की अवधि में क्षमता में वृद्धि की है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद, घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में सुधार हुआ है। इस उपाय ने घरेलू उद्योग को क्षमता बढ़ाने की क्षमता प्रदान की है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क से उसे जांच की अवधि में पर्याप्त और उचित लाभकारी कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद की बिक्री बनाए रखने में सक्षम बनाया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रचालन आर्थिक रूप से व्यवहार्य बने रहें और अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करता है। इसलिए यह माना जाता है कि घरेलू उद्योग की अपनी कार्यशील पूंजी की जरूरतों (और नियोजित पूंजी) को वित्तपोषित करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

vii. वृद्धि

97. निम्नलिखित तालिका क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि मापदंडों को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	पीओआई
1	क्षमता	%	0%	26%	61%
2	उत्पादन	%	9%	17%	75%
3	क्षमता उपयोग	%	0%	-18%	8%
4	घरेलू बिक्री	%	61%	23%	108%
5	लाभ/(हानि) – रु./एमटी	%	-73%	-1070%	249%
6	लाभ/(हानि) – लाख रु.	%	-56%	-1289%	410%
7	पीबीआईटी - रु./एमटी	%	-50%	-426%	324%
8	पीबीआईटी – लाख रु.	%	-19%	-500%	566%
9	नकद लाभ – रु./एमटी	%	-47%	-207%	453%
10	नकद लाभ – लाख रु.	%	-14%	-232%	834%
11	निवेश पर आय	%	-58%	-269%	425%

98. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपने लाभप्रदता मापदंडों जैसे कि व्याज पूर्व लाभ, और 2023-24 तक नकद लाभ में भारी नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, जो जांच की अवधि में सकारात्मक हो गई है क्योंकि चीन से आयात में गिरावट आई। मात्रात्मक मापदंडों ने क्षति की अवधि में सुधार दर्शाया है। ऐसा माना जाता है कि क्षति की अवधि में वृद्धि मापदंडों ने मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई है, लेकिन जांच की अवधि में सुधार हुआ है।

viii. पाटन मार्जिन की मात्रा

99. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से भारत में आयात पाटित कीमतों पर हैं। पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और काफी है।

ix. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

100. यह देखा जाता है कि आयात कीमत सीधे घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। संयुक्त अरब अमीरात से आयात, जो केवल जांच की अवधि में आए, कीमत संबद्ध देश के आयात और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से दोनों से ऊपर थी और कीमतों पर नीचे की ओर दबाव नहीं डाला है। इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक आयात है, और यह कि लागू शुल्क ही जांच की अवधि में प्रतिकूल कीमत प्रभाव को रोकता है।

ज.3.5 चोट पर निष्कर्ष

101. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

- i. उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। मांग में यह वृद्धि काफी उल्लेखनीय है।
- ii. संबंधित देश से आयात में 2022-23 में निरपेक्ष तथा सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई, तत्पश्चात 2023-24 में गिरावट आई तथा जांच अवधि में और अधिक गिरावट आई।
- iii. क्षति अवधि के दौरान, आयात में निरपेक्ष तथा सापेक्ष दोनों रूपों में गिरावट आई।
- iv. आयात का भारांकित मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम है। चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयात द्वारा मूल्य अवकर्षण धनात्मक तथा उल्लेखनीय है।
- v. चीन से आयात का भारांकित मूल्य, गैर-जांचित अन्य देशों से आयात मूल्य की तुलना में भी तात्त्विक रूप से कम है। गैर-जांचित अन्य देशों से आयात की मात्रा भी काफी उल्लेखनीय है (3,538 मीट्रिक टन)।
- vi. आयात के भारांकित मूल्य का 2022-23 में घरेलू उद्योग की कीमतों पर दमनकारी (suppressing) प्रभाव तथा 2023-24 में अवनमनकारी (depressing) प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारांकित मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम था।
- vii. घरेलू उद्योग का उत्पादन 2023-24 तक लगभग स्थिर बना रहा, तथा जांच अवधि में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- viii. घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग 2022-23 में स्थिर बनी रही, 2023-24 में इसमें गिरावट आई तथा तत्पश्चात जांच अवधि में इसमें वृद्धि हुई।
- ix. घरेलू विक्रय में क्षति अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि हुई।
- x. घरेलू उद्योग की बाज़ार हिस्सेदारी में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई।
- xi. घरेलू उद्योग के पास औसत माल-सूची (inventory) में 2022-23 में वृद्धि हुई, 2023-24 में गिरावट आई तथा जांच अवधि में वृद्धि हुई।
- xii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2023-24 तक प्रतिकूल बनी रही।

- xiii. जांच अवधि में चीन जनवादी गणराज्य से आयात की मात्रा में गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग अपनी लाभप्रदता को पुनर्स्थापित करने तथा लाभ अर्जित करने में सक्षम रहा।
- xiv. यद्यपि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर धनात्मक प्रतिफल अर्जित किया, तथापि संपूर्ण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन की समग्र प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग, संबंधित देश से डण्ड आयातों के कारण क्षति के प्रति सुभेद्य बना हुआ है।
- xv. घरेलू उद्योग की अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुई है।
- xvi. घरेलू उद्योग ने अपने लाभप्रदता मानदंडों, यथा लाभ, व्याज-पूर्व लाभ तथा नकद लाभ में 2023-24 तक गंभीर ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की, जो चीन से आयात में गिरावट आने के साथ जांच अवधि में धनात्मक हो गई।
- xvii. आयतन मानदंडों ने क्षति अवधि के दौरान सुधार दर्शाया है।
- xviii. चीन जनवादी गणराज्य से भारत में संबंधित वस्तुओं की डंपिंग निरंतर जारी है।

ज. डंपिंग तथा क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना

ज.1 विरोधी हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुतीकरण

102. अन्य हितबद्ध पक्षों ने क्षति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतीकरण किए हैं:

- i. संबंधित देश से आयात में गिरावट आई है। अतः, डंपिंग की पुनरावृत्ति की संभावना नगण्य है।
- ii. डंपिंग रोधी शुल्क की निरंतरता अपेक्षित नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग न तो वर्तमान में क्षति का सामना कर रहा है और न ही क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना सिद्ध करने हेतु कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।
- iii. घरेलू उद्योग का वर्तमान निष्पादन भविष्य के निष्पादन का संकेतक है। आर्थिक निष्पादन सभी प्रमुख निष्पादन सूचकों में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। यह विद्यमान क्षति अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के किसी भी दावे का खंडन करता है।
- iv. वर्तमान मामले में, विचाराधीन उत्पाद हेतु भारतीय आयात नीति तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का संयोजन, क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना को असंभव बना देता है।
- v. शानदोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेटर्स कंपनी लिमिटेड ने कहा है कि इसकी क्षमता में गिरावट आई है तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के कारण चीन जनवादी गणराज्य के लिए समग्र रूप से भी यही प्रवृत्ति है। उत्तरदाता का विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात, जांच अवधि के दौरान घट गया है।
- vi. शानदोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेटर्स कंपनी लिमिटेड ने कहा है कि वह भारत को उचित मूल्यों पर वस्तुओं का निर्यात कर रहा है तथा इस बात की कोई संभावना नहीं है कि निर्यातक वर्तमान में प्रभारित मूल्यों से कम मूल्यों पर भारत को अपना निर्यात करेगा।

vii. चीन के हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों का उत्पादन तथा उपभोग 2024 में स्थिर हो गया है और इसमें वृद्धि नहीं होगी। अतः, चीन से आयात में और अधिक वृद्धि होने की संभावना नहीं है और यह सभी संभावना में और घट जाएगा।

viii. वर्तमान अन्वेषण में मूल अन्वेषण की तुलना में परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, क्योंकि मूल अन्वेषण में आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं था; मूल अन्वेषण में अन्य देशों से कोई आयात नहीं था; तथा एक नए उत्पादक, जीएफएल, ने भी विचाराधीन वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है।

ix. भारत, विचाराधीन वस्तुओं हेतु मूल्य की दृष्टि से आकर्षक बाज़ार नहीं है।

x. वर्तमान मामले में आवेदक ने डंपिंग की निरंतरता अथवा उसे होने वाली क्षति को दर्शाने हेतु जांच-अवधि-पश्चात का कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है।

xi. विचाराधीन वस्तुओं की आयात मात्रा में 2021-22 के 6,358 मीट्रिक टन से 2025-2026 (जांच-अवधि-पश्चात आंकड़े) में 156 मीट्रिक टन तक उल्लेखनीय गिरावट आई है।

xii. भारत मूल्य की दृष्टि से आकर्षक नहीं है। यदि तृतीय देश में आयात मूल्य, भारत में आयात मूल्यों की तुलना में अधिक हैं, तो चीन विचाराधीन वस्तुओं के अपने निर्यात को भारत की ओर क्यों मोड़ेगा, इसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं है।

xiii. संबंधित देश में विचाराधीन वस्तुओं की कोई क्षमता विस्तार नहीं है।

xiv. संबंधित देश से विचाराधीन वस्तुओं का मूल्य 7-8 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम है, जबकि 2021 में यह 2-3 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम था। चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयात मूल्य में चार गुना वृद्धि हुई है, जो डंपिंग के आरोप को समाप्त कर देती है अथवा शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना को निरस्त कर देती है।

ज.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

103. घरेलू उद्योग ने क्षति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित उल्लेख किया है:

- i. मूल जांचों के विपरीत, निर्णायक समीक्षाएँ प्रकृति में संभावित हैं, क्योंकि वे पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- ii. पी.टी. असाहिमास केमिकल्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2015 (328) ईएलटी 417 (ट्राइ-डेल)] में न्यायाधिकरण ने कहा कि ऐसी स्थिति में जब कोई क्षति नहीं होती है, तो प्राधिकारी को यह जांचने की आवश्यकता होती है कि क्या आयात की संभावित मात्रा और कीमत और घरेलू उत्पादकों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, शुल्क समाप्त होने की स्थिति में क्षति के बार-बार होने की संभावना है।
- iii. चीन में उत्पादकों के पास विभिन्न एचएफसी को पाटित करने की क्षमता है, जैसा कि कई न्यायालयों में चीन जन.गण. के संबंध में की गई कई व्यापार उपचार जांचों से सिद्ध है। चीन में उत्पादकों ने इन शुल्कों की प्रवंचना करने के लिए कई तरीके निकाले हैं।
- iv. विचाराधीन उत्पाद के लिए कोटा किगाली संशोधन के तहत निर्धारित नहीं है, जिसका अर्थ है कि चीनी प्रशासनिक प्राधिकारी किसी विशेष एचएफसी उत्पाद के लिए कोटा बदल सकता है।
- v. एचएफसी पर वर्तमान कोटा एचसीएफसी के 65% आधारभूत स्तर पर विचार किए बिना है। एक बार कोटा जारी होने के बाद, चीनी उत्पादकों के पास निर्यात के लिए अधिशेष उत्पादन होगा।

- vi. चीनी निर्यातकों के पास विचाराधीन उत्पाद के लिए अतिरिक्त अधिशेष क्षमता है।
- vii. पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, विचाराधीन उत्पाद की सभी बड़ी हुई मांग को चीनी निर्यातकों द्वारा वापस ले लिया जाएगा।
- viii. संभाव्यता विश्लेषण को केवल किसी विशेष उत्पादक के लिए नहीं बल्कि पूरे संबद्ध देश के लिए किया जाना आवश्यक है। चीन में संबद्ध सामानों के कम से कम 10 उत्पादक हैं। इनमें से केवल 3 उत्पादकों ने भाग लिया है।
- ix. जापान से सीआरसीएस फ्लैट उत्पादों पर पाटनरोधी उपायों की यूएस-निर्णायक समीक्षा के मामले में: डब्ल्यूटी/डीएस244/एबी/आर दिनांक 15-12-2003, अपीलीय निकाय ने पाया कि पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 11.3 निर्णायक समीक्षा में जांच अधिकारियों को "कंपनी विशिष्ट" संभावना निर्धारण करने के लिए बाध्य नहीं करता है।
- x. भारत के लिए, 2024-2026 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन वर्षों के औसत उत्पादन और खपत को भविष्य के चरणबद्ध उद्देश्य के लिए आधार रेखा के रूप में लिया जाएगा।
- xi. भारत चीनी निर्यातकों के लिए एक आकर्षक बाजार बना हुआ है।
- xii. हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के बावजूद कि आयात की कीमतें बढ़ गई हैं, चीन के उत्पादकों की कीमत निर्धारण पद्धति से पता चलता है कि भारतीय बाजार में कीमत वृद्धि अभी भी वैश्विक बाजार में कीमत वृद्धि से कम है।
- xiii. चीनी उत्पादकों एचएफसी-32 का उत्पादन काफी बढ़ाया और आधार-रेखा अवधि के दौरान भारत को निर्यात बढ़ाए तथा निर्यात कीमतें कम की।
- xiv. उच्च आधारभूत उत्पादन हासिल करने के बाद, चीन में उत्पादकों ने भारतीय बाजार में आक्रामक कीमत व्यवहार को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इसका मुख्य कारण यह है कि चीन सरकार ने वर्ष 2024-25 में पूरा कोटा जारी नहीं किया है।
- xv. आर-32 की मांग में अभी भी वृद्धि के साथ, चीनी उत्पादकों के पास अस्थायी रूप से कम उपलब्धता है और उन्होंने अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं।
- xvi. चीन सरकार के पास पर्याप्त समय तक कोटा रहने की संभावना नहीं है और वह इसे भविष्य में जारी करेगी। यह उच्च मात्रा संपूर्ण भारतीय बाजार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है और इसलिए, उपायों की समाप्ति की स्थिति में आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
- xvii. एचएफसी उत्पादों के भीतर कोटा का आवंटन और वितरण अभी भी चीन के विवेक के अधीन है और सरकार कोटा साल-दर-साल या वर्ष में भी प्रदान कर सकती है।
- xviii. चीनी उत्पादक अन्य देशों को भी पाटित कीमतों पर निर्यात कर रहे हैं। इसके अलावा, तीसरे देशों को संपूर्ण निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर किया जाता है।
- xix. कोटा आवंटन से यह भी पता चलता है कि चीन घरेलू नीति प्राथमिकताओं, औद्योगिक निष्पादन और राजनयिक विचारों के आधार पर विभिन्न एचएफसी उत्पादकों के लिए वार्षिक कोटा आवंटन को बदलने के लिए प्रशासनिक विवेकाधिकार रखता है।

- xx. 2024 और 2025 में भी चीन के प्रशासन ने एचएफसी के उत्पादन और खपत के कोटे को बदल दिया है।
- xxi. चीन जन.गण. में उत्पादकों के पास स्विंगिंग क्षमता है, जिसका अर्थ है कि एक ही उत्पादन सुविधा के भीतर और एक ही मशीनरी का उपयोग करके, उत्पादक/निर्यातक विभिन्न एचएफसी उत्पाद का उत्पादन कर सकते हैं। इसकी पुष्टि यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन (यूएसआईटीसी) ने चीन से 1,1,1,2 - टेट्राफ्लोरोइथेन (आर-134ए) में भी की है।
- xxii. चीन से प्रतिभागी उत्पादकों ने भी अपने परिशिष्ट 1 में पीयूसी + एनपीयूसी उत्पादन की सूचना दी है।
- xxiii. अतिरिक्त और स्विंगिंग क्षमताओं के साथ, संबद्ध देश में उत्पादक विभिन्न एचएफसी के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं और अपने उत्पादन और निर्यात को बढ़ा सकते हैं।
- xxiv. चीन में एचएफसी 32 की कुल अनुमानित क्षमता 505 केटी है, उत्पादन कोटा 280 केटी है। केवल 185 केटी की घरेलू खपत के साथ, देशों में उत्पादक के पास 90 केटी का निर्यात कोटा है, जो भारत में मांग से 4 गुना अधिक है।
- xxv. निर्यातकर्ता प्रश्नावली भाग-2 के प्रश्न संख्या 5 के उत्तर में प्रतिभागी उत्पादकों ने पुष्टि की है कि एचएफसी-32 के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है।
- xxvi. जबकि चीन ने एचएफसी को चरणबद्ध करने के लिए नीतियां और योजनाएं स्थापित करने के प्रयास किए हैं, किगाली संशोधन के अनुरूप, उसी का कार्यान्वयन एक ऐसा कार्य है जो नजर से मिलता है उससे कहीं अधिक कठिन है।
- xxvii. जब भारत को निर्यात कीमत की तुलना अन्य देशों को निर्यात कीमत से की जाती है, तो यह देखा जाएगा कि तीसरे देशों को निर्यात का 60% भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर है।
- xxviii. चीन भारत में संबद्ध सामानों की बढ़ती मांग और चीन में उत्पादकों के साथ संबद्ध सामानों की निष्क्रिय क्षमता के कारण शुल्क के न होने से भारत को आयात को मोड़ देगा।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 104. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II(vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों और धारा 9 (5), नियम 23 के तहत निर्धारित अपेक्षा और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना की जांच की है।
- 105. वर्तमान जांच चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाए गए शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के तहत, प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या मौजूदा शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।
- 106. इस तरह के संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में अन्य बातों के अलावा, उन कारकों के लिए प्रावधान है जिन पर विचार किया जा सकता है, अर्थात्
 - i. भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की काफी दर आयात में काफी वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।

- ii. निर्यातकों की क्षमता में पर्याप्त रूप से स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य, या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि जो भारतीय बाजारों में पर्याप्त रूप से पाटित निर्यात की संभावना को दर्शाती है, किसी भी अतिरिक्त निर्यात को लेने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए।
- iii. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी न्यूनीकरण या हासमान प्रभाव पड़ेगा और जिससे और अधिक आयात के लिए की मांग बढ़ने की संभावना होगी; और
- iv. जांची जा रही वस्तु की मालसूची।

107. प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उपरोक्त आवश्यकताओं और निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन की संभावना है, और यदि हां, तो क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में, घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई पूरी संगत सूचना की जांच की।

क. निरंतर पाटन

108. नीचे दी गई तालिका मूल जांच और वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	मूल जांच	वर्तमान जांच
क.	मेसर्स जिबो फियुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड	%	60-70	20-30
ख.	शेडोंग डोंगयु रेफ्रिजरेटर्स कं, लिमिटेड	%	50-60	30-40
ग.	फुजियान किंगल्यू डोंगयिंग केमिकल इंड. क. लिमिटेड	%	70-80	20-30
घ.	अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक	%	90-100	60-70

109. यह देखा जाता है कि चीन से पाटन जारी है। वर्तमान अवधि में पाटन जारी रहना उपायों की समाप्ति की स्थिति में पाटन की संभावना को दर्शाता है।

ख. पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों की काफी वृद्धि दर

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1.	आयात मात्रा					
क.	संबद्ध देश	एमटी	6,144	8,774	7,129	1,571
2.	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
क.	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	112	14
ख.	भारतीय मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	81	13

111. यह देखा जाता है कि 2022-23 के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात, निरपेक्ष रूप से और सापेक्ष रूप से दोनों में बढ़ गया है। इसके बाद, 2023-24 के दौरान इस तरह के आयात में गिरावट आई, और जांच की अवधि के दौरान और गिरावट आई।
112. रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि चीन जन.गण. सरकार ने एचएफसी गैसों के लिए लागू 2024-25 के पूर्ण उत्पादन कोटा को जारी नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने दर्शाया है, और उत्तरदाता उत्पादकों ने विवाद नहीं किया है, कि जांच की अवधि में चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के निर्यात में कमी उपलब्ध कोटा पर उस बाधा के कारण होती है, न कि चीनी उत्पादकों के वाणिज्यिक उन्मुखता में किसी भी बदलाव के कारण। इसके अलावा, चीन के किसी भी प्रतिभागी उत्पादक ने अपनी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में दावा नहीं किया है कि वे "भविष्य में आर 32 के अपने उत्पादन को जोड़ने, विस्तारित करने, कम करने या बंद करने" की योजना बना रहे हैं। इसलिए जांच की अवधि में आयात की मात्रा में गिरावट एक प्रशासनिक उपाय के कारण है, जो प्राधिकारी के समक्ष सामग्री पर अस्थायी और चीन जन.गण. सरकार के विवेक पर प्रतिवर्ती है।

ग. स्वतंत्र रूप से पर्याप्त निपटान योग्य क्षमता

113. प्राधिकारी का मानना है कि एचएफसी को चरणबद्ध करने की प्रतिबद्धता कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन एचएफसी उत्पादों के भीतर कोटा का आवंटन और वितरण अभी भी चीन के विवेक पर है। चीन सरकार के पास विभिन्न एचएफसी उत्पादकों के लिए वार्षिक कोटा आवंटन को बदलने का विवेकाधिकार बरकरार है। किगाली संशोधन में आधार वर्ष (2020-2022) के दौरान चीन में एचएफसी के औसत उत्पादन और उपयोग को लेकर एचएफसी के आधारभूत कीमत की गणना करने का प्रावधान है, साथ ही इकाइयों की गणना के आधार पर एचसीएफसी के आधारभूत स्तर का 65% और कार्बन समतुल्य को एचएफसी के लिए कोटा की गणना करने के लिए लिया जाएगा। रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर, यह देखा गया है कि वर्तमान में एचएफसी उत्पादों के लिए कोटा की गणना के लिए एचसीएफसी बेसलाइन के 65% को ध्यान में नहीं रखा गया है।
114. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अलग अलग उत्पादक अपना संबंधित कोटा आवंटन प्राप्त करने पर, अपने संबंधित कोटा आवंटन पर, अपने स्वयं के वाणिज्यिक विचारों और बाजार मूल्यांकन के आधार पर, उनके द्वारा निर्मित विभिन्न एचएफसी उत्पादों के बीच इस तरह के कोटे को आंतरिक रूप से आवंटित करने और उपयोग करने का विवेकाधिकार बनाए रखते हैं। तदनुसार, किसी उत्पादक का अन्य एचएफसी उत्पादों की तुलना में संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए अपने कोटे का अधिक या कम अनुपात आवंटित करने का निर्णय पूरी तरह से उसके अपने विवेक के भीतर रहता है और चरणबद्ध प्रतिबद्धता से बाध्य नहीं है। घरेलू उद्योग ने यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रदान किए हैं कि उत्पादकों के साथ उत्पादन क्षमता परिवर्तनीय है।
115. कोटा आवंटन की विवेकाधीन प्रकृति और उत्पादन क्षमताओं की विनिमेयता के आलोक में, प्राधिकारी का मानना है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों के पास उपलब्ध एचएफसी की कुल संस्थापित क्षमता और केवल संबद्ध सामानों या उत्पादन कोटा के लिए समर्पित क्षमता ही पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में क्षति की संभावना की जांच के प्रयोजनों के लिए संगत है।
116. नीचे दी गई तालिका घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई चीन की क्षमता और मांग की सूचना दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	पद्धति	आंकड़े
1	क्षमता	एमटी	ए	505,500
2	मांग	एमटी	बी	185,000
3	अधिशेष क्षमताएं	एमटी	सी= ए-बी	320,500

4	भारत में मांग	एमटी	डी	***
5	भारत में मांग के % के रूप में अधिशेष क्षमता	%	ई = सी/डी	***

चीन में 2023 में क्षमता और मांग के अनुसार ली गई क्षमता और मांग

117. प्राधिकारी ने सहयोगी निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तरों की जांच की। प्रतिभागी उत्पादकों के उत्तर के अनुसार अधिशेष क्षमताओं संबंधी सूचना की जांच की गई है और नीचे दर्शाई गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	शानडोंग द्वारा सूचना	जिबो द्वारा सूचना	फुजियान किंगलयु द्वारा सूचना
1	क्षमता (पीयूसी+एनपीयूसी)	एमटी	***	***	***
2	उत्पादन (पीयूसी+एनपीयूसी)	एमटी	***	***	***
3	निष्क्रिय क्षमता (पीयूसी+एनपीयूसी)	एमटी	***	***	***
4	निष्क्रिय क्षमता	%	***	***	***

118. यह देखा गया है कि भारत में मांग की तुलना में, केवल प्रत्युत्तरदायी चीनी उत्पादकों का निर्यात-उन्मुखीकरण भी उल्लेखनीय है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न प्रकार के हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों हेतु उत्पादन सुविधाएं परस्पर-विनिमेय हैं। चीन में हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों के 50 से अधिक उत्पादक हैं। घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पादों के 10 से अधिक उत्पादकों की पहचान की गई है। इन उत्पादकों के पास ऐसी उत्पादन क्षमताएं विद्यमान हैं जो विचाराधीन उत्पाद तथा अन्य प्रकार के हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उत्पादों का उत्पादन कर सकती हैं।

119. यह देखा जाता है कि चीन में क्षमताएं उस देश में मांग से काफी अधिक हैं। चीन में अधिशेष क्षमता भारतीय बाजार में मांग का ***% से अधिक है।

घ. चीन में उत्पादकों की निर्यातोन्मुखता

120. नीचे दी गई तालिका चीन से क्षमता और निर्यात की सूचना दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	पद्धति	आंकड़े
1	क्षमता	एमटी	ए	505,500
2	जांच की अवधि में निर्यात	एमटी	बी	55,985
3	निर्यातोन्मुखता	%	सी= बी/ए	11.08%

121. यह देखा जाता है कि निर्यातोन्मुखता कम है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन कोटा पूरी तरह से जारी नहीं किया गया है और इसलिए चीन से निर्यात में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चीन सरकार ने वर्ष 2024-2025 में पूरा कोटा जारी नहीं किया और लगभग 2,50,000 एमटी के आर 32 के अधिशेष उपलब्ध निर्यात कोटा जारी नहीं किया।
122. प्राधिकारी ने प्रतिभागी उत्पादकों की प्रतिक्रिया के अनुसार निर्यातोन्मुखता संबंधी सूचना का अतिरिक्त रूप से विश्लेषण किया है और नीचे दर्शाया गया है। जांच की अवधि के लिए इस सूचना की जांच की गई है।

जांच की अवधि के लिए

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	शानडोंग द्वारा सूचना	जिबो द्वारा सूचना	फुजियान किंगलयु द्वारा सूचना
1	उत्पादन पीयूसी	एमटी	***	***	***
2	पीयूसी में कुल निर्यात	एमट	***	***	***
3	उत्पादन के % के रूप में निर्यात बिक्री	%	***	***	***

123. यह देखा जाता है कि यद्यपि जांच की अवधि के लिए निर्यातोन्मुखता कम है, तथापि क्षति की अवधि के लिए यह काफी अधिक है। यह इस तथ्य को और पुष्ट करता है कि चीन में उत्पादक काफी हद तक निर्यातोन्मुख हैं।

ड. क्या आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी न्यूनीकरण या ह्रासमान प्रभाव होगा और उनसे आयात के लिए और भी मांग बढ़ने की संभावना होगी ; और

124. नीचे दी गई तालिका घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत और आयात की पहुंच कीमत के बारे में सूचना दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	119	102
3	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	95	120
5	पहुंच कीमत (एडीडी को छोड़कर)	रु./एमटी	2,54,242	2,11,430	2,01,098	2,74,273
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	79	108
7	पहुंच कीमत (एडीडी सहित)	रु./एमटी	342,422	306,271	299,019	374,222
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	89	110

125. यह देखा जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत का 2022-23 में घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव था और 2023-24 में हासमान प्रभाव था क्योंकि पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी। ये वह अवधि थी जब चीन में उत्पादकों ने काफी मात्रा में निर्यात किया ताकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन में उत्पादन आधार रेखा के अंतिम वर्ष के तथ्य को देखते हुए अपने उत्पादन कोटा तक पहुंच सकें।
126. आयात की पहुंच कीमत का जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। हालाँकि, चूंकि चीन सरकार ने पूरा कोटा जारी नहीं किया, इसलिए कीमतें बढ़ गईं। यदि पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होता, तो पहुंच कीमत का घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण तथा हासमान प्रभाव होता।

च. अन्य देशों द्वारा व्यापार उपचारात्मक उपाय

127. घरेलू उद्योग ने एचएफसी के विभिन्न रूपों के निर्यात पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा लगाए गए व्यापार उपचारात्मक उपायों पर सूचना प्रदान की है। नीचे दी गई तालिका में दी गई सूचना दर्शाई गई है।

क्र.सं.	न्याय क्षेत्र	लगाए जाने के आदेश की तारीख	शुल्क
ए	आर-125		
1	यूएसए	एडीडी ओआई- मार्च 2022	ओआई – 277.95% – 278.95%
बी	आर-32		
2	यूएसए	एडीडी ओआई- मार्च 2021	ओआई – 161.49% - 221.06%
		सीवीडी ओआई- मार्च 2022	
3	भारत	एडीडी ओआई- दिसंबर 2021	ओआई – 1171.78 यूएसडॉ./एमटी- 1519.70 यूएसडॉ./एमटी
सी	एचएफसी ब्लैंड्स		
4	यूएसए	(i) एडीडी ओआई- अगस्त 2016	ओआई – 101.82%-216.37%
		(ii) एसएसआर – अक्तूबर 2021	एसएसआर – शुल्क जारी
5	अर्जेन्टीना	एडीडी ओआई- अगस्त 2020	ओआई – 23%
6	भारत	एडीडी ओआई- दिसंबर, 2021	ओआई – 1553.45 यूएसडॉ./एमटी – 2250.56 यूएसडॉ./एमटी
डी	आर-134ए		
7	भारत	(i) एडीडी ओआई- जुलाई, 2011	ओआई – 1.15 यूएसडा./एमटी- 1.41डॉ./किग्रा.
		(ii) एसएसआर – दिसंबर 2016	एसएसआर – 1.29 यूएसडॉ./किग्रा.- 3.24 यूएसडॉ./किग्रा.
8	यूएसए	(i) एडीडी ओआई- अप्रैल 2017	ओआई – 148.79% - 167.02%
		(ii) एडीडी निर्णायम – जुलाई 2022	एसएसआर – शुल्क जारी

9	भारत	एडीडी ओआई- दिसंबर, 2025	ओआई - 4423 यूएसडॉ./एमटी - 4583 यूएसडॉ./एमटी (संदर्भ कीमत)
---	------	-------------------------	---

128. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दावा किया गया है कि अन्य न्यायालयों द्वारा व्यापार उपचारात्मक उपायों के संदर्भ में वर्तमान जांच के लिए असंगत हैं। हालाँकि, प्राधिकारी का मानना है कि अन्य न्यायालयों द्वारा लगाए गए उपाय संबद्ध देश में उत्पादकों के कीमत व्यवहार को उजागर करते हैं और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

129. यह देखा जाता है कि चीन में उत्पादक अन्य न्यायालयों में पाटनरोधी और प्रतिकारी उपायों के रूप में विभिन्न व्यापार उपचारात्मक उपायों के अधीन रहे हैं।

छ. तीसरे देशों से सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात

130. नीचे दी गई तालिका में तीसरे देशों को किए गए निर्यात और सामान्य मूल्य से कम निर्यात की मात्रा दिखाई गई है। चीन से निर्यात को ट्रेडमैप आंकड़ों के आधार पर माना गया है।

क्र.सं.	विवरण	तीसरे देशों को कुल निर्यात	तीसरे देशों को सामान्य मूल्य से कम निर्यात	सामान्य मूल्य से कम निर्यातों का हिस्सा
1	चीन से निर्यात (एमटी)	55,985	35,333	63%

131. यह देखा जाता है कि चीन से तीसरे देश के निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन कीमतों पर है जो संबंधित सामान्य मूल्य से कम हैं। चीन के उत्पादकों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में की गई विभिन्न व्यापार उपचारात्मक जांच से यह और भी पुष्ट होता है।

ज. भारत में निर्यात कीमत से कम कीमत वाले तीसरे देशों को निर्यात

132. प्राधिकारी ने यह जांचने के लिए तीसरे देश के निर्यात का विश्लेषण किया है कि क्या तीसरे देश के निर्यात की कीमत भारत में निर्यात की कीमत से कम है और क्या उपायों के समाप्त होने पर उत्पादकों को उन्हें भारतीय बाजार में मोड़ने के लिए कोई प्रोत्साहन मिलेगा। सीमा शुल्क के आंकड़ों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की जांच की गई है। नीचे दी गई तालिका में स्थिति का सार है।

क्र.सं.	विवरण	तीसरे देशों को कुल निर्यात	भारत में कीमत से कम पर अन्य देशों को निर्यात	भारत में कीमत से कम पर अन्य देशों को निर्यात का हिस्सा
1	चीन से निर्यात (एमटी)	55,985	22,385	40%

133. यह देखा जाता है कि चीन से तीसरे देशों में निर्यात का 40% भारत में कीमत से कम कीमत पर था। इसके अलावा, यह निर्यात मात्रा भारत में खपत का 40% है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, यह मात्रा उन बेहतर कीमतों को देखते हुए भारत में भेजे जाने की संभावना है जो चीनी उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार में प्राप्त करने की संभावना है।

i. क्षतिरहित कीमत से कम कीमत वाले तीसरे देशों को निर्यात

134. प्राधिकारी ने यह जांचने के लिए चीन से तीसरे देश के निर्यात का विश्लेषण किया है कि क्या तीसरे देश का निर्यात घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम है और क्या उनका विचलन घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारक होगा। सीमा

शुल्क के आंकड़ों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की जांच की गई है। नीचे दी गई तालिका सार बताती है।

क्र. सं.	विवरण	तीसरे देशों को कुल निर्यात	तीसरे देशों को क्षतिकारक निर्यात	तीसरे देशों को क्षतिकारक निर्यात का हिस्सा
1	चीन से निर्यात (एमटी)	55,985	55,985	100

135. यह देखा जाता है कि चीन से तीसरे देशों में निर्यात का 70% उन कीमतों पर था जो घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत से कम हैं। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में इस मात्रा को भारतीय बाजार में क्षतिकारक कीमतों पर बेचा जा सकता है।

136. चीन से शेष विश्व में निर्यात को ध्यान में रखते हुए, यह देखा जाता है कि तीसरे देशों को 35,333 एमटी निर्यात का पाटन किया गया था, जबकि 55,985 एमटी क्षतिकारक था और 39,333 एमटी कीमत आकर्षक था। इस प्रकार यह देखा जाता कि 22,385 एमटी डंप पाटित किया गया था, क्षतिकारक और कीमत आकर्षक था। यह मात्रा जांच की अवधि में भारत में घरेलू खपत से अधिक है।

झ. Conclusions on likelihood of injury.

137. उपर्युक्त से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते हैं:

क. चीन जनवादी गणराज्य से डंपिंग निरंतर जारी रही है। वर्तमान अवधि में डंपिंग की निरंतरता, उपायों की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग की संभावना को दर्शाती है।

ख. चीन में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उत्पादों के बड़ी संख्या में उत्पादक (50 से अधिक) विद्यमान हैं, तथा घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पादों के 10 से अधिक उत्पादकों की पहचान की गई है। इन उत्पादकों के पास ऐसी उत्पादन क्षमताएं विद्यमान हैं जो विचाराधीन उत्पाद तथा अन्य प्रकार के हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उत्पादों का उत्पादन कर सकती हैं।

ग. चीन जनवादी गणराज्य की सरकार ने 2024-2025 हेतु हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसों पर लागू संपूर्ण उत्पादन कोटा जारी नहीं किया। अतः, जांच अवधि में आयात मात्रा की गिरावट, एक ऐसे प्रशासनिक उपाय के कारण है जो अस्थायी है तथा चीन जनवादी गणराज्य की सरकार के विवेकाधिकार पर प्रत्यावर्तनीय है।

घ. भाग लेने वाले उत्पादकों के प्रत्युत्तर के अनुसार निर्यात-उन्मुखीकरण के विश्लेषण पर, यह देखा गया है कि भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा उत्पादन का 10-30 प्रतिशत निर्यात किया जाता है।

ङ. चीन के उत्पादकों के पास हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उत्पादों हेतु लचीली क्षमता (स्विंग क्षमता) विद्यमान है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत उत्पादक, चीन की सरकार द्वारा जारी कोटा को अपने द्वारा विनिर्मित विभिन्न हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उत्पादों के बीच, अपने स्वयं के वाणिज्यिक विचारों तथा बाजार आकलन के आधार पर, आंतरिक रूप से आवंटित तथा उपयोग करने का विवेकाधिकार रखते हैं।

च. चीन जनवादी गणराज्य की सरकार, विभिन्न हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उत्पादकों हेतु वार्षिक कोटा आवंटन में परिवर्तन करने का विवेकाधिकार रखती है। वर्तमान में, किगाली संशोधन में उपबंधित हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बनों की आधार रेखा के 65 प्रतिशत को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उत्पादों हेतु कोटा की संगणना में विचार में नहीं लिया गया है।

छ. चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों के पास, घरेलू मांग को ध्यान में रखने के पश्चात उपलब्ध कुल अधिशेष क्षमता 4,13,500 मीट्रिक टन है। यह भारत की मांग का लगभग 20 गुना है।

ज. भाग लेने वाले उत्पादक निष्क्रिय क्षमताओं के साथ परिचालन कर रहे हैं, तथा संबंधित देश के भाग लेने वाले उत्पादकों की संचयी निष्क्रिय क्षमता, भारतीय घरेलू बाज़ार की मांग से अधिक है।

झ. चीन में क्षमता, उस देश की मांग से उल्लेखनीय रूप से अधिक है, तथा आर32 हेतु निर्यात कोटे के लिए उपलब्ध अधिशेष क्षमता लगभग 2,50,000 मीट्रिक टन है।

ञ. जांच अवधि के दौरान आयात मूल्य में वृद्धि हुई है। आयात मूल्य में वृद्धि के बावजूद, भारांकित मूल्य घरेलू उद्योग की विक्रय लागत से केवल मामूली रूप से अधिक है तथा घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य तथा गैर-क्षतिकारक मूल्य से कम है।

ट. चीन से तृतीय-देश निर्यात का एक उल्लेखनीय हिस्सा, संबद्ध सामान्य मूल्य से कम मूल्यों पर है, जो इस तथ्य से पुष्ट होता है कि विभिन्न क्षेत्राधिकारों ने इन निर्यातों पर व्यापार उपचारात्मक उपाय अधिरोपित किए हैं।

ठ. चीन से तृतीय देशों को निर्यात का 40 प्रतिशत, भारत में मूल्य से कम मूल्य पर था। इसके अतिरिक्त, यह निर्यात मात्रा भारत में उपभोग का 40 प्रतिशत है। अतः, डंपिंग रोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, चीनी उत्पादकों को भारतीय बाज़ार में मिलने वाले बेहतर मूल्यों को देखते हुए, यह मात्रा भारत की ओर मोड़े जाने की संभावना है।

ड. चीन से तृतीय देशों को निर्यात का 70 प्रतिशत, घरेलू उद्योग हेतु गैर-क्षतिकारक मूल्य से कम मूल्यों पर था। अतः, डंपिंग रोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में यह मात्रा भारतीय बाज़ार में क्षतिकारक मूल्यों पर विक्रीत की जा सकती है।

ढ. तृतीय देशों को 39,333 मीट्रिक टन निर्यात डंड था, जबकि 22,373 मीट्रिक टन क्षतिकारक था तथा 39,333 मीट्रिक टन मूल्य की दृष्टि से आकर्षक था। इस प्रकार यह देखा गया है कि 22,373 मीट्रिक टन डंड, क्षतिकारक तथा मूल्य की दृष्टि से आकर्षक, तीनों था। यह मात्रा, जांच अवधि में भारत में घरेलू उपभोग से अधिक है।

झ. गैर-आरोपण और कारणात्मक संपर्क

138. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों को छोड़कर किसी भी ज्ञात कारकों की जांच करने की आवश्यकता है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या क्षति पहुंचाने की संभावना है, ताकि इन अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति को पाटित आयातों के लिए जिम्मेदार न ठहराया जा सके। जबकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में कारणात्मक संपर्क की जांच पहले ही की जा चुकी है, प्राधिकारी ने जांच की कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है या क्षति पहुंचाने की संभावना है। यह जांच की गई कि क्या नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने योगदान दिया होगा या घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान करने की संभावना है।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश के अलावा, जांच की अवधि में संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात घरेलू बाज़ार में आए हैं। संयुक्त अरब अमीरात से आयात न्यूनतम स्तर से अधिक हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात न्यूनतम स्तर से कम हैं। संयुक्त अरब अमीरात से आयातों की पहुंच कीमत उस कीमत से काफी

अधिक है, जिस पर संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग में किए जा रहे हैं और घरेलू उद्योग की लागत और कीमत से अधिक हैं, और इसीलिए, घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती।

ख. मांग में संकुचन

140. विचाराधीन उत्पाद की मांग पूरी क्षति की अवधि के दौरान बढ़ गई है। इसलिए, घरेलू उद्योग को किसी भी प्रकार की क्षति को मांग में कमी के कारण नहीं माना जा सकता था।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

141. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

142. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई भी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी उसकी सूचना में नहीं लाई गई है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

143. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

च. निर्यात निष्पादन

144. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यहां जांच की गई क्षति की सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

145. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का संभावित कारण नहीं है।

ज. चोट की संभावना और कारण संबंध पर निष्कर्ष

146. प्राधिकरण के विचार में, निम्नलिखित कारक यह स्थापित करते हैं कि उपायों की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की संभावना विद्यमान है:

क. वर्तमान अन्वेषण में डंपिंग मार्जिन धनात्मक पाया गया है।

ख. चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों ने विभिन्न हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों को अन्य देशों को डंप्ड मूल्यों पर निर्यात किया है।

ग. संबंधित देश के उत्पादकों के पास अधिशेष क्षमताएं विद्यमान हैं, तथा ये क्षमताएं उन देशों में मांग से काफी अधिक हैं।

घ. जांच अवधि में तृतीय देशों को डंप्ड, क्षतिकारक तथा मूल्य की दृष्टि से आकर्षक निर्यातों की मात्रा, भारत में घरेलू उपभोग से अधिक है। अतः, डंपिंग रोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में चीनी उत्पादक अत्यंत कम समय में संपूर्ण भारतीय मांग को अपने अधीन करने में सक्षम हैं।

ङ. यद्यपि विचाराधीन उत्पाद कोटे के अधीन है तथा उत्पादक कोटे से अधिक उत्पादन नहीं कर सकते, तथापि चीनी प्रशासनिक प्राधिकारी समग्र हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों हेतु कोटे का निर्णय करता है तथा किसी विशेष हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उत्पाद हेतु कोटे को परिवर्तित किया जा सकता है।

च. चीन के उत्पादकों का तृतीय-देश बाज़ार में पर्याप्त निर्यात है, जो भारत को निर्यात मूल्य तथा गैर-क्षतिकारक मूल्य से कम मूल्यों पर है।

छ. भारत को निर्यात में वृद्धि की संभावना विद्यमान है। डंपिंग रोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, विचाराधीन उत्पाद की संपूर्ण बड़ी हुई मांग चीनी निर्यातकों द्वारा अपने अधीन कर ली जाएगी।

ज. भारत, चीनी निर्यातकों हेतु एक आकर्षक बाज़ार बना हुआ है।

झ. भारत हेतु, 2024-2026 अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष हैं, क्योंकि इन वर्षों के उत्पादन तथा उपभोग के औसत को आधार रेखा के रूप में लिया जाएगा।

ञ. मूल्य अवकर्षण उल्लेखनीय रूप से धनात्मक है।

ट. आयात का भारांकित मूल्य घरेलू उद्योग की लागत से कम है, तथा अतः, आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में दमन/अवनमन होने की संभावना है।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

ज.1 क्षति-रहित कीमत

147. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। संबद्ध सामानों की क्षतिरहित कीमत जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़े अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षतिरहित कीमत पर क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है, यही व्यवहार यूटिलिटियों के साथ किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत पर कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय न लगाया जाए। संबद्ध सामानों के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर 22% की दर से उचित आय नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए व्याज, कर और लाभ के प्रति अपनाई गई थी।

ट.2 पहुंच कीमत

148. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत दायर किए गए उत्तर के आधार पर निर्धारित की गई है। आयातों की पहुंच कीमत निर्धारित करने के लिए लागू सीमा शुल्क जोड़े गए हैं। संबद्ध देश से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।

ट.3 क्षति मार्जिन

149. ऊपर निर्धारित पहुंच कीमत क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और वह नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	उत्पादक/निर्यातक	क्षतिरहित कीमत	पहुंच	क्षति मार्जिन		
		यूएसडॉ./ए मटी	यूएसडॉ./ए मटी	यूएसडॉ./ए मटी	%	रेंज
1	मेसर्स जिबो फियुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
2	शानडोंग डोंगयु रेफ्रिजरेटर्स कं. लिमिटेड	***	***	***	***	0-10%
3	फुजियान किंगल्यू डोंगयिंग केमिकल इंड. कं. , लिमिटेड	***	***	***	***	
4	अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	20-30%

ट. भारतीय उद्योग के हित**ट.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

150. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के प्रयोक्ताओं के व्यवसायों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
- संबद्ध सामान पर्यावरण ढांचे के तहत नियामक नियंत्रण और लाइसेंसिंग के अधीन हैं। इसलिए, अनियंत्रित आयात वृद्धि के संबंध में चिंताएँ निराधार हैं।
- शुल्क जारी रखने से आपूर्ति विकल्प कम हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाएगी और बाजार में ऊपर की ओर कीमत दबाव पैदा होगा। इससे प्रशीतन सेवा, गैस व्यापार और निचले स्तर के मिश्रण क्रियाकलापों में लगे एसएमई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- अनुचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि आयातक/प्रयोक्ता संबद्ध आयातों को स्वतंत्र रूप से आयात करने की स्थिति में नहीं हैं।
- यदि प्राधिकारी शुल्कों को जारी रखने का निर्णय लेते हैं, तो विचाराधीन उत्पाद की कीमत बढ़ जाएगी, और यह निचले स्तर के प्रयोक्ताओं के व्यवसायों पर गंभीर प्रभाव डालेगी।
- चीन ने प्रौद्योगिकी और नवाचार में काफी निवेश किया है, जिससे अधिक उन्नत उत्पादन प्रक्रियाएं और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनते हैं जो भारतीय बाजार की तुलना में अधिक आकर्षक हैं, जो बाजार में उपलब्ध अन्य उत्पादों की तुलना में अधिक आकर्षक है।

- vii. रेफ्रिजरेट और एयर कंडीशनिंग क्षेत्र अत्यधिक कीमत-संवेदी है और विनिर्माण कार्यक्रम, वारंटी दायित्व और सर्विसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेट की विश्वसनीय आपूर्ति पर निर्भर है।
- viii. विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से एयर कंडीशनर (एसी) घटकों के उत्पादकों के हित को गंभीर रूप से कमजोर कर देगी, जो व्हाइट गुड्स (पीएलआईडब्ल्यूजी) के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना का आधार है।
- ix. संबद्ध सामानों के प्रयोक्ता पहले से ही संबद्ध सामानों के आयात के लिए गैर-व्यापार बाधा का सामना कर रहे हैं।

ट.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

151. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. पाटनरोधी शुल्क 2021 में लगाया गया था और निचले स्तर के उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का कोई भी प्रभाव पहले ही हो चुका होगा। हालाँकि, संबद्ध सामानों की मांग में लगातार वृद्धि के संकेत मिलते हैं कि निचले स्तर के उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव न्यूनतम रहा है।
- ii. प्राधिकारी ने विगत में कई मामलों में जांच की है और सकारात्मक जांच-परिणाम जारी किए हैं जहां विचाराधीन उत्पाद को आयात नीति के तहत 'प्रतिबंधित' के रूप में वर्गीकृत किया गया था या जहां केवल लाइसेंस/प्राधिकारी के माध्यम से आयात की अनुमति दी गई थी।
- iii. हितबद्ध पक्षकार ने चीन से संबद्ध सामानों की खरीद बंद कर दी है और यूआई से लेना शुरू कर दिया है। इसलिए, अधिक उन्नत उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता पर टिप्पणियां, जिसके कारण चीनी उत्पादों को प्राथमिकता दी गई, संधारणीय नहीं हैं।
- iv. घरेलू रेफ्रिजरेट आयातक संघ अपने सदस्यों का पूर्ण रूप से प्रतिनिधि नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातकों में से, केवल गुप्ता ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड ने वर्तमान जांच में भाग लिया है। कीरो रेफ्रिजरेट्स प्राइवेट लिमिटेड, जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा आयातक, ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।
- v. एमपीसीएल ने व्यापार सूचना 07/2021 की आवश्यकताओं के अनुसार आयातक या प्रयोक्ता प्रभावली का उत्तर दायर नहीं किया है। आयातक से प्रतिक्रिया की आवश्यकता है ताकि प्राधिकारी को सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) और 6(5) के अनुसार आवश्यक माना जाता है।
- vi. एमपीसीएल ने मौखिक सुनवाई के दौरान कोई भी अनुरोध नहीं किए हैं। इसलिए, एमपीसीएल को एक असहयोगी पक्षकार रूप में माना जाना चाहिए।
- vii. गुप्ता ऑक्सीजन ने अपने स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार, चीन जन.गण. से संबद्ध सामान नहीं खरीदे हैं और यूआई से संबद्ध सामान प्राप्त किए हैं। इस प्रकार, गुप्ता ऑक्सीजन पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग) के तहत किसी भी श्रेणी के हितबद्ध पक्षकार के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए वर्तमान जांच में इसे हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

- viii. 40,000 रु. के मूल्य बैंड में आने वाले एसी के लिए 122 रु., का प्रभाव 0.31% है। रेफ्रिजरेटर के संबंध में, प्रभाव 136 रु. है, जो प्रति रेफ्रिजरेटर 0.68% है, जो 20,000 के कीमत बैंड में आता है और पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 204 रु. है, जो 1,50,000 की सीमा में आने वाले हीट पंप के लिए 0.14% है।
- ix. एचएफसी-32 का उपयोग एचएफसी मिश्रणों के उत्पादन में किया जाता है। चूंकि एचएफसी मिश्रण पर पाटनरोधी उपाय लग रहे हैं और लागत में वृद्धि को आसानी से अंतिम ग्राहक तक पहुंचा देगा और अंतिम ग्राहक पर लागत में वृद्धि आसानी से लग जाएगी। अंतिम ग्राहक की समग्र लागत में एचएफसी 32 की हिस्सेदारी बहुत कम होगी। विचाराधीन उत्पाद की मांग कीमत के प्रति अप्रभावित है। जांच की अवधि में उत्पाद की कीमत बढ़ गई और मांग भी बढ़ गई। यह साक्ष्य कि कीमत वृद्धि को लेने की निचले स्तर के उद्योग की क्षमता न्यूनतम कीमत वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है।
- x. विचाराधीन उत्पाद की मांग कीमत के प्रति अप्रभावित है। जांच की अवधि में उत्पाद की कीमत बढ़ गई और मांग भी बढ़ गई। यह साक्ष्य कि पाटनरोधी शुल्क जारी रहने के कारण न्यूनतम कीमत वृद्धि की तुलना में कीमत वृद्धि को लेने के लिए निचले स्तर के उद्योग की क्षमता काफी अधिक है।
- xi. यूआई और यूएसए से संबद्ध सामानों की आयात कीमत संबद्ध देश से आयात कीमत की अपेक्षा काफी अधिक है। यदि आयातक/प्रयोक्ता इन देशों से ऊंची कीमत पर संबद्ध सामान खरीद रहे हैं और फिर भी घरेलू बाजार में जीवित हैं, तो आयातक/प्रयोक्ता चीन जन.गण. से आयातों के लिए कीमत वृद्धि बनाए रख सकते हैं।
- xii. संबद्ध सामानों के आयातक केवल व्यापारी हैं। इन व्यापारियों का व्यापार मॉडल ऐसा है कि खरीद लागत में किसी भी वृद्धि को आसानी से अपने ग्राहकों पर लगाया जा सकता है।
- xiii. घरेलू उद्योग में अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी भारत में पूरी मांग को पूरा करने की क्षमता है। वास्तव में, वर्तमान में घरेलू उद्योग की क्षमता मांग से अधिक है। भारत में आने वाले किसी भी आयात से व्यापार घाटे में अनावश्यक वृद्धि होती है।
- xiv. सार्वजनिक हित खुद को केवल उपभोक्ता उद्योग के हित तक सीमित नहीं रखता है और यह एक व्यापक शब्द है, जो अपने दायरे में घरेलू उद्योग और अंततः आम जनता के हित को शामिल करता है।
- xv. घरेलू बाजार में घरेलू उत्पादन की अर्थक्षमता सुनिश्चित करने और भारत को उत्पाद पर केवल आयात पर निर्भर होने से रोकने के लिए भारतीय बाजार में एक समान स्तर सुनिश्चित करने के लिए पाटनरोधी शुल्क का जारी रहना आवश्यक है।
- xvi. उत्पाद का मजबूत, प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन होना आम जनता के हित में है। भारत को वह विनिर्माण शक्ति बनाने के लिए घरेलू विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है जो वह बनना चाहता है।
- xvii. घरेलू बाजार में, दो अन्य घरेलू उत्पादक हैं, अर्थात् नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। जांच की अवधि के दौरान आयात यूआई से भी आने शुरू हो गए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आयातकों के पास उत्पाद को प्राप्त करने के लिए कई विकल्प हैं और घरेलू उद्योग को अन्य उत्पादकों के साथ-साथ अन्य देशों से आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता होगी।
- xviii. संबद्ध देश में उत्पादक केवल अपने राजस्व को अधिकतम करने के उद्देश्य से काम करेंगे और भारत में भारतीय बाजार या उपभोक्ताओं के दीर्घकालिक विकास में उनकी कोई हिस्सेदारी और हित नहीं है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

152. प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों के हितों पर विचार करने के आधार पर है।
153. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित, सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव शामिल है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से उत्पन्न होने वाली नई स्थिति में समायोजन की वृद्धि अथवा विलंब की संभावना वाले कारकों के संबंध में सूचना मांगी।
154. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य, सामान्य तौर पर, पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुले और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से विचाराधीन उत्पाद के साथ-साथ भारत में संबद्ध सामानों का प्रयोग करके विनिर्मित अन्य निचले स्तर के उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों के लागू होने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों के लागू होने से संबद्ध देश से कम कीमत वाले आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन मापदंडों में गिरावट को रोका जा सकेगा और विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
155. प्राधिकारीने इस जांच में सभी पंजीकृत प्रयोक्ताओं/आयातकों को एक प्रयोक्ता/आयातक प्रश्नावली परिचालित की थी। सभी पंजीकृत प्रयोक्ताओं/आयातकों, अर्थात् गुप्ता ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड और घरेलू रेफ्रिजरेट आयातक एसोसिएशन ने प्राधिकारी के पास यह प्रयोक्ता/आयातक प्रश्नावली दायर की है। प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिसे इस जांच के लिए सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। इस जांच में रुचि रखने वाले पंजीकृत पक्षकारों में से, घरेलू उद्योग, मेसर्स जिबो फेयुआन केमिकल कं, लिमिटेड, शेंडोंग डोंगयु रेफ्रिजरेट्स कं, लिमिटेड, गुप्ता ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड और घरेलू रेफ्रिजरेट आयातक एसोसिएशन ने प्राधिकारी के पास यह आर्थिक हित प्रश्नावली को दायर की है।
156. घरेलू उद्योग ने निचले स्तर के उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को परिमाणित किया है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	एसी	रेफ्रिजरेटर	हीट पंप सिस्टम
1	उत्पाद की औसत कीमत	रु.	40,000	20,000	1,50,000
2	प्रति यूनिट खपत	किग्रा.	0.9	1	1.5
3	लागू एडीडी	डॉ/कि.ग्रा.	1.6	1.6	1.6
4	एक्स-रेट	डॉ. से रु.	85	85	85
5	एडीडी	रु./किग्रा.	136	136	136
6	कीमत पर प्रभाव	रु./किग्रा.	122.4	136	204
7	अंतिम उत्पाद कीमत पर प्रभाव	%	0.31%	0.68%	0.14%

157. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निचले स्तर के उद्योग की कीमतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव नगण्य होगा।
158. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से भारत में संबद्ध सामानों की कमी नहीं होगी। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। अतः, शुल्क जारी रखने से उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं होगी। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में मांग से अधिक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे। दो अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात भी हैं, जो भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति करते हैं।
159. हितबद्ध पक्षकारों की इन टिप्पणियों के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से एयर कंडीशनर (एसी) घटकों के उत्पादकों के हित को गंभीर रूप से कमजोर होगा, जो व्हाइट गुड्स (पीएलआईएसडब्ल्यूजी) के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना का आधार हैं, इस पर हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निवारण करना और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल करना है, न कि वैध आयात को प्रतिबंधित करना या पाटन को दूर करने के लिए आवश्यक से परे सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा, पीएलआईएसडब्ल्यूजी की मौजूदगी का अर्थ यह नहीं है कि निचले स्तर के उद्योगों द्वारा अपेक्षित इनपुट अनिवार्य रूप से पाटित कीमतों पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। निचले स्तर के उद्योग के हितों को उचित बाजार स्थितियों को सुनिश्चित करने और घरेलू उद्योग को क्षति से बचाने की आवश्यकता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि पाटनरोधी शुल्क एयर कंडीशनर/घटकों के उत्पादन की लागत का एक महत्वपूर्ण अनुपात है, न ही उन्होंने अपने उत्पादन लागत, लाभप्रदता, प्रतिस्पर्धात्मकता या पीएलआईएसडब्ल्यूजी के तहत पात्रता पर शुल्क के कथित प्रभाव को निर्धारित किया है। तदनुसार, प्राधिकारी को यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिला है कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से पीएलआईएसडब्ल्यूजी के उद्देश्यों या निचले स्तर के उद्योग के हित गंभीर रूप से कमजोर होंगे।

ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

160. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकारी ने 9 सितंबर 2026 को विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटन करते हुए एक प्रकटन विवरण जारी किया, और सभी हितबद्ध पक्षकारों को इस पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समय दिया। अनुरोधों की जांच नीचे की गई है।

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

161. प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए आवश्यक तथ्यों पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गई थी:
- फुजियान क्विंगलियू तथा उसके संबंधित व्यापारी झेजियांग सानमेई ने पूर्ण प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है, तथा इसका डंपिंग मार्जिन तथा क्षति मार्जिन इस प्रत्युत्तर के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
 - घरेलू उद्योग में प्रमुख आयतन मानदंडों के संदर्भ में सुधार हुआ है। सनसेट समीक्षा में, जहां मुद्रा क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का है, ऐसा सुधार अत्यंत प्रासंगिक है तथा इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

- iii. विचाराधीन उत्पाद हेतु भारतीय आयात नीति का उसे प्रतिबंधित श्रेणी में रखना, विचाराधीन उत्पाद के आयात में उल्लेखनीय गिरावट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं, तथा उत्पादकों/निर्यातकों की क्षमता में गिरावट, यह सिद्ध करते हैं कि क्षति की कोई संभावना नहीं है।
- iv. 22 प्रतिशत नियोजित पूंजी पर प्रतिफल को अपनाने की सतत प्रथा पर प्राधिकरण की निर्भरता, स्वयं में यह स्थापित नहीं करती कि ऐसा प्रतिफल अनुसूची III के अंतर्गत "उचित प्रतिफल" का गठन करता है। अनुसूची III कोई निश्चित 22 प्रतिशत की दर विहित नहीं करती, तथा प्राधिकरण ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि घरेलू उद्योग, संबंधित अवधि के दौरान सामान्य, गैर-डंपिंग स्थितियों में युक्तियुक्त रूप से ऐसा प्रतिफल अर्जित कर सकता था।
- v. डीआरआईए ने संबंधित अन्वेषण में एक संगठन के रूप में भाग लिया है तथा पूर्ण रूप से सहयोग किया है।
- vi. जीओपीएल, जो डीआरआईए के सदस्यों में से एक है, ने भी अपना उपयोगकर्ता प्रश्नावली प्रत्युत्तर, आर्थिक हित प्रश्नावली, लिखित प्रस्तुतीकरण तथा प्रत्युत्तर प्रस्तुतीकरण दाखिल किए हैं।
- vii. घरेलू उद्योग ने क्षति अथवा डंपिंग की किसी संभावित पुनरावृत्ति को दर्शाने वाला जांच-अवधि-पश्चात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो ऐसे आकलन हेतु आवश्यक है।
- viii. शुल्कों को बनाए रखने से, भारत की श्वेत वस्तुओं (व्हाइट गुड्स) हेतु उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना से जुड़े वातानुकूलन क्षेत्र में लागत बढ़ाकर सार्वजनिक हित को क्षति पहुंचेगी। चूंकि आर32, महत्वपूर्ण प्रशीतक मिश्रणों का एक प्रमुख घटक है, अतिरिक्त व्यापार प्रतिबंध घरेलू विनिर्माण तथा नीतिगत उद्देश्यों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

ठ.2 घरेलू उद्योग के विचार

162. प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गई थी:

- i. संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ जैसे देशों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों की मांग में गिरावट आई है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के विनिर्माता तथा अंतिम-उपयोगकर्ता, विकसित होते प्रशीतक मानकों का अनुपालन करने हेतु, आर32 सहित हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों से क्रमशः दूर हो रहे हैं।
- ii. यद्यपि चीन ने किगाली संशोधन के अनुरूप हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने हेतु नीतियां तथा योजनाएं स्थापित करने में प्रयास किए हैं, तथापि इसका कार्यान्वयन जितना प्रतीत होता है उससे कहीं अधिक कठिन कार्य है।
- iii. एक विकासशील देश के रूप में, चीन के हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों का उत्पादन तथा उपयोग बड़ी मात्रा तथा विविधता में होता है, जिसमें अनेक उद्योग उद्यम तथा लंबी औद्योगिक श्रृंखलाएं सम्मिलित हैं, जिससे किगाली संशोधन का कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती बन जाता है।
- iv. वर्तमान में, चीन में 1.7 मिलियन टन से अधिक उत्पादन क्षमता वाले 50 से अधिक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन विनिर्माता हैं, जो 10 से अधिक प्रांतों में वितरित हैं, तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों में कमी का सीधा संबंध बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार से है।

- v. उपायों की समाप्ति के साथ, आयात मूल्यों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दमनकारी/अवनमनकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता का पूर्ण क्षरण, नकद हानियां तथा नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक विनियोग प्रतिफल होगा। अतः, यदि संबंधित आयातों को डंड मूल्यों पर भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने दिया जाता है, तो ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग को तात्त्विक क्षति होने की संभावना है।
- vi. चूंकि भारत, किंगाली संशोधन के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत समूह II देश की श्रेणी में आता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों के औसत भारतीय उत्पादन तथा उपभोग हेतु आधार वर्ष 2024, 2025 तथा 2026 होंगे। अतः, उत्पादन आधार रेखा स्थापित करने हेतु इष्टतम क्षमता का उपयोग करना भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष हैं।
- vii. संभाव्यता विश्लेषण संबंधित देश के संपूर्ण उद्योग के लिए किया जाना अपेक्षित है, न कि केवल किसी विशेष उत्पादक के लिए। संबंधित देश में संबंधित वस्तुओं के 10 से अधिक उत्पादकों में से चीन जनवादी गणराज्य के केवल 3 उत्पादकों ने भाग लिया है।
- viii. विशेष रूप से घरेलू उद्योग की सतत अस्थिरता तथा विद्यमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग तथा क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना को देखते हुए, 5 वर्ष की अवधि हेतु शुल्क का विस्तार अत्यंत आवश्यक है।
- ix. शुल्क का पुनर्मात्रण अनिवार्य नहीं है। विधि के सरल पठन तथा वैश्विक व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि सनसेट समीक्षा की परिधि, विद्यमान शुल्क का मात्र विस्तार है, न कि शुल्क का पुनर्मात्रण।
- x. शुल्क का पुनर्मात्रण, सनसेट समीक्षा का केंद्रबिंदु नहीं है। विश्व व्यापार संगठन करार के अनुच्छेद 11.3 तथा धारा 9क(5), नियम 23(1ख) के साथ पठित, का सुसंगत पठन यह स्पष्ट करता है कि प्राधिकरण को केवल अवधि का विस्तार करना अपेक्षित है तथा सनसेट समीक्षा में शुल्कों की मात्रा का पुनर्मात्रण किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

163. प्राधिकरण ने हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई प्रकटीकरण-पश्चात प्रस्तुतियों की जांच की है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश प्रस्तुतियां उन तर्कों तथा दावों की पुनरावृत्ति हैं, जिनकी इन अंतिम निष्कर्षों के संबंधित अनुच्छेदों में पहले ही, जहां तक आवश्यक समझा गया, जांच तथा समाधान किया जा चुका है। हितबद्ध पक्षों तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए तथा प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक समझे गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है। जो भी प्रस्तुतीकरण मात्र पूर्व प्रस्तुतीकरणों की पुनरावृत्ति थे, तथा जिनकी प्राधिकरण द्वारा पहले ही पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है, उन्हें संक्षिप्तता की दृष्टि से पुनः सम्मिलित नहीं किया गया है।
164. घरेलू उद्योग में प्रमुख आयतन मानदंडों में सुधार होने के प्रस्तुतीकरण के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि क्षति अवधि के दौरान प्रमुख आयतन मानदंडों में सुधार, पूर्व में अधिरोपित डंपिंग रोधी शुल्क, उत्पाद की मांग में वृद्धि तथा भारत हेतु उत्पादन की आधार अवधि के कारण है। प्रवृत्त डंपिंग रोधी शुल्क के बावजूद, घरेलू उद्योग के प्रमुख मूल्य मानदंड 2023-2024 तक प्रतिकूल बने रहे। इन मानदंडों में सुधार केवल जांच अवधि में हुआ। अतः, प्राधिकरण के विचार में, संपूर्ण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन की समग्र प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग, संबंधित देश से डंड आयातों के कारण क्षति के प्रति सुभेद्य बना हुआ है।

165. मूल अन्वेषण की तुलना में निष्पादन में सुधार संबंधी हितबद्ध पक्षों की टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकरण के विचार में उद्योग के निष्पादन में सुधार, प्रवृत्त डंपिंग रोधी शुल्क का परिणाम है, तथा यह स्थापित करता है कि घरेलू उद्योग को पूर्व में भारत में डंड आयातों के कारण क्षति हुई थी। प्रवृत्त डंपिंग रोधी शुल्क के बावजूद, घरेलू उद्योग के प्रमुख मूल्य मानदंड 2023-2024 तक प्रतिकूल बने रहे। इन मानदंडों में सुधार केवल जांच अवधि में हुआ। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि मूल अन्वेषण की अपेक्षा, सनसेट समीक्षा अन्वेषण की अपेक्षा से भिन्न है। यह भी नोट किया जाता है कि सनसेट समीक्षा अन्वेषण में यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को डंपिंग तथा क्षति की निरंतरता होने की संभावना है। क्षति निर्धारण के संबंध में, यदि डंपिंग रोधी शुल्क का वांछित प्रभाव रहा है, तो यह अपेक्षित है कि जिस अवधि के दौरान डंपिंग रोधी शुल्क प्रभावी रहा, उस दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ होगा। प्राधिकरण, कल्याणी स्टील लिमिटेड बनाम पदाभिहित प्राधिकारी, 2006 (203) ईएलटी 418 (अधिकरण – दिल्ली) के मामले में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय अधिकरण के विनिश्चय का संदर्भ लेता है, जो नीचे उद्धृत है:

"15.1 कोई एक अथवा अधिक कारक घरेलू उद्योग को क्षति को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। मूल्य पर डंड आयातों के प्रतिकूल प्रभाव द्वारा प्रदर्शित निर्णायक क्षति को, डंपिंग रोधी शुल्क के अधिरोपण के कारण उद्योग की स्थिति पर आर्थिक कारकों तथा सूचकों में कुछ मामूली सुधारों की गणना करके नज़रअंदाज़ नहीं किया जाएगा।"

166. इस टिप्पणी के संबंध में कि फुजियान क्विंगलियू तथा उसके संबंधित व्यापारी झेजियांग सानमेई ने पूर्ण प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है तथा अतः उन्हें व्यक्तिगत मार्जिन दिया जाना चाहिए, इसकी जांच की गई है, तथा वर्तमान अंतिम निष्कर्षों में व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन निर्धारित कर सम्मिलित किया गया है।

167. हितबद्ध पक्षों की इस टिप्पणी के संबंध में कि 22 प्रतिशत नियोजित पूंजी पर प्रतिफल को अपनाने की सतत प्रथा पर निर्भरता, स्वयं में यह स्थापित नहीं करती कि ऐसा प्रतिफल "उचित प्रतिफल" है। प्राधिकरण नोट करता है कि हितबद्ध पक्षों ने यह दर्शाने वाला कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं रखा है कि 22 प्रतिशत नियोजित पूंजी पर प्रतिफल अपनाना किस प्रकार अनुचित है तथा भिन्न प्रतिफल अपनाना किस प्रकार उचित तथा न्यायोचित होगा।

168. जांच-अवधि-पश्चात आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी हितबद्ध पक्षों की टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि यद्यपि सनसेट समीक्षा अन्वेषण में जांच भावी (prospective) प्रकृति की है, तथापि बारह-मास की जांच अवधि, पूर्ववर्ती तीन वर्षों के साथ, ऐसी जांच हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करती है।

169. भारत की श्वेत वस्तुओं (व्हाइट गुड्स) हेतु उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना से जुड़े वातानुकूलन क्षेत्र के निम्नधारा उत्पादों संबंधी हितबद्ध पक्षों की टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकरण ने निम्नधारा उत्पाद पर शुल्क की निरंतरता के प्रभाव का मात्रात्मक आकलन किया है। यह देखा गया है कि यह प्रभाव अत्यंत नगण्य है। आर32, महत्वपूर्ण प्रशीतक मिश्रणों का एक प्रमुख घटक है, तथा निम्नधारा उद्योग हेतु एक स्वस्थ तथा जीवंत उद्योग आवश्यक है।

ड. निष्कर्ष

170. उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना, किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जैसा ऊपर दर्ज किया गया है तथा पाटन, क्षति, और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या बार बार होने की संभावना के संबंध में उपर्युक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :
- i. वर्तमान सनसेट समीक्षा अन्वेषण अधिनियम की धारा 9क(5) को नियमों के नियम 23 के साथ पठित करते हुए यह जांचने हेतु प्रारंभ किया गया था कि क्या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन घटक आर32 के आयात पर प्रवृत्त डंपिंग रोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को डंपिंग तथा क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
 - ii. एसआरएफ लिमिटेड, संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक था तथा नियमों के नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" का गठन करता है।
 - iii. जांच अवधि के पश्चात, दो संस्थाओं, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, जिसकी क्षमता 10,000 मीट्रिक टन है, तथा नविन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसकी क्षमता 9,000 मीट्रिक टन है, ने भी विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड ने वर्तमान उपाय की निरंतरता का समर्थन किया है। भारत में स्थापित क्षमता अब देश में उत्पाद की वर्तमान तथा संभावित मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त है।
 - iv. चीन जनवादी गणराज्य के भाग लेने वाले किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने चीन की गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था स्थिति की उपधारणा का खंडन नहीं किया है।
 - v. सामान्य मूल्य को अनुसूची I के पैरा 7 के अंतर्गत, संयुक्त अरब अमीरात, जो एक गैर-संबंधित देश है तथा भारत में उल्लेखनीय आयात मात्रा रखता है तथा जिस पर कोई डंपिंग रोधी उपाय प्रवृत्त नहीं है, से भारत को सीआईएफ निर्यात मूल्य के आधार पर रचित किया गया है। निर्यात मूल्य को कारखाना-स्तर तक पहुंचने हेतु समुचित रूप से समायोजित किया गया है।
 - vi. चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयात द्वारा मूल्य अवकर्षण धनात्मक तथा उल्लेखनीय है, जो 20-30 प्रतिशत की सीमा में है, तथा जांच अवधि में भी बना रहता है।
 - vii. चीन जनवादी गणराज्य से आपूर्ति में अस्थायी कमी के कारण, जांच अवधि में आयातों का भारांकित मूल्य बढ़ गया। तथापि, इसके बावजूद, आयातों का भारांकित मूल्य घरेलू उद्योग की विक्रय लागत से कम था।
 - viii. घरेलू उद्योग आधार वर्ष के दौरान लाभ में था। अगले वर्ष लाभ में गिरावट आई तथा 2023-2024 में, घरेलू उद्योग हानि में परिवर्तित हो गया। तथापि, आयात मूल्य में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग जांच अवधि में पुनः उचित लाभ अर्जित करने में सक्षम रहा।
 - ix. चीन जनवादी गणराज्य के पास विभिन्न हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों हेतु 4,13,500 मीट्रिक टन की पर्याप्त मुक्त रूप से उपलब्ध उत्पादन क्षमता विद्यमान है। चीन के उत्पादकों के पास क्षमताएं परस्पर-विनिमेय हैं।
 - x. चीन से विभिन्न तृतीय देशों को निर्यात की मात्रा, जो डंड मूल्य पर, क्षतिकारक तथा मूल्य की दृष्टि से आकर्षक है, भारत में उत्पाद की मांग से अधिक है। अतः, चीनी उत्पादक अपने तृतीय-देश निर्यातों को संपूर्ण भारतीय मांग की

सीमा तक भारत की ओर मोड़ सकते हैं तथा डंपिंग रोधी शुल्क उपायों के अभाव में तृतीय देशों को निर्यात करने में अर्जित राजस्व की तुलना में अधिक राजस्व अर्जित कर सकते हैं। अतः, वर्तमान शुल्क की समाप्ति से चीनी उत्पादकों को अपना राजस्व बढ़ाने हेतु अपने तृतीय-देश निर्यातों को भारत की ओर मोड़ने हेतु प्रेरित होने की संभावना है।

- xi. केवल भाग लेने वाले चीनी उत्पादकों की संचयी निष्क्रिय क्षमता ही भारत में विचाराधीन उत्पाद की संपूर्ण मांग से अधिक है। जांच अवधि में भारत को निर्यात की कम मात्रा, चीन जनवादी गणराज्य की सरकार द्वारा उत्पादन कोटे को अस्थायी रूप से रोके जाने के कारण है।
 - xii. जांच अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य द्वारा तृतीय देशों को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात का एक उल्लेखनीय अनुपात, सामान्य मूल्य से कम तथा उस मूल्य से कम, जिस पर विचाराधीन उत्पाद भारत को निर्यात किया गया था, मूल्यित था। इसके अतिरिक्त, ऐसे संपूर्ण तृतीय-देश निर्यात, घरेलू उद्योग के गैर-क्षतिकारक मूल्य से कम मूल्यित थे।
 - xiii. विचाराधीन उत्पाद तथा अन्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उत्पादों के चीनी उत्पादकों को विभिन्न अन्य क्षेत्राधिकारों (संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अर्जेंटीना) द्वारा डंपिंग रोधी और/अथवा प्रतिकारी उपायों के अधीन रखा गया है। यह विभिन्न क्षेत्राधिकारों में चीनी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उत्पादकों द्वारा क्षतिकारक निर्यात मूल्य-निर्धारण के सतत प्रतिरूप को दर्शाता है तथा प्रवृत्त शुल्क की समाप्ति पर डंपिंग तथा क्षति की संभावना को सुदृढ़ करता है।
 - xiv. डंपिंग रोधी शुल्क की निरंतरता, भारतीय उपभोक्ताओं अथवा व्यापक सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं है।
 - xv. निम्नधारा उत्पादों (वातानुकूलक, प्रशीतक तथा ऊष्मा पंप प्रणालियां) पर शुल्क की निरंतरता का प्रभाव नगण्य है तथा अंतिम उत्पाद के मूल्य के 0.14-0.68 प्रतिशत की सीमा में है।
 - xvi. घरेलू उद्योग, अन्य दो घरेलू उत्पादकों के साथ मिलकर, भारतीय बाज़ार में विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त क्षमता रखता है।
171. ऊपर दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि पीओआई के दौरान चीन पीआर द्वारा संबंधित उत्पाद का डंपिंग जारी रहा है, बावजूद इसके कि एंटीडंपिंग शुल्क लागू है, घरेलू उद्योग का प्रदर्शन अब भी नुकसान के प्रति संवेदनशील है, और वर्तमान में लागू एंटीडंपिंग शुल्क को रोकने से डंपिंग और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है।

ढ. सिफारिश

172. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान कार्यवाही लागू कानून के अनुसार की गई थी। सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत अधिसूचित किया गया और उन्हें जांचाधीन मामलों पर सूचना प्रदान करने और अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, जिसमें पाटन, क्षति, कारणात्मक संपर्क, पाटन और क्षति के बार बार होने की संभावना और भारतीय उद्योग पर उपायों का प्रभाव शामिल है। निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मौजूदा मामले में मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की आवश्यकता है।
173. यह तथ्य कि प्राधिकरण ने समीक्षा जांच में चोट लगने की संभावना के आधार पर उपाय जारी रखने की सिफारिश की है, प्राधिकरण को लगता है कि मार्जिन को फिर से आंकना उचित नहीं होगा। प्राधिकरण यह उचित मानता है कि अधिसूचना संख्या 75/2021-कस्टम्स (ADD) दिनांक 21 दिसंबर 2021 द्वारा लगाए गए निर्णायक एंटी-डंपिंग ड्यूटी

को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश की जाए और इसे अधिसूचना संख्या 22/2025-कस्टम्स (ADD) दिनांक 15 जुलाई 2025 द्वारा संशोधित किया गया है। ये ड्यूटी जारी रखी जानी चाहिए, सिवाय उन उत्पादक निर्यातकों के जिन्होंने मूल जांच में भाग लिया था लेकिन वर्तमान सनसेट समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया। इस सनसेट समीक्षा जांच में गैर-सहयोगी उत्पादक निर्यातकों को शेष ड्यूटी दी गई है।

174. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर स्थापित किया गया है, नीचे दी गई ड्यूटी तालिका के कॉलम (7) में दर्शाई गई राशि के बराबर एंटीडॉपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की जाती है, जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन की तारीख से, संबंधित देश से आने वाले सभी उत्पादों पर अगले पांच (5) वर्षों के लिए लागू होगी।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उप-शीर्ष	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक/निर्यातक	राशि (यूएसडॉ.)	माप की इकाई(एमटी)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29034200	हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मिश्रण	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सदहत कोई भी देश	मेसर्स जिबो फियुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड	1,255.05	MT	US\$
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सदहत कोई भी देश	शांदोंग डोंगयुए रेफ्रिजरेट्स लिमिटेड	1,171.78	MT	यूएसडी
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सदहत कोई भी देश	फुजियान किंगल्यू डोंगयिंग केमिकल इंड. क. लिमिटेड	1,344.60	MT	यूएसडी
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सदहत कोई भी देश	क्र.सं. 1 – 3 पर उजल्लणखत के अलावा कोई भी उत्पादक	1,519.70	MT	यूएसडी
5	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. के अलावा कोई भी देश s	चीन जन.गण.	कोई भी	1,519.70	MT	यूएसडी

**टिप्पणी - सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है, तथा डंपिंग रोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।*

175. उपर्युक्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कंपनियों हेतु विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का प्रयोग, सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन होगा, जिस पर ऐसा चालान जारी करने वाली संस्था के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा दिनांकित घोषणा अंकित हो, जो उसके नाम तथा पदनाम द्वारा पहचाना गया हो, तथा निम्नलिखित प्रकार से प्रारूपित हो:

'मैं, अधोहस्ताक्षरी, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि इस चालान में समाहित भारत को निर्यात हेतु विक्रीत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32 की (मात्रा) का विनिर्माण चीन जनवादी गणराज्य में (कंपनी का नाम तथा पता) द्वारा किया गया था। मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि इस चालान में दी गई सूचना पूर्ण तथा सही है।'

176. यदि ऐसा कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो सभी अन्य दरों पर लागू शुल्क प्रयोज्य होगा। यह अपेक्षा, प्रयोज्य सीमा शुल्क विधि तथा विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले सत्यापन की प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

ण. आगे की प्रक्रिया

177. इन अंतिम निष्कर्षों में नामित प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील कस्टम्स, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष संबंधित अधिनियम / नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 18th September, 2026

Case No. AD (SSR)-11/2025

Subject: Sunset review investigation concerning imports of “Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32” originating in or exported from China PR.

F. No. 7/18/2025-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Anti-Dumping Rules” or “Rules”) thereof,

1. SRF Limited (hereinafter referred to as the “applicant” or the “domestic industry”) filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules for initiation of sunset review investigation concerning imports of Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32 (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods” or “R-32”) from the People's Republic of China (“China PR”) (hereinafter referred to as the “subject country”).
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the domestic industry, the Authority issued a public notice *vide* Notification F. No. 7/18/2025-DGTR, dated 24th September, 2025, published in the Gazette of India, initiating sunset review investigation into imports of the product under consideration from China PR, in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of Anti-Dumping Rules to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and if there is a need for continued imposition of the anti-dumping duties.

A. BACKGROUND OF THE CASE.

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the product under consideration from subject country was initiated by the Authority *vide* Notification No. 06/33/2020-DGTR and Case Number- AD(OI)-28/2020 dated 28th September 2020. Pursuant to a duly substantiated application filed by the domestic industry and after detailed examination, the Authority concluded that the imports from the subject country had caused material injury to the domestic industry. Accordingly, *vide* Final Finding dated 23rd September 2021, the Authority recommended imposition of anti-dumping duties. The Ministry of Finance, thereafter, accepted the recommendation and imposed anti-dumping duties *vide* Customs Notification No. 75/2021-Customs (ADD) dated 21st December 2021.
4. In terms of Section 9A (5) of the Act, any anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such an imposition. Further, Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

“any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry”

5. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
6. The scope of the present review covers all aspects of the final finding dated 23rd September 2021 and Customs Notification No. 75/2021-Customs (ADD) dated 21st December 2021.

B. PROCEDURE.

7. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

3.1 Initiation

- i. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present sunset review application before proceeding to initiate the investigation.

- ii. Upon examination of the application, the Authority found *prima facie* evidence of dumping and consequent injury. Therefore, in accordance with Rule 6, *vide* Notification F. No. 7/18/2025-DGTR dated 24th September 2025, the Authority initiated the present proceedings.

3.2 Period of investigation and injury period:

- iii. The period of investigation (“POI”) was considered as 1st April 2024 to 31st March 2025. The injury period was set to cover the period 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024 and the POI.

3.3 Import data

- iv. A request was made to the Directorate General for Systems and Data Management (“DG Systems”) for transaction-wise import data of the product under consideration for the injury period. The Authority received the data and has relied upon this data for the necessary analysis after due examination of the transactions.

3.4 Circulation of non-confidential version of the application

- v. In accordance with Rule 6(2), the Authority informed interested parties of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassy of the subject country in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject country, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.
- vi. In accordance with Rule 6(3), the Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the government of the subject country through their embassy in India, known exporters of the subject imports and to other interested parties who requested in writing a copy of the application.
- vii. The Authority sent a questionnaire to the government of the subject country through their embassy in India. The government of the subject country was requested to forward the initiation notification and the questionnaires to the producers of the product under consideration in their country and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

3.5 Intimation and participation by exporters of the subject country and users/importers of the product under consideration in India.

- viii. The Authority sent exporter questionnaires to the following known producers/exporters of the subject goods calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

SN	Name of interested party
a.	M/s. Zhejiang Quzhou Juxin Fluorine Chemical Co. Ltd.
b.	M/s. Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd.
c.	M/s. Zibo Feiyuan Chemical Co. Ltd.
d.	M/s. Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd
e.	M/s. Zhejiang Quhua Fluor-chemistry Co. Ltd.
f.	M/s. Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co. Ltd.
g.	M/s. Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd.
h.	M/s. Taixing Meilan New Materials Co. Ltd.
i.	Ace Prosper Corporation
J.	Arkema Daikin Advanced Fluorochemicals (Changshu) Co Ltd
k.	Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd.
l.	Dyaninc Limited
m.	Changshu 3F Zhonghao New Chemicals Materials Co Ltd
n.	Chemours - Mitsui Fluoroproducts Co Ltd
o.	The Chemours Chemical (Shanghai) Co. Ltd.

p.	M/s. Taizhou Qingsong Refrigerant New Material Co. Ltd.
q.	M/s. Sinochem Lantian Fluoro Materials Co. Ltd.
r.	Zhejiang Quhua Fluor-chemistry Co. Ltd. (Exporter)
s.	Hangzhou Juming Imp/Exp. Co. Ltd
t.	Fluo Shanghai International Trade Co., Ltd.
u.	Jiangsu Meilan Chemical Co Ltd
v.	Jiangxi Nanfu Chemical Co Ltd
w.	Jiangxi Xingfu Zhonglan New Materials Co Ltd
x.	Jiangxi Zhongxin Artsen Chemical Materials Co Ltd
y.	The Chemours 3F Fluorochemical S (Changshu) Co., Ltd.
z.	Dongyue group
aa.	Daikin Arkema Refrigerants Asia Limited
bb.	Dongyang Weihua Refrigerants Co. Ltd.
cc.	Inner Mongolia Yonghe Fluorochemical Co Ltd
dd.	Jingxi Lee & Man Chemicals Co Ltd
ee.	Jinhua Yonghe Fluorochemicals Co Ltd
ff.	Juhua Group Co
gg.	Linhai Limin Chemicals Co Ltd
hh.	Liocheng Fuer New Materials Technology Co Ltd
ii.	Liaocheng Ruijin (Hong Kong) Co., Limited
jj.	Lu Xi Chemical (Hong Kong) Co., Limited
kk.	Ninhua Group Co., Ltd.
ll.	Shanghai Huayi 3F New materials Co Ltd
mm.	Sinochem Lantian Co Ltd
nn.	Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co Ltd
oo.	Ruyuan Dongyangguang Fluororesins Co Ltd
pp.	Shaanxi Zhonglan Chemical Technology New materials Co Ltd
qq.	SC Ningbo International Ltd
rr.	Shandong Huaan New Materials Co Ltd
ss.	Shaowu Yonghe Jintang New Materials Co Ltd
tt.	Sinochem Lantian Fluoro Materials Co. Ltd.
uu.	Sinochem Environmental Protection Chemicals Co., Ltd.
vv.	Sinochem Taicang Chemical Industrial Park
ww.	Zhejiang Lantian Environmental Protection Fluoro Material Co., Ltd.
xx.	Zhejiang Yonghe Refrigerants Co Ltd
yy.	Zibo Aofan New Materials Co Ltd
zz.	Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co. Ltd
aaa.	Zhejiang Quhua Fluorine Chemical Co Ltd
bbb.	Zhejiang Fotech International Co.,

- ix. The following producers and exporters from the subject country have registered themselves as interested parties and participated in the present investigation:

SN	Name of interested party
a.	Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co., Ltd.
b.	Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd.
c.	M/s Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd., China
d.	Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd.

- x. The Authority sent importer questionnaires to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

SN	Name of interested party
a.	Ajay Air Products (P) Ltd.
b.	Aone 9 Star Future Pvt. Ltd.
c.	Chillaire Solutions
d.	Cool Chem (Opc) Private Limited
e.	Coolmate Refrigerants Pvt Ltd
f.	Gorakhram Haribux
g.	Gujarat Fluoro Chemicals Ltd
h.	Hindustan Refrigeration Stores
i.	Kartik Traders
j.	Kiro Refrigerants Private Limited
k.	Kolane Refrigerants
l.	Mangali Petrochem Ltd.
m.	Mexfluor India Private Limited
n.	Value Refrigerants Private Limited
o.	Vijay Petrochem Private Limited
p.	Weitron International Refrigeration Equipment (Kunshan) Co., Ltd.

- xi. In response to the initiation of the subject investigation, the following importers/users have registered themselves as interested parties in the investigation.

SN	Name of interested party
a.	Gupta Oxygen Private Limited
b.	MPCL Industries Limited

- xii. In addition to the above, one association, namely, the Domestic Refrigerant Importers Association (DRIA) has registered itself as an interested party in the present investigation.

3.6 Registered Interested Parties

- xiii. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties.

3.7 Economic Interest Questionnaire

- xiv. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire (“EIQ”) to assess public interest and impact of the duties on the wider economy. A copy of the EIQ was sent to the embassy of the subject country, all the known exporters, importers and users and the domestic industry. The EIQ was also shared with the administrative line ministry. Response to the economic interest questionnaire was filed by the following:

SN	Name of interested party
a.	SRF Limited
b.	M/s Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd.
c.	Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd.
d.	Gupta Oxygen Private Limited
e.	Domestic Refrigerant Importers Association

3.8 Oral hearing

- xv. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 5th February 2026. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

3.9 Further Procedure:

- xvi. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings based on the facts available.
- xvii. In accordance with Rule 7, information provided by the interested parties on a confidential basis was examined by the Authority with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide a non-confidential summary of the information filed on confidential basis.
- xviii. In accordance with Rule 8, the Authority conducted verification of the data provided by the domestic industry and other interested parties to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.
- xix. The Authority calculated the non-injurious price ("NIP") for the product under consideration so as to ascertain whether duties lower than the dumping margin would be sufficient to remedy the injury being suffered by the domestic industry. The NIP has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce and sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles ("GAAP").
- xx. The Authority examined the issues raised, information provided, and submissions made by the interested parties during the course of the proceedings, to the extent they were supported by evidence and considered relevant to the present purpose, in making these final findings.
- xxi. "****" represents information furnished by a party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 85.43, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the POI. The same rate has been applied throughout these final findings.¹

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Submission by opposing interested parties

8. The opposing interested parties have not made any submission with regard to the product under consideration and like article.

¹ <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/view>

C.2 Submission by the domestic industry

9. The domestic industry has made the following submissions with regard to the product under consideration and like article:
- i. The product under consideration in the present investigation is the same as defined in the original investigation, i.e., Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32 or Difluoromethane.
 - ii. With regard to PCN methodology, the domestic industry requests the Authority to consider packed form and unpacked form as two different PCNs for the product under consideration or an adjustment may be made in the cost of the domestic industry for packing to arrive at the calculation of non-injurious price.
 - iii. The product under consideration was earlier imported under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under the HS codes 2903 39 19. The tariff classification has undergone a change from 2022 to HS Code 2903 42 00.
 - iv. The subject goods is primarily used as a component in HFC refrigerant blends, namely R-410A and R-407C. It may also be used as a stand-alone refrigerant.
 - v. HFC-32 is one of the most preferred as it has the lowest global warming potential (GWP) values among the refrigerants currently used in the air-conditioning sector.
 - vi. With a GWP of approximately 675, R-32 is significantly lower than conventional refrigerants such as R-410A (GWP ~2088), R-404A (GWP ~3922), and R-22 (GWP ~1,810). This significantly reduces the direct carbon footprint of cooling systems.
 - vii. The ozone depletion potential (ODP) of R-32 is zero, whereas the ODP of R22 and R12 is 0.055 and 1.0, respectively. Though the ODP of R-410A is zero, its high GWP still remains a concern.
 - viii. R32 refrigerants achieve effective cooling with smaller quantities. This reduces manufacturing and maintenance costs and lowers environmental risks from potential leaks.
 - ix. Being a single-component refrigerant, R32 simplifies recycling and maintenance procedures.
 - x. There is no known difference in the like article produced by the domestic industry and the product under consideration exported from the subject country.

C.3 Examination by the Authority

10. The product under consideration ("PUC") and product control numbers ("PCNs") as defined in the initiation notification is provided below. The product under consideration is same as defined in the original investigation-

"4. The product under consideration in the present application is "Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32 or Difluoromethane.

Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32 or Difluoromethane has the chemical formula CH₂F₂ and is registered as CAS No. 75-10-5. It is also known as HFC-32, FC-32, Freon-32, Methylene difluoride, Methylene fluoride, Carbon fluoride hydride, halocarbon R32, fluorocarbon R32, and UN 3252. The HFC Component R-32 is mainly used in residential air conditioning systems".

5. The present application being a sunset review investigation, the product under consideration and PCN remain the same as defined in the original final finding notification.

11. The Authority notified the scope of the product under consideration and the PCN methodology in the notice of initiation. The interested parties were asked to provide their comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.
12. None of the interested parties filed any comments on the scope of the product under consideration and the PCN methodology. Accordingly, for the purpose of filing questionnaire responses, the Authority notified the scope of the product under consideration and the PCN methodology on 28th October 2025. No party has filed any comments on the scope of the product under consideration thereafter and during the investigation.

Manufacturing process of the product under consideration.

13. R-32 is manufactured by the reaction of a chlorinated compound with hydrofluoric acid. This reaction, known as hydrofluorination, yields a carbon-hydrogen-fluorine compound, and hydrochloric acid. The production of R-32 involves the reaction of dichloromethane (CH₂Cl₂, also known as methylene chloride) with chlorine gas and hydrofluoric acid. The result of the reaction is crude R-32 and liquid waste, which is incinerated. The crude R-32 is then purified, which generates food-grade hydrochloric acid through the purification process. Purified R-32 will then go through a drying process.

Uses of product under consideration.

14. The HFC Component R-32 is a colourless, odourless, gaseous chemical that is primarily used as a component in HFC refrigerant blends, namely R-410A and R-407C. It may also be used as a stand-alone refrigerant. Once blended, the HFC gases containing R-32 are used in residential and commercial refrigerant and cooling applications.

Customs classification and customs policy for the product.

15. R-32 belongs to the broad category of hydrofluorocarbons (HFCs) and is governed by the Kigali Amendment to the Montreal Protocol, which entered into force on 1st January 2019. Hydrofluorocarbons are greenhouse gases with high or very high Global Warming Potentials (GWPs) and are known to contribute significantly to climate change by trapping heat in the atmosphere.
16. Amongst all the HFCs, HFC-32 is widely recognised as one of the preferred refrigerants for use in air-conditioning applications. With a GWP of approximately 675, R-32 has a substantially lower GWP than conventional refrigerants such as R-410A (GWP of approximately 2,088), R-404A (GWP of approximately 3,922), and R-22 (GWP of approximately 1,810). Accordingly, the use of HFC-32 significantly reduces the direct carbon footprint associated with cooling systems and represents a more environmentally sustainable refrigerant option.
17. The Kigali Amendment is a global agreement that aims to phase down the production and consumption of HFCs, including R-32, with the objective of preventing significant increases in global temperatures. Under the agreement, countries are required to gradually reduce their production and consumption of HFCs within prescribed timeframes. For this purpose, each country's reduction obligations are measured against a baseline level, which is calculated based on the average production/consumption of HFCs during a specified three-year reference period together with a prescribed percentage of the country's HCFC baseline production/consumption. This baseline serves as the benchmark from which subsequent phased reductions are calculated and monitored.
18. The baseline period, baseline calculation and phasedown schedule is divided into four groups as detailed below:

Article 5 Parties: Group 1 (including China PR)	Baseline years from 2020 to 2022
	Baseline calculation as average production/consumption of HFCs in 2020, 2021 and 2022 <i>plus</i> 65% of HCFC baseline production/consumption
	Reduction of 10% from the baseline beginning in 2029, increasing to 30% in 2035, 50% in 2040 and 80% in 2045.
Article 5 Parties: Group 2 (including India)	Baseline years from 2024 to 2026
	Baseline calculation as average production/consumption of HFCs in 2024, 2025 and 2026 <i>plus</i> 65% of HCFC baseline production/consumption
	Reduction of 10% from the baseline beginning in 2032, increasing to 20% in 2037, 30% in 2042 and 85% in 2047.
Non-Article 5 (Main Group)	Baseline years from 2011 to 2013
	Baseline calculation as average production/consumption of HFCs in 2011, 2012 and 2013 <i>plus</i> 15% of HCFC baseline production/consumption
	Reduction of 10% from the baseline beginning in 2019, increasing to 40% in 2024, 70% in 2029, 80% in 2034 and 85% in 2036.
Non-Article 5 (Belarus, the Russian Federation, Kazakhstan, Tajikistan & Uzbekistan)	Baseline years from 2011 to 2013
	Baseline calculation as average production/consumption of HFCs in 2011, 2012 and 2013 <i>plus</i> 25% of HCFC baseline production/consumption
	Reduction of 5% from the baseline beginning in 2020, increasing to 35% in 2025, 70% in 2029, 80% in 2034 and 85% in 2036.

19. The product under consideration was earlier classifiable under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under the HS Code 2903 39 19. However, from January 2022, the dedicated HS Code of the product under consideration has undergone a change to 2903 42 00.

Like article by domestic industry.

20. Rule 2(d) of the Rules provides the definition of “like article” as under:

“like article” means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.”

21. It is noted that there is no known difference between the product under consideration exported from the subject country and the like article supplied by the domestic industry. The product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and consumers can use them interchangeably.
22. Accordingly, the Authority concludes that the product under consideration is same as defined in the original investigation - Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32 or Difluoromethane.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submission by opposing interested parties

23. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and its standing: -
- i. The domestic industry has not provided declarations confirming the absence of imports for all periods of injury investigation period and the absence of relationships with exporters/importers for all countries during the injury period.

D.2 Submission by the domestic industry

24. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and its standing:
- i. The domestic industry is a multi-business company engaged in the manufacture of chemical based industrial intermediates, not limited to hydrofluorocarbons alone.
- ii. During the injury period, the domestic industry was the only producer of the subject goods.
- iii. Post the POI, two entities, Gujarat Fluorochemicals Limited and Navin Fluorine International Limited also commenced the production of R-32.
- iv. The domestic industry has not imported the subject goods from any source nor is it related to any producer or exporter of the product under consideration in any country.

D.3 Examination by the Authority

25. Rule 2(b) of the Rules define the term ‘domestic industry’ as under:
- “(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.*
26. The application has been filed by SRF Limited. As per the information on record, there was no other producer of the subject goods in India during the POI. Post the POI, two entities, Gujarat Fluorochemicals Limited and Navin Fluorine International Limited, also commenced the production of R-32 with a capacity of 10,000 MT and 9,000 MT, respectively. Gujarat Fluorochemicals Limited has supported the present investigation and has requested for continuation of measures.
27. The Authority has examined the DG Systems transaction-wise import data and notes that SRF Limited has not imported the product under consideration during the POI either from the subject country or from any other country over the injury period. The Authority further notes that the domestic industry is not related to any exporter of the product under consideration in the subject country or to any importer of the product under consideration in India.

28. It is therefore held that SRF Limited constitutes the “domestic industry” within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and satisfies the criteria of “standing”.

E. **CONFIDENTIALITY AND MISC. SUBMISSIONS**

E.1 **Submission by opposing interested parties**

29. The opposing interested parties have made the following miscellaneous submissions:
- i. The import data used by domestic industry is sourced from private source and is not authentic and reliable. The Authority should call for DGCI&S data for the examination of imports.
 - ii. The domestic industry is a habitual user of trade remedy measures.
 - iii. Termination of anti-dumping duty after five years is a rule and continuation is an exception.
 - iv. Domestic industry has claimed excessive confidentiality as a. production process and flowchart; b. the source of their market intelligence for import data; c. email ids of the contact person of the domestic industry; d. details of normal value and dumping margin; e. Evidence for adjustments of export price; f. Number of employees; g. Profit/ loss and ROCE in percentage terms; h. Net selling price for the analysis of price undercutting; i. the information of part VI and raw materials names, and elements of cost, have been claimed confidential.
 - v. Non- confidential version of the petition is not a replica of confidential version. The number of pages should be exactly same in confidential and non-confidential versions.
 - vi. The domestic industry has not provided any details (normal/maintenance/ planned, abnormal/unplanned) and reasons of plant shutdowns.
 - vii. Because of the revised import policy from ‘Free’ to ‘Restricted’ of the product under consideration, imposing an additional anti-dumping duty on top of the same would amount to double protection.
 - viii. The users of the subject goods are already facing a non-trade barrier in order to import the subject goods.
 - ix. If the Authority decides to impose anti-dumping duty, a benchmark form of duty should be a more efficient tool instead of ad valorem duties.
 - x. The domestic industry has not provided any certificate of correctness by domestic industry.
 - xi. The domestic industry has not provided any declaration by legal representative.

E.2 **Submission by the domestic industry.**

30. The domestic industry has made the following miscellaneous submissions:
- i. The respondent has incorrectly argued that the data sourced from private sources are unreliable and not authentic when the Authority has not considered the applicant’s data.
 - ii. It is a settled principle of law that there is no such requirement of proving an “exceptional circumstance” either under the Act or the Rules for extension of duties beyond 5 years.
 - iii. The only condition necessary for extension of duties is whether cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
 - iv. As per the initiation notification dated 24th September 2025, parties are provided 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents to file comments to confidentiality, if any. The present objection on confidentiality is submitted at a very belated stage.
 - v. It is not the requirement of trade notice that the confidential version of the response be an exact replica of the non-confidential version. Mere difference in the number of pages between the confidential and non-confidential versions does not imply that the latter is not a replica of the former, so long as all information and evidence contained in the confidential version have been adequately disclosed in the non-confidential version.
 - vi. The interested party has no access to the confidential version of the application. In the absence thereof, the allegation that the non-confidential version is ‘not a replica’ of the confidential version is speculative. The non-confidential version is actually a replica of the confidential version.
 - vii. Except the cost audit reports, all information provided in the confidential version is also part of the non-confidential version. Where the confidential version was not susceptible to summarization and could not be disclosed, the domestic industry has provided sufficient reasoning.
 - viii. The domestic industry has provided information on shutdown to the Authority and the trade notice 10/2018 does not mandate for providing details of plant shutdown to other interested parties in non-

confidential version of the application.

- ix. The certificate of correctness and declaration by legal representative forms part of checklist as per Trade Notice No. 04/2021.
- x. The Authority has issued a positive finding in multiple investigations wherein the product under consideration was classified as “Restricted” under the import policy or where imports were permitted only through licences/authorisations.

E.3 **Examination by the Authority**

31. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7). With regard to confidentiality of the information submitted by the interested parties, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“7. Confidential Information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

32. It is seen that the domestic industry and interested parties have claimed confidentiality on information, such as production, capacity, capacity utilization, sales volumes, market share, selling price, costs, profits, cash profits, return on capital employed, non-injurious price, cost of production related information, normal value, export price, dumping margin, landed price, injury margin, price adjustments, profit related information, sales channels, sales & purchase documents, customers and suppliers names, etc. It is also seen that wherever information is for injury period, the same has been provided on indexed basis. Wherever information pertains to single year, the same has been disclosed in range, if such disclosure does not compromise confidentiality of information. The interested parties have claimed confidentiality in various supporting documents & information, wherever such information has not been publicly disclosed by them. In those cases where an interested party has not publicly disclosed its annual reports and financial statements, the same has been claimed confidential. Wherever the interested parties have claimed a document as confidential, it is noted that these interested parties have claimed that these documents are not susceptible of summary and have given reasons why summarisation is not possible.
33. The Authority has consistently allowed interested parties to claim confidentiality on such information and documents provided by domestic industry, foreign producers and other interested parties in all investigations. The Authority notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.
34. With regard to the interested party’s submission that the domestic industry is a habitual initiator of trade remedy investigations, thereby indicating a pattern of abuse of the process, the Authority notes that while multiple anti-dumping investigations have been conducted in the past on HFC gases, the anti-dumping duty on the product under consideration is presently the subject of the present sunset review pursuant to the original investigation. Investigations have been initiated, and recommendations for imposition of duty made (wherever warranted), pursuant to the requirements as per the Act and the Rules. Similarly, in the present case, the Authority had initiated this investigation on the basis of duly substantiated written application submitted by the domestic industry and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by the domestic industry concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules.

35. With regard to the interested parties submission on the domestic industry not providing the certificate to the correctness of the information provided in the application and the declaration by the legal representative for the correctness of the information submitted within the application, the Authority notes that both documents were filed by the domestic industry along with the application checklist prior to the initiation of the present investigation. The Authority examined the said documents, verified their authenticity and completeness, and found them to be in order. In any case, the Authority has satisfied itself with regard to the accuracy of information and the same has been adopted in the present final findings.
36. With regard to the interested party's submission that the non-confidential version of the application is not a replica of the confidential version, the Authority notes that the differences arise on account of the manner in which information has been presented in the two versions. Certain data in the confidential version was submitted in Excel format, whereas the non-confidential version was provided in PDF form. Further, confidential figures have been appropriately summarised in the non-confidential version, and certain information is of such a nature that it does not permit meaningful summarisation. Both the confidential and non-confidential versions have been examined and have been found to be in order.
37. With regard to the interested parties' submission on the reliability of import data used for the examination of imports, the Authority notes that it has relied on DG Systems transaction-wise data for the purpose of the present investigation both at the stage of initiation, as reflected in the initiation notification, and for the purpose of the present final findings. It was found that the import volume and value claimed by the domestic industry are comparable to the data reported in the DG Systems transaction-wise data.
38. With regard to the interested party's submission that there is already a restriction imposed in the form of import license, the Authority notes that the requirement to obtain an import authorization does not prohibit imports of the product under consideration, nor does it preclude future imports. The shift in policy was not to provide any level playing field to the Indian industry, but to implement the international commitments made under the Kigali Amendment to the Montreal Protocol. Imports continue to be permitted subject to prior licence issued by the Ozone Cell, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Licensing requirements and norms are subject to change and have a basis independent of trade remedy actions and the Authority therefore does not consider it appropriate to take them into account for the present investigation.
39. With regards to the submission of the interested parties that termination of anti-dumping duty after five years is a rule and continuation is an exception, the Authority notes that Section 9A(5) and Rule 23 of the Anti-dumping Rules, read together, permit continuation of the anti-dumping duty beyond the initial five-year period where a sunset review establishes that the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

RULE 23. Review. - [(1) Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.

(1A) The designated authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.

40. The Authority observes that, in terms of the applicable provisions of the Anti-Dumping Rules, an anti-dumping duty is intended to remain in force for such period as is necessary to counteract the dumping that is causing injury to the domestic industry. The imposition and continuation of anti-dumping duty is, therefore, intended to address the injurious effects of dumped imports. Rule 23(1) provides that a duty shall remain in force so long as, and to the extent, necessary to counteract dumping which is causing injury. While Section 9A(5) provides for imposition of anti-dumping duty for a period of five years, it expressly preserves continuation where a review establishes that expiry would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

F. ASSESSMENT OF DUMPING AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1 Submission by opposing interested parties

41. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to assessment of dumping, determination of normal value, export value, and dumping margin:
 - i. Shandong has fully cooperated in the present investigation; therefore the Authority should determine individual dumping and injury margin and duty rate for the Respondent based on the actual, verified data, and not on the estimates provided in the petition.

- ii. There have been no exports by the Shandong during the POI. If the Authority decides to recommend the imposition of an anti-dumping duty, same rate of anti-dumping duty for the respondent should be continued.
- iii. There are no provisions which enable the Authority for considering Chinese producers as operating on non-market economy principles for disregarding their domestic prices and costs.
- iv. Normal value for the producer represented is to be determined on the basis of their domestic sales and the cost of the subject goods in view of the fact that the period of 15 years for not considering China as a market economy has expired.
- v. For the purpose of determination of normal value as per Para 7 of Annexure I, the domestic industry is under an obligation to inform the selection of the market economy third country. The interested parties have not been put to notice about selection of the third country, nor have the interested parties been requested to suggest and make necessary information available about the third country.
- vi. In the absence of following the mandatory procedure, the present proceedings cannot continue in view of the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of *Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. v. Exide Industries Ltd. & Ors.*, 2005 (181) ELT 320 (SC).
- vii. Anti-dumping calculations must be based on Chinese prices and costs since China's WTO Accession Protocol expired on December 11, 2016. Both the US and the EU have recognised this timeline. This interpretation is also supported by the WTO ruling in the '*Fastener Case*'.
- viii. The domestic industry has not made any attempt to follow the procedure prescribed in Para 7 of the Annexure I of the Anti-dumping Rules.
- ix. No evidence has been provided on the adjustments claimed in the export price.

F.2 Submission by the domestic industry

42. The domestic industry has made the following submissions with regard to assessment of dumping, determination of normal value, export price and dumping margin:
- i. The Authority had considered China PR as a non-market economy at the stage of initiation subject to rebuttal by the producers in China PR. None of the producers have rebutted the presumption and have filed the MET questionnaire.
 - ii. The Authority in the original investigation has considered China PR as a non-market economy. Thus, in absence of MET claim by the participating producers/exporters, the Authority should not determine normal value on the basis of their domestic sales.
 - iii. Despite the fact that the non- market presumption clause for China sunsets on December 11, 2016, the market economy treatment for China is still not automatic and the interested party is required to provide evidences showing that it is functioning under market economy condition.
 - iv. The methods prescribed under Para 7 Annexure-I lays down a hierarchy for determination of Normal Value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin.
 - v. In the present case, since the price from one third country to another country, including India, is available, the normal value cannot be determined based on the cost of production of the domestic industry with reasonable addition for profits.
 - vi. The argument of Shandong Dongyue that it has not exported the subject goods in the POI is factually incorrect and contrary to the information provided in Appendix 1 of the exporter questionnaire response, which shows exports in the POI.
 - vii. The domestic industry, in the application, had proposed normal value based on the below three methodologies: a. Price from third country to another country, including India; b. The price paid in India; and c. Price payable in India.

F.3 Examination by the Authority

F.3.1 Normal value

43. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*

ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either: (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profit, as determined in accordance with the rules made under sub-section 6);

b) *Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

44. The Authority notes the following relevant provisions with regard to the determination of normal value for China PR. Provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure I to the Anti-Dumping Rules are as under:

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) *The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).*

(2) *There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three-year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).*

(3) *The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.*

(4) *Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the*

purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization.”

45. Response to the Exporter's Questionnaire has been filed by the following producers/exporters from China PR.

SN	Name of interested party
a.	Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd
b.	Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd.
c.	Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co., Ltd.
d.	Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd.

46. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal value determination. The Authority sent copies of the market economy treatment/supplementary questionnaire to all the known producers/exporters in China PR to provide relevant information in this regard.

47. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

“(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

- (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
- (ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

48. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) of China's Accession Protocol has expired on 11th December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under Article 15(a)(i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.

49. With regard to the interested party's submission that domestic industry is under obligation to inform the selection of a market economy third country, the Authority notes that the obligation arises only in the event when such a market economy third country is selected and therefore, there is a need to seek comments from the interested parties on the appropriateness of the market economy third country. In the present case, no such market economy third country was proposed, and therefore, no such intimation was required.

50. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR have filed the supplementary questionnaire to rebut this presumption as mentioned in para 8 of Annexure I of the Rules. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules.
51. It is noted that paragraph 7 of Annexure I to the Rules stipulates three methods of constructing the normal value for non-market economies: (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; and (c) on any other reasonable basis. The Authority notes that under the provisions of paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value must first be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price of the exports from such country to other countries, including India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India.
52. In the application filed before the Authority, the domestic industry had submitted that data relating to cost and price in a market economy third country was not available. The domestic industry submitted that import volume from United Arab Emirates to India is significant in volume and was therefore sufficient to be considered as a basis for normal value. The domestic industry accordingly provided normal value on the basis of import price from United Arab Emirates to India. Since the import price is on CIF basis, appropriate adjustments had been made to arrive at ex-factory basis. The domestic industry had also claimed normal value based on the price paid in India and price payable in India, duly adjusted for reasonable administrative, selling and general costs, and profits.
53. It is noted that paragraph 7 of Annexure I to the Rules provides that hierarchy is required to be followed. It is seen that since there are significant imports from the United Arab Emirates to India, the normal value is first required to be determined on the basis of the exports from the United Arab Emirates to India. Hon'ble CESTAT, in the matter of Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs Union of India, has held that level of development of the country concerned would be relevant only if the domestic sale price or cost of production of a market economy third country is adopted and not when exports from market economy third country to India is considered for determination of normal value. The Hon'ble Tribunal considered that the price in international trade is a function of demand and supply in the international market and is not affected by the level of development of the supplier country.
54. It is seen that United Arab Emirates is a non-subject country with no anti-dumping measure in force and with import volume being quite significant, the CIF price from United Arab Emirates is representative in nature. The Authority has made appropriate adjustments on various elements like ocean freight, port expenses, inland freight, credit cost and marine insurance and bank charges as per consistent practice for arriving at an ex-factory price. The normal value so constructed is mentioned in the dumping margin table.

F.3.2 Export price

i. **M/s Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd.**

55. M/s Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd. was established on August 2004, as a limited liability company incorporated in China PR under the Company Law of China PR. During the POI, the producer-exporter has directly sold *** MT of invoice value *** RMB ($\approx$ *** USD) to unrelated buyers in India (on CIF terms).
56. The exporter has claimed adjustments on account of inland freight and port charges, ocean freight, bank charges and credit cost, and the same has been accepted after desk verification. As no imports of "HFC-R 32 Packed" form have been reported during the POI in DG Systems transaction wise data, export price has been determined only for "HFC-R 32Unpacked" form.
57. Accordingly, the ex-factory level has been determined, and the same is shown in the dumping margin table below.

ii. **Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co., Ltd (producer); Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd (related exporter).**

58. Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co., Ltd is a limited liability company established in accordance with Company Law of China PR on 29 November 2002. It is a 100% owned subsidiary of Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd., exporter of the product under consideration in India which was manufactured by Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co., Ltd.
59. Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd was established as a limited liability company in accordance with Company Law of China PR in May, 2001. During the POI period, Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co., Ltd., a producer of subject goods from China PR has sold *** MT of subject goods of invoice value *** RMB to India indirectly through a related exporter/trader namely, Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd., on ex-work basis as reported in Appendix-3B of Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co., Ltd. It is further noted that Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd., which is a related exporter/trader of Fujian Qingliu Dongying

Chemical Ind. Co., Ltd., has sold the same quantity *** MT of subject goods of invoice value *** USD directly to unrelated buyer in India. This related exporter/trader has claimed adjustment on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses and bank charges as claimed in Appendix-3A of Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd., As no imports of “HFC-R 32 Packed” form have been reported during the POI in DG Systems transaction wise data, export price has been determined only for “HFC-R 32Unpacked” form. The export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below:

iii. Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd

60. Post the imposition of Anti-dumping duty, Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd. conducted a corporate restructuring by spinning off its production business segment related to Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32 and other relevant products, establishing a new entity named Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd. After the restructuring, the original company halted its production activities and shifted focus to strategic management and subsidiary stockholding, while the new company took over all relevant production assets, qualifications, personnel and business operations. There were no changes in ownership, management, production processes and other key aspects. The exporter has filed an application for name change. On consideration of duly submitted response, the Authority had accepted the name change vide amendment notification AD (NC)-04/2024 dated 03 April, 2025.

61. Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd was established as a limited liability company in accordance with Company Law of China PR on November 13, 2023. During the POI, Shandong Dongyue Refrigerants Co. Ltd., has produced and exported *** MT of subject goods of invoice value *** RMB ($\approx$ *** USD) to unrelated buyers in India (on CIF terms). to unrelated customers in India directly. The company claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost, and bank charges. These adjustments have been examined and allowed by the Authority after due verification. As no imports of “HFC-R 32 Packed” form have been reported during the POI in DG Systems transaction wise data, export price has been determined only for “HFC-R 32 Unpacked” form. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table below.

iv. Non-cooperative producers/exporters

62. In the absence of cooperation from the remaining producers/exporters from China PR, the Authority has determined the export price of R-32 for non-cooperative producers/exporters on the basis of facts available. As no imports of “HFC-R 32 Packed” form have been reported during the POI in DG Systems transaction wise data, no separate export price has been determined for the packed form. The export price at ex-factory level as determined is shown in the dumping margin table below.

F.3.3 Dumping margin

63. Considering the normal value and the export price for the product under consideration as determined above, the dumping margin for the product under consideration from the subject country has been determined as below: -

SN	Particulars	Normal value \$/MT	Export price \$/MT	Dumping margin		
				\$/MT	%	Range
1	M/s Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
2	Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd	***	***	***	***	30-40
3	Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co., Ltd	***	***	***	***	20-30
4	All other producers/exporters	***	***	***	***	60-70

64. It is seen that the dumping margin is more than *de-minimis* for the producers/exporters from China PR. Therefore, the Authority considers that the dumping of the product has continued from the subject country.

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submission by opposing interested parties

65. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to assessment of injury and causal link:

- The domestic industry has exaggerated the increase in imports. The imports from China have increased moderately, whereas imports from other countries increased significantly.
- The present case is based on increase of imports though such imports are not causing injury.

- iii. The imports in 2022-23 and 2023-24 increased in response to the significant growth in Indian demand.
- iv. The intention behind the increase in export from China was not to unfairly dump the subject goods, but a consequence of China's efforts to maximize its quota under the Kigali Amendment. The applicant may also be planning to do the same and enhance its production to a much higher level during its own baseline years (2024-2026) so that it can also secure a higher quota in the target years.
- v. The surge in imports from UAE is also because UAE is classified in Group II countries along with India.
- vi. There has been no injury to the domestic industry due to the price of subject imports.
- vii. A new domestic player, GFL has entered the market in post POI and imports from other countries have also started coming. Thus, any injury to the domestic industry would be on account of imports from UAE. The total volume of imports from UAE is very significant in the post POI period.
- viii. Since the new domestic player entered the market, it is quite inference worthy that the domestic industry and domestic market for the product under consideration in general must have been in good and profitable condition during the injury period.
- ix. The market share, including captive, has been wrongly computed. In the Montreal protocol, captive consumption is not allowed in the production and domestic consumption/demand.
- x. The volume of imports from subject country has declined tremendously.
- xi. The sales of the domestic industry have increased more than fourfold. This is an indication of positive growth rather than injury.
- xii. The cost of sales has increased only minorly from 100 indexed points in the base year to 102 indexed points in the POI. However, the domestic selling price of the domestic industry has increased noticeably from 100 Indexed Points in the base year to 120 Indexed Points in the POI.
- xiii. Captive consumption has risen during the period, indicating improved capacity utilization and stable operational performance.
- xiv. Growth in sales exceeds the growth domestic demand. Consistent increase in sales demonstrates that sales have not been suppressed by imports. Capacity of domestic industry also improved due to rise in captive consumption.
- xv. The installed capacity of the domestic industry increased substantially from 100 to 203, evidencing significant expansion and fresh investments. Capacity utilization has also remained stable.
- xvi. Substantial capital investments would not reasonably be undertaken by an industry suffering injury or financial distress.
- xvii. The simultaneous increase in domestic sales and decline in imports conclusively demonstrates the absence of any causal link between the imports and the performance of the domestic industry.
- xviii. The net selling price of the domestic industry was highest during the POI. This demonstrates improved price realization and clearly negating any allegation of price injury.
- xix. The landed price increased significantly indicating absence of cheap or aggressive dumping.
- xx. The price parameters reflect healthy market conditions and do not support a finding of material injury to the domestic industry.
- xxi. Production of the domestic industry increased to more than double. This unequivocally show that the domestic industry has not experienced any curtailment of production or loss of demand attributable to imports.
- xxii. The domestic production of the domestic industry available for sale has increased in tandem with the increase in total demand.
- xxiii. Productivity per day has increased sharply to 223, reflecting a significant enhancement in operational efficiency and overall plant performance. Similarly, productivity per employee has risen to 119 during the POI, evidencing improved labour efficiency and effective utilisation of the workforce.
- xxiv. There is an exceptional increase in both domestic sales and market share of the domestic industry. Also, there is an exceptional increase in profit, cash profits and return of capital employed.
- xxv. Closing inventory levels have declined significantly from an indexed level of 100 to 72, indicating faster sales and improved inventory management. Average inventory levels have also reduced over the period, demonstrating the absence of stock accumulation or unsold goods.

- xxvi. The allegation of 20-30% price undercutting by imports is neither credible nor reflective of actual market behaviour.
- xxvii. Even if we assume that the price undercutting existed, the economic performance of the domestic industry shows that such undercutting did not translate into any adverse impact for the domestic industry.
- xxviii. The fact that the domestic industry has instead recorded higher sales during the POI conclusively establishes that the alleged price undercutting is overstated, commercially unrealistic and not supported by actual market dynamics.
- xxix. Even if it is assumed that the price undercutting existed, the economic performance of the domestic industry shows that such undercutting did not translate into any adverse impact for the domestic industry.
- xxx. Profit per MT has increased sharply to 393 in the POI, reflecting a significant recovery and healthy operating margins.
- xxxi. All the profits parameters barring in 2023-2024 have shown significant growth.
- xxxii. The cost of sales has increased only minorly from 100 indexed points in the base year to 102 indexed points in the POI. However, the domestic selling price of the domestic industry has increased noticeably from 100 Indexed Points in the base year to 120 Indexed Points in the POI.
- xxxiii. The wages over the injury period increased 286 and employment level has grown to 188.
- xxxiv. Net fixed assets have increased sharply to 802, reflecting substantial fresh investments and significant capacity expansion undertaken by the domestic industry.
- xxxv. Working capital has also increased consistently over the relevant period, indicating strengthened operations and an improved liquidity position.
- xxxvi. Return on capital employed has increased to 230 during the POI, evidencing healthy profitability and efficient utilization of capital.
- xxxvii. The trend of imports and profitability of the domestic industry in the POI is indicative of the likelihood of dumping and injury and not the previous years when the production under Montreal protocol was not triggered.
- xxxviii. The domestic industry has a commanding and formidable position and its position is not likely to be effected even after the discontinuance of the duties.
- xxxix. The 22% return on gross fixed assets is highly inflated and not in accordance with the Law.

G.2 **Submission by the domestic industry**

66. The domestic industry has made the following submissions with regard to assessment of injury and causal link:
- i. The demand in India has consistently increased. The demand for the product under consideration has increased because of the robust growth in the air conditioner (AC) market coupled with substitution of HCFC 22 with HFC 32 and HFC 410A.
 - ii. Despite imposition of anti-dumping measures in December 2021, the imports of the product under consideration increased in 2022-23 and were higher than base year in 2023-24.
 - iii. The imports from the subject country have increased in absolute terms and relative terms till 2022-23, then declined in 2023-24 and then further declined over the POI.
 - iv. The landed price of imports is below the selling price of the domestic industry. The price undercutting is in the range of 20-30%.
 - v. The cost of sale increased in 2022-23 and further increased in 2023-24. The selling price during this period did not increase in proportion to the increase in the cost of sales because there was an exceptional surge in imports from subject country at a price which is below the cost of sales of the domestic industry.
 - vi. Imports from China PR continued to enter the domestic market at prices lower than even the cost of sales of the domestic industry. During the entire injury period, except for the POI, the cost undercutting remained positive.
 - vii. During the POI, the landed price of the imports was marginally higher than the cost of sales. As the import price went up, the domestic industry was able to earn profits.
 - viii. Between 2021-22 and 2023-24, whereas there was continuous increase in cost of sales, there was continuous decline in the landed price of imports.
 - ix. As the cost of sales and import volume declined in the POI, the domestic industry was able to increase its

- prices to a remunerative level.
- x. The fact that the domestic industry suffered losses due to low priced imports even in presence of anti-dumping duty establishes that the domestic industry continues to remain vulnerable to dumping.
 - xi. The capacity of the domestic industry increased in the December 2024, which became fully operational in the POI. The capacity expansions were undertaken in line with the growing demand for the product.
 - xii. The production and domestic sales of the domestic industry remained nearly constant till 2023-2024 due to the fact the imports from China increased exceptionally during 2022-2023 and 2023-2024, and despite anti-dumping duty in place.
 - xiii. As the imports from China PR declined in the POI, the domestic sales and consequently the production increased.
 - xiv. The profitability of the domestic industry declined in 2022-23 and turned into losses in 2023-24 due to continued Chinese dumping. The domestic industry was able to make profits in the POI as the imports from China declined.
 - xv. The market share of the domestic industry has improved after the imposition of measures and the market share of the imports from China has declined.
 - xvi. Despite the fact that market share of the dumped imports declined in the POI, the dumped imports held 25-35% share in the demand over the injury period.
 - xvii. The domestic industry has the ability to cater to the entire demand in the Indian market. Further, two other producers have started selling in the market.
 - xviii. The average inventory with the domestic industry increased in 2022-2023, declined in 2023-2024 and increased in the POI.
 - xix. The productivity per day of the domestic industry has improved over the injury period. With the capacity expansion undertaken by the domestic industry, the employment generated, and the wages paid have increased.
 - xx. The domestic industry had recorded a negative growth in price parameters till 2023-24 which have turned positive in the POI as the imports from China declined.
 - xxi. The increased low-priced exports occurred despite rising costs of sales for the domestic industry, putting additional pressure on Indian producers.
 - xxii. The cost of sales increased during 2022-2023 and 2023-2024. However, in order to dispose of their surplus production, the producers in China exported the product in large quantities to the Indian market at declining prices.
 - xxiii. This tactic of the Chinese exporters has adversely impacted the performance of the domestic industry and made the duty ineffective. The domestic industry was profitable in 2021-22, which declined steeply in 2022-23 and turned into losses in the year 2023-24.
 - xxiv. Though the exports of subject goods declined, the export price still remained below the export price to third countries as well as the domestic selling price.
 - xxv. The imports from UAE only started in the POI. The imports are coming at a price which is substantially higher than the import price from subject country.
 - xxvi. The mere entry of a new domestic producer into the market does not ipso facto establish that the existing domestic industry was in a sound or profitable condition during the injury period.

G.3 **Examination by the Authority**

67. Rule 11 of Anti-dumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

68. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction-wise import data procured from DG Systems.
69. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority has considered all injury parameters and, thereafter, concludes whether injury to the domestic industry continues, or recurs, in case the anti-dumping duty is ceased. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.
70. The Authority has taken note of various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis carried out by the Authority ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.
71. With regard to the interested party's submission that any injury to the domestic industry is on account of imports from UAE, the Authority notes that the imports from UAE started only in the POI and import price from UAE is much higher than the import price from China PR and the selling price of the domestic industry. Therefore, the imports from UAE cannot be a cause of injury to the domestic industry.
72. With regard to the interested party's submission that import prices from China PR have consistently increased and import volumes have declined post the POI, thereby requiring a post POI analysis. The present proceeding is a sunset review, in which the enquiry is expressly prospective, and the twelve-month POI together with the three preceding years affords a sufficient basis for that enquiry.
73. With regard to the interested parties' submission that plant shutdowns may have contributed to the injury suffered by the domestic industry, the Authority notes that the domestic industry's production and domestic sales have increased over the injury period. While the production and domestic sales were low in the period 2021-22 and 2022-23, the domestic industry's plant was operating at an optimal capacity utilisation. Therefore, any abnormal or unplanned plant shutdowns during the injury period, including POI could not have adversely affected its performance or contributed to the injury suffered by it.
74. With regard to the interested parties submission that 22% return on capital employed methodology for calculation of non-injurious price is inflated and not in accordance with the law, the Authority holds that it is the consistent practice that unless the interested parties demonstrate the need for consideration of a different return, a return of 22% shall be allowed for determination of non-injurious price. In *Bridgestone Tyre Manufacturing Vs. Designated Authority*, the interested parties had brought evidence on record to demonstrate that across the globe lower return has been earned by the producers of subject goods. However, subsequent to that decision there are a number of cases in which the Tribunal has held that a return of 22% is justified, unless there is cogent evidence to prove that a different return should have been allowed. In the case of *Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Limited Vs. Union of India*, the Tribunal noted that since the interested parties did not produce any evidence to substantiate that the return of 22% was unreasonable, the consistent practice followed by the Designated Authority could not be questioned.

"11. Return on capital employed is also a subject matter of dispute. The DA considered 22% return on investment as reasonable for capital-intensive VSF industry. In fact we note that the DI claimed a rate of return higher than 22% for the reason that the investment is quite low, as the plant is old and clearly depreciated. We also note that the Tribunal in earlier cases upheld the adoption of 22% return. The cases relied upon by the appellant are on facts where interested parties submitted evidence in support of a lower return. In the present case, as already noted, the appellant did not produce any evidence to claim any particular return on capital as proper and reasonable. In such a situation, the consistent practice followed by the DA cannot be put to question. In fact, the return on capital was fixed by the DA lower than what is claimed by the DI."

75. The Authority notes that none of the interested parties has placed on record any evidence that any deviation from considering a return of 22% is justified and more appropriate. Therefore, as per the consistent practice, the Authority considers it appropriate to adopt a 22% return for calculation of non-injurious price.

G.3.1 **Assessment of demand/apparent consumption**

76. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the like article in India has been defined as the sum of domestic sales of the domestic industry and the imports from all sources. Further, as the domestic industry has consumed a substantial portion of its production captively, the demand has been assessed separately, both including and excluding captive consumption. The demand so assessed is given in the table below.

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
2	Trends	Indexed	100	161	198	411
3	Imports from China	MT	6,144	8,774	7,129	1,571
4	Trends	Indexed	100	143	116	26
5	Imports from other countries	MT	-	-	-	3,538
6	Trends	Indexed	-	-	-	100
7	Demand excluding captive	MT	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	149	143	193
9	Captive Consumption	MT	***	***	***	***
10	Trend	Indexed	100	85	109	130
11	Demand including captive	MT	***	***	***	***
12	Trend	Indexed	100	134	135	178

77. It is seen that demand for the product has increased over the injury period. Further, the increase in demand is quite significant.

G.3.2 **Volume effect of the dumped imports**

78. With regard to the volume of imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports from the subject country, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The same is analysed in the table below.

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1.	Imports Volume					
a.	Subject Countries	MT	6,144	8,774	7,129	1,571
	Trend	Indexed	100	143	116	26
b.	Other Countries	MT	-	-	-	3,538
	Trend	Indexed	-	-	-	100
c.	Total import volume	MT	6,144	8,774	7,129	5,109
	Trend	MT	100	143	116	83
2.	Subject Imports in relation to					
a.	Indian Production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	131	91	11
b.	Indian Demand	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	96	81	13

79. It is seen that:

- The imports from the subject country increased in absolute and relative terms in 2022-23, then declined in 2023-24 and then further declined in the POI.
- The domestic industry has claimed that the Government of China has put the export quota for the product on hold and not released the complete quota, and therefore, the overall exports from China has declined.
- As the exports from China declined, the imports from United Arab Emirates increased. The entities that have imported from the United Arab Emirates have primarily used the imported product to produce HFC Blend. With the imposition of anti-dumping duty on HFC Blend, the number of producers of HFC Blends in India have increased, with producers importing R-125 from China and buying HFC-32 from either the Indian industry or from imports from other sources. The entities are blending the same with other HFC components to produce HFC Blends.

- d. The imports in relation to Indian production and Indian demand increased in 2022-23, declined in 2023-24 and declined further in the POI.
- e. Over the injury period, imports declined both in absolute and relative term.

G.3.3 **Price effect of the dumped imports**

80. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the purpose of this analysis, the cost of production and net sales realisation have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject country.

i. Price undercutting

81. For the purpose of price undercutting analysis, the net sales realization of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. The Authority has notified the packed form and unpacked form as two PCNs. It is however, noted that the entirety of imports are in unpacked form. Therefore, the undercutting has been determined by comparing with the selling price of the domestic industry for unpacked form. The same also represents the price undercutting for the product under consideration.

SN	Particulars	Unit	HFC Unpacked	PUC
1	Import volume	MT	1,571	1,571
2	Net sales realization	Rs/MT	***	***
3	Landed price	Rs/MT	2,74,273	2,74,273
4	Price undercutting	Rs/MT	***	***
5	Price undercutting	%	***	***
6	Price undercutting	Range	20-30%	20-30%

82. It is seen that in the POI, the landed price of imports from subject country is significantly below the selling price of the domestic industry. The price undercutting is positive and significant.

i. Price suppression/depression

83. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress such prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period are examined as below:

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	111	119	102
3	Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	106	95	120
5	Landed Price (excluding ADD)	₹/MT	2,54,242	2,11,430	2,01,098	2,74,273
6	Trend	Indexed	100	83	79	108
7	Landed Price (including ADD)	₹/MT	342,422	306,271	299,019	374,222
8	Trend	Indexed	100	91	89	110

84. It is seen that:

- i. The cost of sales of the domestic industry increased by 11 index points in 2022-23. However, the selling price increased only around 6 index points.
- ii. In 2023-2024, the cost of sales further increased around by 8 index points. However, the selling price declined by around 11 index points, as the landed price of imports also declined in this period.
- iii. The cost of sales of the domestic industry declined in the POI by 17 index points, while the selling price of the domestic industry increased by around 25 index points. The landed price of imports also increased

in this period.

- iv. The landed price of imports had a suppressing effect on the prices of the domestic industry in 2022-23 and depressing effect in 2023-24 as the landed price was below the selling price of the domestic industry. This was the period when producers in China exported in significant volume to reach their production quota, in view of the fact that this was the final year of the production baseline in the Kigali Amendment to the Montreal Protocol. However, in the POI, as the Chinese import prices increased, the domestic industry was able to increase its prices, despite a decline in costs. The domestic industry therefore did not suffer suppressing or depressing effects in the POI.

G.3.4 **Economic parameters of the domestic industry.**

i. **Capacity, production, capacity utilization and sales volumes**

85. The capacity, production, capacity utilization and sales volumes (including and excluding captive consumption for domestic sales) of the domestic industry over the injury period is given in the table below.

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1.	Installed capacity	MT	***	***	***	***
2.	Trend	Indexed	100	100	126	203
3.	Total production	MT	***	***	***	***
4.	Trend	Indexed	100	100	103	179
5.	Capacity utilization	%	***	***	***	***
6.	Trend	Indexed	100	100	82	88
7.	Total production - PUC	%	***	***	***	***
8.	Trend	Indexed	100	109	128	223
9.	Domestic sales	MT	***	***	***	***
10.	Trend	Indexed	100	161	198	411
11.	Captive sales	MT	***	***	***	***
12.	Trend	Indexed	100	85	109	130
13.	Export sales	MT	***	***	***	***
14.	Trend	Indexed	100	99	86	142
13.	Demand	MT	***	***	***	***
14.	Trend	Indexed	100	134	135	178

86. It is seen that:

- The domestic industry has two plants to produce the product under consideration at Dahej and Bhiwadi. The domestic industry has increased its capacity at its Dahej plant.
- The production of the domestic industry remained almost stagnant until 2023-24, and increased significantly in the POI.
- The capacity utilisation of the domestic industry remained stagnant in 2022-23, declined in 2023-24 and thereafter increased in the POI.
- The domestic sales increased continuously over the injury period.
- The export sales of the domestic industry have declined in 2022-23, declined in 2023-24 and increased in the POI.
- The domestic industry has stated that its domestic sales increased with the imposition of anti-dumping duty on HFC Blend as number of producers of HFC Blends in India have increased with producers importing R-125 and buying HFC-32 from either the domestic industry or from imports from other sources. The entities are blending the same with other HFC components to produce HFC Blends.

ii. Market share

87. The market share (excluding demand for captive consumption) of the domestic industry and imports is given in the table below.

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Sales of domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	108	138	213
2	Imports from China	%	67%	64%	54%	9%
	Trend	Indexed	100	96	81	13
3	Imports from Other Countries	%	0%	0%	0%	20%
	Trend	Indexed	-	-	-	100

88. It is seen that:

- The market share of the subject country declined during the entire injury period. The imports from subject country were holding a major and significant share in the demand in India in the year 2021-22, 2022-23 and 2023-24. The market share declined in the POI.
- The market share of the domestic industry increased considerably during the entire injury period.
- The market share of other countries has increased in the POI.

iii. Inventory

89. The information with regard to inventory is provided below.

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Opening inventory	MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	241	121	159
3	Closing inventory	MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	50	66	72
5	Average inventory	MT	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	106	82	98

90. The Authority notes that the average inventory with the domestic industry increased in 2022-2023, declined in 2023-2024 and increased in the POI.

iv. Profitability

91. The relevant information is given below: -

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Profit/ (loss)	₹/MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	27	(263)	393
3	Profit/(loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	44	(520)	1,613
5	PBIT	₹/MT	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	50	(163)	366
7	PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	81	(323)	1,504

9	Cash profit	₹/MT	***	***	***	***
10	Trend	Indexed	100	53	(57)	203
11	Cash profit	₹ Lacs	***	***	***	***
12	Trend	Indexed	100	86	(113)	833
13	Return on investment	%	***	***	***	***
14	Trend	Indexed	100	42	(71)	230

92. The Authority notes that

- i. The profitability of the domestic industry witnessed a decline during 2022-23 and deteriorated further into financial losses during 2023-24. The Authority notes that this period coincides with a significant increase in the volume of imports of the subject goods from China PR, accompanied by a corresponding decline in the landed/import price of such goods.
- ii. The Authority further notes that during the POI, with the decline in the volume of imports from China PR, the domestic industry was able to restore its profitability and record profits.
- iii. The cash profits and return on investment employed declined in 2022-2023, and further declined in 2023-2024, which increased in the POI.

93. While the domestic industry recorded a positive return on capital employed during the POI, the Authority holds that the overall trend in the domestic industry's performance across the injury period demonstrates that the domestic industry remains vulnerable to injury on account of dumped imports from the subject country. A healthy return in a single period, which is marked by a decline in dumped imports, does not, in itself, detract from the fact that the domestic industry continued to be adversely affected by imports when the volumes were so significant, and, therefore, remains exposed to, continuance of dumping and consequent injury.

v. Productivity, employment and wages.

94. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Production per day	MT/Days	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	109	128	223
3	Production per employee	MT/Nos	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	95	90	119
5	No. of employees	Nos.	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	115	142	188
7	Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	116	160	286

95. It is seen that:

- i. The production per day of the domestic industry has increased in 2022-2023, which further increased in 2023-24 and POI.
- ii. The production per employee of the domestic industry has declined in 2022-23, which further declined in 2023-24 and increased in the POI.
- iii. The number of employees of the domestic industry have continuously increased during the injury period.
- iv. The salary and wages of the domestic industry have continuously increased during the injury period.

vi. Ability to raise capital investment.

96. The Authority notes that the domestic industry, in tandem with the increase in demand for the product, has increased the capacity in 2023-24 and in the POI. The domestic industry also submitted that post imposition of anti-dumping duty, the volume parameters of the domestic industry had improved. The measure has provided the domestic industry with the ability to increase capacity. The domestic industry has submitted that the anti-

dumping duty has enabled it to maintain sales of the product under consideration at adequate and fair remunerative prices, in the POI ensuring that the operations remain financially viable and manage its working capital requirements efficiently. It is therefore considered that the domestic industry's ability to finance its working capital needs (and the capital employed) has not been adversely affected.

vii. Growth.

97. The following table shows the growth parameters of the domestic industry over the injury period.

SN	Particulars	Unit	2022-23	2023-24	POI
1	Capacity	%	0%	26%	61%
2	Production	%	9%	17%	75%
3	Capacity utilization	%	0%	-18%	8%
4	Domestic sales	%	61%	23%	108%
5	Profit/(Loss) – Rs/MT	%	-73%	-1070%	249%
6	Profit/(Loss) – Rs Lakhs	%	-56%	-1289%	410%
7	PBIT – Rs/MT	%	-50%	-426%	324%
8	PBIT – Rs Lakhs	%	-19%	-500%	566%
9	Cash profit – Rs/MT	%	-47%	-207%	453%
10	Cash profit – Rs Lakhs	%	-14%	-232%	834%
11	Return on investment	%	-58%	-269%	425%

98. It is seen that the domestic industry recorded severely negative growth in its profitability parameters such as profit, profit before interest and cash profit until 2023-24 which have turned positive in the POI as the imports from China declined. The volume parameters have shown improvement over the injury period. It is considered that the growth parameters have shown a mixed trend over the injury period, but improved in the POI.

viii. Magnitude of dumping margin.

99. It is seen that the imports into India from the subject country are at dumped prices. The dumping margin is above *de minimis* and significant.

ix. Factors affecting domestic prices.

100. It is seen that the import price is directly affecting the prices of the domestic industry in the domestic market. The landed price of the subject imports is below the selling price of the domestic industry throughout the injury period. Imports from the United Arab Emirates, which entered only in the POI, were priced above both the subject-country imports and the domestic industry's selling price and have not exerted downward pressure on prices. The Authority therefore concludes that the subject imports remain the principal factor affecting the prices of the domestic industry, and that the duty in force is what prevented an adverse price effect in the POI.

G.3.5 Conclusion on injury

101. Based on the analysis undertaken above, the following is concluded.

- i. The demand for the product has increased over the injury period. The increase in demand is quite significant.
- ii. The imports from the subject country increased in absolute and relative terms in 2022-23, then declined in 2023-24 and then further declined in the period of investigation.
- iii. Over the injury period, imports declined both in absolute and relative term.
- iv. The landed price of imports is below the selling price of the domestic industry. Price undercutting by imports of the product under consideration from China PR is positive and significant.
- v. The landed price of imports from China is also materially lower than import price from other countries not under investigation. The volume of imports from other countries not under investigation is also quite significant (3,538 MT).

- vi. The landed price of imports had a suppressing effect on the prices of the domestic industry in 2022-23 and depressing effect in 2023-24 as the landed price was below the selling price of the domestic industry.
- vii. The production of the domestic industry remained almost stagnant until 2023-24, and increased significantly in the period of investigation.
- viii. The capacity utilisation of the domestic industry remained stagnant in 2022-23, declined in 2023-24 and thereafter increased in the period of investigation.
- ix. The domestic sales increased continuously over the injury period.
- x. The market share of the domestic industry increased considerably during the entire injury period.
- xi. The average inventory with the domestic industry increased in 2022-2023, declined in 2023-2024 and increased in the period of investigation.
- xii. The profitability of the domestic industry remained adverse until 2023-2024.
- xiii. With the decline in the volume of imports from China PR in the period of investigation, the domestic industry was able to restore its profitability and earn profits.
- xiv. While the domestic industry earned positive return on capital employed during the period of investigation, however the overall trend in the domestic industry's performance across the injury period demonstrates that the domestic industry remains vulnerable to injury on account of dumped imports from the subject country
- xv. The domestic industry ability to finance its working capital needs has not been adversely affected.
- xvi. The domestic industry recorded severe negative growth in its profitability parameters such as profit, profit before interest and cash profit until 2023-24 which have turned positive in the period of investigation as the imports from China declined.
- xvii. The volume parameters have shown improvement over the injury period.
- xviii. There is continued dumping of the subject goods in India from China PR.

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

H.1 Submission by opposing interested parties

102. The other interested parties have made the following submissions with regards to the likelihood of injury
- i. There is a decline in imports from the subject country. Hence, likelihood of recurrence of dumping is negligible.
 - ii. Continuation of anti-dumping duty is not warranted as the domestic industry is neither suffering present injury nor credible evidence is provided to prove likelihood of recurrence of injury.
 - iii. Current performance of the domestic industry is indicative of future performance. The economic performance demonstrates a significant improvement across all key performance indicators. This contradicts any claim of existing injury or likelihood of its recurrence.
 - iv. In the present case, a combination of the Indian import policy for the product under consideration and binding international commitments under the Montreal Protocol makes the likelihood of recurrence of injury impossible.
 - v. *Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd. has stated that its capacity has declined and the trend is similar for China PR as a whole due to international obligations under Montreal Protocol. Respondent's exports PUC to India has declined during the investigation period.*
 - vi. *Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd. has stated that it is exporting the goods at reasonable prices to India and there is not likelihood that the exporter would make its exports to India at lower prices than the current prices charged by the exporter.*
 - vii. The production and consumption of China HFCs freeze in 2024 and will not increase. Therefore, the further increase in imports from China is unlikely and it would in all likelihood come down.
 - viii. There is change in circumstances in the present investigation as compared to original investigation as there was no restriction on imports in the original investigation; there were no imports from other countries in the original investigation; and a new producer, GFL, has also started producing the subject goods.

- ix. India is not a price attractive market for subject goods.
- x. The applicant in present case has not provided any post POI data to indicate continuance of dumping or injury being caused to it.
- xi. The import volume of the subject goods has come down significantly from 6,358 MT in 2021-22 to 156 MT in 2025-2026 (post POI data).
- xii. India is not price attractive. There is no logical explanation to why would China divert its exports of subject goods to India if the import prices in third country are higher as compared to the import prices in India.
- xiii. No capacity expansion of the subject goods in the subject country.
- xiv. The price of the subject goods from subject country is 7-8 USD/Kg while the same was 2-3 USD/Kg in 2021. There has been four times increase in the import price of the PUC from China which eliminates the dumping allegation or cancels out the likelihood of recurrence of injury in the event of cessation of duties.

H.2 Submission of the domestic industry

103. The domestic industry has stated as following with regards to likelihood of injury

- i. Unlike original investigations, sunset reviews are prospective in nature, as they focus on the likelihood of the continuation or recurrence of dumping and injury, in case anti-dumping duties are removed.
- ii. In P.T. Asahimas Chemicals Vs. Designated Authority [2015 (328) E.L.T. 417 (Tri. - Del.)], the tribunal noted that in situation when there is no injury, the Authority is required to examine whether the injury is likely to recur in the event of cessation of duty, having regard to the potential volume and price of imports and impact thereof on the domestic producers.
- iii. Producers in China have the ability to dump different HFCs, as is evident from the multiple trade remedy investigations conducted on China PR across multiple jurisdictions. Producers in China have devised different ways to circumvent these duties.
- iv. The quota for the product under consideration is not fixed under the Kigali amendment, meaning thereby that the Chinese administrative Authority can alter the quota for a particular HFC product.
- v. The current quota on HFCs is without considering the 65% baseline level of HCFCs. Once the quota is released, the Chinese producers will have surplus production to export.
- vi. Chinese exporters have excess surplus capacity for the product under consideration.
- vii. In case of cessation of anti-dumping duty, all the increased demand of the product under consideration will be taken away by the Chinese exporters.
- viii. The likelihood analysis is required to be undertaken for all the subject country as a whole and not just for a particular producer. There are at least 10 producers of the subject goods in China. Out of these only 3 producers have participated.
- ix. In the matter of US-Sunset Reviews of Anti-dumping Measures on CRCS Flat Products from Japan: WT/DS244/AB/R dated 15-12-2003, the Appellate Body observed that Article 11.3 of the Anti-dumping Agreement does not oblige investigating authorities in a sunset review to make “company specific” likelihood determinations.
- x. For India, 2024-2026 are extremely crucial years as the average production and consumption of these years will be taken as baseline for future phaseout purpose.
- xi. India continues to remain an attractive market for the Chinese exporters.
- xii. Despite the claim of the interested parties that the import prices have increased, the pricing pattern of the producers from China shows that the price increase in the Indian market is still lower than the price increase in the global market.
- xiii. Chinese producers significantly increased HFC-32 production and exports to India during the baseline period and reduced export prices.
- xiv. Having achieved high baseline production, the producers in China have temporarily stopped the aggressive price behaviour in the Indian market. This has largely been attributable to the fact that the Government of China has not released the entire quota in the year 2024-25.
- xv. With demand for R-32 still growing, the Chinese producers are temporarily left with low availability and have increased their prices.

- xvi. The Government of China is not likely to hold the quota for a substantial time and will release it in future. This high quantity is sufficient to destroy the entire Indian market and therefore, there is a likelihood of increased imports and consequent injury to the domestic industry in an event of expiry of measures.
- xvii. The allocation and distribution of quotas within HFCs products are still under the discretion of China and the government can provide the quota year-on-year or in the year as well.
- xviii. The Chinese producers are exporting to other countries as well at dumped prices. Further, the entire exports to third countries are at injurious prices.
- xix. The quota allocation also shows that China retains the administrative discretion to alter the annual quota allocations for different HFC producers based on domestic policy priorities, industrial performance, and diplomatic considerations.
- xx. In 2024 as well as 2025, the administration of China has altered the quota of production and consumption of HFCs.
- xxi. The producers in China PR have swinging capacity, meaning thereby that within the same production facility and using the same machinery, the producers/exporters can produce different HFC product. This has also been confirmed by the US International Trade Commission (USITC) in 1,1,1,2 - Tetrafluoroethane (R-134a) from China.
- xxii. The participating producers from China too have reported PUC + NPUC production in their Appendix 1.
- xxiii. With surplus and swinging capacities, the producers in the subject country can easily switch between different HFC and increase their production and exports.
- xxiv. The total estimated capacity in China for HFC 32 is 505 KT, the production quota is 280 KT. With domestic consumption of only 185 KT, the producer in the countries have an export quota of 90 KT, which is more than 4 times the demand in India.
- xxv. The participating producers in response to question number 5 of the exporter questionnaire part II has confirmed that there is no reduction in production of HFC-32.
- xxvi. While China has taken efforts in setting up policies and plans to phase put HFCs in consonance with the Kigali Amendment, implementation of the same is a task much harder than what meets the eye.
- xxvii. When export price to India is compared with the export price to other countries, it would be seen that 60% of the exports to third countries are priced lower than the export price to India.
- xxviii. China will divert the imports to India in absence of duty because of the ever-increasing demand for the subject goods to India and the idle capacity for the subject goods with the producers in China.

H.3 Examination by the Authority

- 104. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Anti-Dumping Rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties.
- 105. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of the product under consideration from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- 106. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, *inter alia*, for factors which could be taken into consideration, viz.
 - i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
 - ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
 - iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports; and
 - iv. Inventories of the article being investigated.
- 107. The Authority has, *inter alia*, considered the above requirements and following parameters in order to determine whether dumping is likely in the event of cessation of anti-dumping duty, and if so, whether the same is likely to

cause injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty. Additionally, the Authority has examined all the relevant information brought on record by the domestic industry and the other interested parties.

a. Continued Dumping

108. The table below shows the dumping margin determined by the Authority in the original investigation and the present investigation.

SN	Particulars	UOM	Original investigation	Present investigation
a.	M/s Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd.	%	60-70	20-30
b.	Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd	%	50-60	30-40
c.	Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co., Ltd	%	70-80	20-30
d.	All other producers/exporters	%	90-100	60-70

109. It is seen that the dumping from China has continued. The continuation of dumping in the current period shows the likelihood of dumping in the event of expiry of measures.

b. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.

110. The table below shows the trend of dumped imports into India during the injury period.

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1.	Imports Volume					
a.	Subject Countries	MT	6,144	8,774	7,129	1,571
2.	Subject Imports in relation to					
a.	Indian Production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	142	112	14
b.	Indian Demand	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	96	81	13

111. It is observed that the imports of the subject goods from the subject country increased, both in absolute terms and in relative terms during 2022-23. Thereafter, such imports declined during 2023-24 and declined further during the POI.

112. The evidence on record shows that the Government of China PR has not released the full production quota applicable to HFC gases for 2024-25. The domestic industry has demonstrated, and the responding producers have not disputed, that the reduction in exports of the subject goods from China PR in the POI follows from that constraint on available quota rather than from any change in the commercial orientation of the Chinese producers. Further, none of the participating producers from China has claimed in their exporter questionnaire response that they plan to “to add, expand, curtail or shut down their production of R32 in the future”. The decline in import volume in the POI is therefore attributable to an administrative measure that is, on the material before the Authority, temporary and reversible at the discretion of the Government of China PR.

c. Sufficient freely disposable capacity.

113. The Authority considers that while the commitment to phase down the HFCs is legally binding, the allocation and distribution of quotas within HFCs products are still at the discretion of China. Government of China retains the discretion to alter the annual quota allocations for different HFC producers. Kigali Amendment provides for the calculation of HFCs baseline value by taking the average production and use of HFCs in China during the baseline year (2020-2022) plus the 65% of the HCFCs baseline level, based on the units calculated, carbon equivalent shall be taken to calculate the quota for HFCs. Based on the evidence on record, it is seen that at present the 65% of the HCFCs baseline has not been taken into consideration for calculation of quota for HFC products.

114. The Authority further notes that individual producers, upon receipt of their respective quota allocations, retain the discretion to internally allocate and utilise such quota amongst different HFC products manufactured by them, based on their own commercial considerations and market assessment. Accordingly, a producer's decision to allocate a greater or lesser proportion of its quota towards the production of the subject goods, as opposed to other HFC products, remains entirely within its own discretion and is not constrained by the phase-down

commitment as such. The domestic industry has provided evidence to show that the production capacities with the producers are fungible.

115. In the light of the discretionary nature of quota allocation and the fungibility of production capacities, the Authority considers that the total installed capacity for HFCs available with producers in China PR and not merely the capacity dedicated to the subject goods or the production quota alone are of relevance for the purposes of examining the likelihood of injury in the event of cessation of the anti-dumping duty.

116. The table below shows the information on capacity and demand from China as provided by the domestic industry.

SN	Particulars	UOM	Methodology	Data
1	Capacity	MT	A	505,500
2	Demand	MT	B	185,000
3	Surplus capacities	MT	C= A-B	320,500
4	Demand in India	MT	D	***
5	Surplus capacity as % of demand in India	%	E = C/D	***

Capacity and demand taken as per the capacity and demand in 2023 in China

117. The Authority examined the questionnaire responses filed by the cooperating exporters. The information on surplus capacities, as per the response of the participating producers, has been examined and is shown below.

SN	Particulars	UOM	Information by Shandong	Information by Zibo	Information by Fujian Qingliu
1	Capacity (PUC+NPUC)	MT	***	***	***
2	Production (PUC+NPUC)	MT	***	***	***
3	Idle capacity (PUC+NPUC)	MT	***	***	***
4	Idle capacity	%	***	***	***

118. It is seen that the export orientation of the responding Chinese producers alone is significant when compared with the demand in India. It is also noted in this regard that production facilities for different kinds of HFCs is fungible. There are more than 50 producers of HFCs in China. More than 10 producers of producers of the products under consideration has been identified by the domestic industry. These producers are holding production capacities which can produce the PUC and other kinds of HFCs products

119. It is seen that the capacities in China are significantly more than the demand in that country. The surplus capacity in China is more than *** % of the demand in the Indian market.

d. Export orientation of the producers in China

120. The table below shows the information on capacity and exports from China.

SN	Particulars	UOM	Methodology	Data
1	Capacity	MT	A	505,500
2	Exports in POI	MT	B	55,985
3	Export orientation	%	C= B/A	11.08%

121. It is seen that the export orientation is low as the production quota has not been released completely for the product under consideration and therefore exports from China have declined. The domestic industry has submitted that the Government of China did not release the entire quota in the year 2024-2025 and the surplus available export quota of R32 of around 2,50,000 MT.

122. The Authority has additionally analysed the information on export orientation as per the response of the participating producers and is shown below. The information has been examined for the POI.

For the POI

SN	Particulars	UOM	Shandong	Zibo	Fujian Qingliu	Total
1	Production PUC	MT	***	***	***	1,07,889
2	Total exports PUC	MT	***	***	***	22,494

123. It is seen that the export orientation of the responding Chinese producers alone is significant when compared with the demand in India. It is also noted in this regard that production facilities for different kinds of HFCs is fungible. There are more than 50 producers of HFCs in China. More than 10 producers of producers of the products under consideration has been identified by the domestic industry. These producers are holding production capacities which can produce the PUC and other kinds of HFCs products

e. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports;

124. The table below shows information on the cost of sales and selling price of the domestic industry and the landed price of imports.

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	111	119	102
3	Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	106	95	120
5	Landed Price (excluding ADD)	₹/MT	2,54,242	2,11,430	2,01,098	2,74,273
6	Trend	Indexed	100	83	79	108
7	Landed Price (including ADD)	₹/MT	342,422	306,271	299,019	374,222
8	Trend	Indexed	100	91	89	110

125. It is seen that the landed price of imports had a suppressing effect on the prices of the domestic industry in 2022-23 and depressing effect in 2023-24 as the landed price was below the selling price of the domestic industry. These were the period when the producers in China exported in significant volume to reach their production quota in view of the fact that this was the final year of the production baseline in the Kigali Amendment to the Montreal Protocol.

126. The landed price of imports would have had adverse effect on the prices of the domestic industry in the POI as well. However, as the Government of China did not release the full quota, the prices increased. Had the anti-dumping duty not been in place, the landed price would have had a suppressing and depressing effect on the domestic industry prices.

f. Trade remedial measures by other countries

127. The domestic industry has provided information on trade remedial measures imposed by various jurisdictions on the exports of different forms of HFCs. The table below shows the information provided.

SN	Jurisdiction	Date of Imposition order	Duty
A	R-125		
1	USA	ADD OI – March 2022	OI – 277.95% – 278.95%
B	R-32		
2	USA	ADD OI - March 2021	OI – 161.49% - 221.06%
		CVD OI – March 2022	
3	India	ADD OI – December 2021	OI – 1171.78 US\$/MT – 1519.70 US\$/MT
C	HFC Blends		
4	USA	(i) ADD OI – August 2016	OI – 101.82%-216.37%

		(ii) SSR – October 2021	SSR – Duty continued
5	Argentina	ADD OI – August 2020	OI – 23%
6	India	ADD OI – December 2021	OI – 1553.45 US\$/MT – 2250.56 US\$/MT
D	R-134a		
7	India	(i) ADD OI – July 2011	OI – 1.15 US\$/KG– 1.41\$/KG
		(ii) SSR – December 2016	SSR – 1.29 US\$/Kg – 3.24 US\$/Kg
8	USA	(i) ADD OI – April 2017	OI – 148.79% - 167.02%
		(ii) ADD Sunset – July 2022	SSR – Duty continued
9	India	ADD OI - December 2025	OI – 4423 US\$/MT – 4583 US\$/MT (Reference price)

128. It has been claimed by the interested parties that references to trade remedial measures by other jurisdictions are immaterial to the present investigation. However, the Authority considers that the measures imposed by the other jurisdictions highlight the price behaviour of the producers in the subject country and are important to examine the likelihood of dumping and injury to the domestic industry.

129. It is observed that producers in China have been subject to various trade remedial measures in the form of anti-dumping and countervailing measures in other jurisdictions.

g. Third countries export below normal value.

130. The table below shows the exports made to third countries and the volume of exports below normal value. The exports from China have been considered based on TradeMap data.

SN	Particular	Total exports to third countries	Exports below normal value to third countries	Share of exports below normal value
1	Exports from China (MT)	55,985	35,333	63%

131. It is observed that a significant share of third-country exports from China are at prices which are below the associated normal value. This is further substantiated by the various trade remedial investigations undertaken in different jurisdictions against the producers from China.

h. Exports to third countries priced below export price to India

132. The Authority has analysed the third country exports to examine if the third country exports are priced below the exports priced to India and whether, on cessation of measures, the producers would have any incentive to divert them to the Indian market. The information provided by the domestic industry based on customs data has been examined. The table below summarises the position.

SN	Particular	Total exports to third countries	Exports to other countries below price in India	Share of exports to other countries below price in India
1	Exports from China (MT)	55,985	22,385	40%

133. It is observed that 40% of exports from China to third countries were at a price below price in India. Further, this export volume is 40 % of consumption in India. Thus, in the event of cessation of ADD, this volume is likely to be diverted to India in view of better prices that the Chinese producers are likely to get in Indian market.

i. Exports to third countries priced below the non-injurious price.

134. The Authority has analysed the third country exports from China to examine if the third country exports are below the non-injurious price of the domestic industry and if their diversion will be injurious to the domestic industry. The information provided by the domestic industry based on customs data has been examined. The table below summarizes.

SN	Particular	Total exports to third countries	Injurious exports to third countries	Share of injurious exports to third countries
1	Exports from China (MT)	55,985	55,985	100

135. It is seen that 70% of the exports from China to third countries were at prices which are below the non-injurious price for the domestic industry. Thus, this volume can be sold in Indian market at injurious prices in case of cessation of anti-dumping duty.

136. Considering the exports from China to rest of the world, it is thus seen that 39,333 MT exports to third countries was dumped, while 55,985 MT was injurious and 22,385 MT price attractive. It is thus seen that 22,385 MT was dumped, injurious and price attractive. This volume is more than the domestic consumption in India in the POI.

j. Conclusions on likelihood of injury.

137. The following can be seen from the above.

- a. The dumping from China has continued. The continuation of dumping in the current period shows the likelihood of dumping in the event of expiry of measures.
- b. There are a large number of producers (above 50) of the HFC products in China and more than 10 producers of producers of the products under consideration has been identified by the domestic industry. These producers are holding production capacities which can produce the PUC and other kinds of HFCs products.
- c. The government of China did not release the full production quota applicable to HFC gases for 2024-2025. The decline in imports volume in the period of investigation is therefore attributable to an administrative measure that is temporary and reversible at the discretion of the Government of China PR.
- d. On the analysis of the export orientation as per the response of the participating producers, it is observed that 10-30% of the production is exported by the participating producers.
- e. The producers in China have swing capacity for the HFCs products. This implies that individual produces retain the discretion to internally allocate and utilise quota issued by the Government of China amongst different HFC products manufactured by them, based on their own commercial considerations and market assessment.
- f. Government of China retains the discretion to alter the annual quota allocations for different HFC producers. At present, the 65% of the HCFCs baseline as provided in the Kigali Amendment has not been taken into consideration for calculation of quota for HFC products.
- g. The total surplus capacities after considering the domestic demand available with the producers from China PR is 4,13,500 MT. This is around 20 times the demand in India.
- h. The participating producers are operating with idle capacities and the cumulative idle capacity for the participating producers from subject country is more than the demand in the domestic Indian market.
- i. The capacity in China is significantly more than the demand in that country and the surplus capacity available for export quota of R32 of around 2,50,000 MT.
- j. The imports price has increased during the period of investigation. Despite increase in import price, it is below the selling price and non injurious price of the domestic industry.
- k. A significant share of third-country exports from China are at prices which are below the associated normal value which gets substantiated by the fact that various jurisdictions have imposed trade remedial measures on these exports.
- l. 40% of exports from China to third countries were at a price below price in India. Further, this export volume is 40 % of consumption in India. Thus, in the event of cessation of ADD, this volume is likely to be diverted to India in view of better prices that the Chinese producers are likely to get in Indian market.
- m. 70% of the exports from China to third countries were at price which are below the non-injurious price for the domestic industry. Thus, this volume can be sold in Indian market at injurious prices in case of cessation of anti-dumping duty.

- n. 39,333 MT exports to third countries was dumped, while 22,373 MT was injurious and 39,333 MT was price attractive. It is thus seen that 22,373 MT was dumped, injurious and price attractive. This volume is more than the domestic consumption in India in the period of investigation.

I. NON-ATTRIBUTION AND CAUSAL LINK

138. As per the Rules, the Authority is required to, inter alia, examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a. **Volume and price of imports from third countries.**

139. The Authority notes that apart from the subject country, imports have entered the domestic market from United Arab Emirates and the United States of America in the POI. The import from the United Arab Emirates is above the *de minimis* level and the import from USA is below the *de-minimis* level. The landed price of imports from United Arab Emirates is much above the price at which imports from the subject country are being imported into the domestic market and is above the cost and price of the domestic industry and therefore could not have caused injury to the domestic industry.

b. **Contraction of demand.**

140. Demand for the product under consideration has increased during the entire injury period. Therefore, any injury to the domestic industry could not have been attributed to contraction in demand.

c. **Changes in pattern of consumption.**

141. The Authority notes that there has been no material change in the pattern of consumption of the production under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d. **Trade restrictive practices.**

142. The Authority notes that no trade restrictive practices have been brought to its notice, that could have caused injury to the domestic industry.

e. **Developments in technology.**

143. The Authority notes that there has been no known material change in the technology for production of the product under consideration.

f. **Export performance.**

144. The Authority notes that the injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of the domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

g. **Performance of other products.**

145. The Authority has considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of injury to the domestic industry.

h. **Conclusion on likelihood of injury and causal link**

146. The Authority considers that the following factors establish that there is a likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry in event of expiry of measures.
- The dumping margin in the present investigation is found to be positive.
 - The producers from China PR have exported various HFCs to other countries at dumped prices.
 - The producers in subject country have surplus capacities and the capacities are much higher than the demand in the countries.
 - The volume of dumped, injurious and price attractive exports to third countries is more than the domestic consumption in India in the period of investigation. Thus, the Chinese producers are capable of taking away entire Indian demand in a very short period in case of cessation of ADD.
 - While the product under consideration is subject to quota and the producers cannot produce more than the quota, Chinese administrative Authority decides the quota for overall HFCs and the quota for a particular

- HFC product can be altered.
- f. Producers in China have substantial exports in the third country market which are priced below the export price to India and the non-injurious price.
 - g. There is a likelihood of increase in the exports to India. In case of cessation of anti-dumping duty, all the increased demand of the product under consideration will be taken away by the Chinese exporters.
 - h. India continues to remain an attractive market for the Chinese exporters.
 - i. For India, 2024-2026 is extremely crucial years as the average of production and consumption of these years will be taken as baseline.
 - j. The price undercutting is significantly positive.
 - k. The landed price of imports is below the cost of domestic industry and therefore, the imports are likely to suppress/depress the prices of the domestic industry.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN.

K.1 Non-injurious price

147. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the POI. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses are charged to the cost of production. A reasonable return @22% on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the subject goods was followed towards interest, tax and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.

K.2 Landed price

148. Landed price for the cooperating exporters has been determined based on the response filed. Applicable customs duties have been added to determine landed price of imports. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject country, the Authority has determined the landed price based on facts available.

K.3 Injury margin

149. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters for the subject country has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

SN	Producer/exporter	NIP	Landed	Injury margin		
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
1	M/s Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	Negative
2	Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd	***	***	***	***	0-10%
3	Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co., Ltd	***	***	***	***	Negative
4	All other producers/exporters	***	***	***	***	20-30%

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST**K.1 Submission by opposing interested parties**

150. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
- i. Imposition of anti-dumping duty will severely impact the businesses of downstream users.
 - ii. The subject goods are subject to regulatory control and licensing under the environmental framework. Therefore, concerns regarding uncontrolled import surges are unfounded.
 - iii. Continuation of duty would reduce supply options, limits competition and create upward price pressure in the market. This would adversely affect SMEs engaged in refrigeration servicing, gas trading, and downstream blending activities.
 - iv. The situation of unfair competition would be promoted as the importers/users are not in a situation to import the subject goods freely.
 - v. If the Authority decides to continue the duties, the price of PUC will increase, and it will severely impact the businesses of the downstream users.
 - vi. China has made considerable investments in technology and innovation, which leads to more advanced production processes and higher-quality products than offered by Indian market, which makes it more attractive than the other products available in the market.
 - vii. The Refrigerant and Air Conditioning sector is highly price-sensitive and dependent on reliable supply of refrigerants to meet manufacturing schedules, warranty obligations and servicing requirements.
 - viii. The continuation of anti-dumping duty on the PUC would gravely undermine the interest of the producers of air conditioner (AC) components, which forms a cornerstone of the Production Linked Incentive Scheme for White Goods (PLIWG).
 - ix. The users of the subject goods are already facing a non-trade barrier in order to import the subject goods.

K.2 Submission by domestic industry.

151. The applicants have made the following submissions with regard to Indian industry's interest
- i. The anti-dumping duty was levied in 2021 and any impact of anti-dumping duty on the downstream product would have already been happened. However, the continuous increase in demand for the subject goods indicates that the effect of the anti-dumping duty on downstream producers has been minimal.
 - ii. The Authority has, in the past, conducted investigations and issued positive findings in several cases where the product under consideration was classified as 'Restricted' under the import policy or where imports were permitted only through licences/authorisations.
 - iii. The interested party has stopped purchasing the subject goods from China and started sourcing from UAE. Therefore, comments on more advanced production process and better quality of products, which led to preference of Chinese products is not sustainable.
 - iv. The domestic Refrigerant Importers Association is not fully representative of its members. Out of the total number of importers of the product under consideration, only Gupta Oxygen Private Limited has participated in the present investigation. Kiro Refrigerants Private Limited, the largest importer of the product under consideration during the POI, has not participated in the present investigation.
 - v. MPCL has not filed an importer or user questionnaire response as per the requirements of trade notice 07/2021. The response is required from an importer so to enable the Authority to get the information which is deemed necessary in accordance with Rule 6(4) and 6(5) of the AD Rules.
 - vi. MPCL has also not made any submissions during the oral hearing. Therefore, MPCL must be considered as a non-cooperative party.
 - vii. Gupta Oxygen, as per its own admission, has not purchased the subject goods from China PR and sourced the subject goods from UAE. Thus, Gupta Oxygen does not fall under any category of interested party under Rule 2(c) of the AD Rules and hence should not be considered as interested party in the present investigation.
 - viii. The impact of anti-dumping duty is Rs 122, which is 0.31%, for an AC that comes in the price band of Rs 40,000. With respect to Refrigerator, the impact is Rs 136, which is 0.68%, per refrigerator that comes in the price band of 20,000 and the impact of anti-dumping is Rs136, which is 0.14%, for a heat pump that come in the range of 1,50,000.

- ix. HFC-32 is used in production of HFC blends. Since HFC blends is attracting anti-dumping measures and will easily pass on the increase in the cost to the end customer. The share of HFC 32 in the overall cost of the ultimate consumer will be miniscule. The demand of the product under consideration is inelastic of the price. The price of the product increased in the POI and demand also increased. This evidence that the downstream industry capacity to absorb the price increase is significantly higher than the minimal price increase.
- x. The demand of the product under consideration is inelastic of the price. The price of the product increased in the POI and demand also increased. This evidence that the downstream industry capacity to absorb the price increase is significantly higher than the minimal price increase due to continuation of anti-dumping duty.
- xi. The import price of subject goods from UAE and USA is substantially higher than the import price from subject country. If the importers/users are purchasing the subject goods from these countries at a high price and still surviving in the domestic market, the importers/users can survive the price increase for the imports from China PR.
- xii. The importers of the subject goods are merely traders. The business model of these traders is such that any increase in procurement cost can be easily passed on to their customers.
- xiii. The domestic industry has the capacity to cater to the entire demand in India even after meeting their own captive requirements. In fact, at present the domestic industry has higher capacity than the demand. Any imports coming to India is unnecessary addition to trade deficit.
- xiv. Public interest does not limit itself to consumer industry's interest alone and is a much wider term, which covers in its ambit the interest of the domestic industry and the ultimate public at large.
- xv. The continuation of the anti-dumping duties is essential to ensure a level playing field in the Indian market to ensure the viability of domestic production in the domestic market and prevent India from becoming solely import reliant on the product.
- xvi. It is in the interest of the public at large to have a strong, competitive domestic production of the product. Encouraging domestic manufacturing activities is essential to make India the manufacturing powerhouse it aims to become.
- xvii. In the domestic market, there are two other domestic producers namely Navin Fluorine International Limited and Gujarat Fluorochemicals Limited. The imports have also started coming from UAE during the POI. This implies that the importers have multiple options to source the product and that the domestic industry will be required to compete with other producers as well as imports from other countries.
- xviii. The producers in the subject country will only operate with the objective of maximization of their revenue and has no stake and interest in long term development of the Indian market or consumers in India.

K.3 Examination by the Authority

- 152. The Authority considered whether continued imposition of anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of the participating interested parties.
- 153. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the anti-dumping duty on the consumers, the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the continuation of the anti-dumping duty.
- 154. It is noted that the purpose of anti-dumping measures, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Authority recognizes that the imposition of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product under consideration as well as other downstream products manufactured by using the subject goods in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, the imposition of anti-dumping measures would prevent the decline in the performance parameters of the domestic industry caused as a consequence of low-priced imports from the subject country and help maintain the wider availability of choices to the consumers of the product under consideration.

155. The Authority had circulated a user/importer questionnaire to all registered users/importers in this investigation. All the registered users/importers, namely Gupta Oxygen Private Limited and Domestic Refrigerant Importers Association have filed this user/importer questionnaire with the Authority. The Authority also prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all registered interested parties to this investigation. Of the registered interested parties to this investigation, the domestic industry, M/s Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd, Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd., Gupta Oxygen Private Limited and Domestic Refrigerant Importers Association have filed this economic interest questionnaire with the Authority.
156. The domestic industry has quantified the impact of anti-dumping duty on the downstream product, details of which are provided in the table below:

SN	Particulars	Unit	AC	Refrigerator	Heat Pump System
1	Average price of the product	Rs.	40,000	20,000	1,50,000
2	Consumption per unit	Kg	0.9	1	1.5
3	ADD in force	\$/Kg	1.6	1.6	1.6
4	Ex Rate	\$ to Rs	85	85	85
5	ADD	Rs/Kg	136	136	136
6	Impact on price	Rs/Kg	122.4	136	204
7	Impact on end product price	%	0.31%	0.68%	0.14%

157. The Authority notes that there will be negligible impact of imposition of anti-dumping duty on the prices of the downstream industry.
158. The Authority further notes that the continuation of anti-dumping duty will not lead to scarcity of the subject goods in India. It is noted that anti-dumping duty does not restrict imports but ensures that imports are available at fair prices. The continuation of duty would, therefore, not affect the availability of the product. In any case, the capacity of the domestic industry is more than the demand in India, thereby ensuring that there remains sufficient supply in the country. There are two other domestic producers, as well as imports from the United Arab Emirates and the United States of America, supplying the product under consideration in the Indian market.
159. On the comments of the interested parties that the continuation of anti-dumping duty on the PUC would gravely undermine the interest of the producers of air conditioner (AC) components which forms a cornerstone of the Production Linked Incentive Scheme for White Goods (PLISWG), the Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is to remedy the injury caused to the domestic industry by dumped imports and to restore conditions of fair competition, and not to restrict legitimate imports or provide protection beyond what is necessary to address dumping. Further, the existence of the PLISWG does not imply that inputs required by downstream industries must necessarily be made available at dumped prices. The interests of the downstream industry are required to be balanced against the need to ensure fair market conditions and to prevent injury to the domestic industry. In the present case, the interested parties have not demonstrated that the anti-dumping duty constitutes a significant proportion of the cost of production of air conditioners/components, nor have they quantified the alleged impact of the duty on their production costs, profitability, competitiveness or eligibility under the PLISWG. Accordingly, the Authority does not find sufficient basis to conclude that continuation of the anti-dumping duty would gravely undermine the objectives of the PLISWG or the interests of the downstream industry.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

160. In accordance with Rule 16 of the Rules, the Authority issued a disclosure statement dated 9th September 2026, disclosing the essential facts under consideration, and granted time to all the interested parties to furnish comments on the same. The Authority has examined all the post disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which has already been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

L1 Submissions of other interested parties

161. The following comments were submitted on behalf of other interested parties on the essential facts disclosed by the Authority:

- i. Fujian Qingliu and its related trader Zhejiang Sanmei have provided complete questionnaire response, and its dumping margin and injury margin should be determined based on the response.
- ii. The domestic industry has improved in terms of key volume parameters. In a sunset review, where the issue is likelihood of recurrence of injury, such improvement is highly relevant and cannot be brushed aside.
- iii. Indian import policy for the PUC to make the product restricted, significant decline in imports of the PUC, binding international commitments under the Montreal Protocol and decline in Capacity of producers/exporters prove that there is no likelihood of injury.
- iv. The Authority's reliance on a consistent practice of adopting 22% ROCE does not, by itself, establish that such return constitutes a "reasonable return" under Annexure III. Annexure III does not prescribe a fixed rate of 22%, and the Authority has not demonstrated that the Domestic Industry could reasonably have earned such return under normal, non-dumping conditions during the relevant period.
- v. DRIA has participated and fully cooperated as an association in the subject investigation
- vi. GOPL, one of the members of DRIA has also filed its user questionnaire response, economic interest questionnaire, written submissions and rejoinder submissions.
- vii. The domestic industry has not provided post-POI evidence demonstrating any likely recurrence of injury or dumping, which is essential for such an assessment
- viii. Maintaining duties would undermine public interest by increasing costs in the air-conditioning sector, which is linked to India's Production Linked Incentive Scheme for White Goods. Since R-32 is a key component of important refrigerant blends, additional trade restrictions could hinder domestic manufacturing and policy objectives.

L2 Submissions of the domestic industry

162. The following comments were submitted by the domestic industry with regard to the disclosure statement:

- i. There is decline in demand of HFCs in countries like USA and European Union. The manufacturers and end-users in the U.S. and EU are increasingly transitioning away from HFCs, including HFC-32 to comply with evolving refrigerant norms.
- ii. While China has made efforts in setting up policies and plans to phase put HFCs in consonance with the Kigali Amendment, implementation of the same is a task much harder than what meets the eye.
- iii. As a developing country, China's HFCs are produced and used in large quantities and varieties, involving many industry enterprises and long industrial chains thereby making the implementation of the Kigali Amendment a huge challenge.
- iv. At present, there are more than 50 HFCs manufacturers in China, with a production capacity of more than 1.7 million tons, distributed in more than 10 provinces, and the reduction of HFCs is directly related to the employment of a multitude of people.
- v. With the expiry of measures, the import prices are likely to cause suppressing/depressing effect on the prices of the domestic industry. This will result in complete erosion of profitability, cash losses and negative return on investment of the capital employed. Thus, if the subject imports are allowed to enter the Indian market at dumped prices, such imports are likely to cause material injury to the domestic industry.
- vi. Since India falls under Group II country of Article 5 of Kigali Amendment, the baseline year for average Indian production and consumption of HFCs will be 2024, 2025 and 2026. Therefore, it is extremely crucial years for India to utilise the optimum capacity to establish the production baseline.
- vii. Likelihood analysis is required to be undertaken for all the subject country as a whole and not just for a particular producer. Only 3 producers from China PR have participated from more than 10 producers of the subject goods in the subject country.
- viii. Extension of duty for a period of 5 years is of utmost necessity, particularly in view of the continued fragility of the domestic industry and the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of the existing duties.
- ix. Re-quantification of duty is not mandatory. Plain reading of law and global practice makes it evident that the scope of sunset review is mere extension of existing duty, and not re-quantification of duty.
- x. Re-quantification of duty is not the focus of a sunset review. A harmonious reading of Article 11.3 of WTO Agreement and Section 9A (5) read with Rule 23(1B) makes it evident that the Authority is required

only to extend the period and that the quantum of duties need not be re-quantified in a sunset review.

L3 Examination by the Authority

163. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that most of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
164. On the submission that the domestic industry has improved in key volume parameters, the Authority notes that the improvement in key volume parameters during the injury period is attributable to ADD earlier imposed, increase in demand of the product and the baseline period for production for India. The key price parameters of the domestic industry were adverse until 2023-2024 despite the anti-dumping duty in force. These parameters improved only in the period of investigation. Thus, the Authority holds that the overall trend in the domestic industry's performance across the injury period demonstrates that the domestic industry remains vulnerable to injury on account of dumped imports from the subject country.
165. With regard to comments of the interested parties on improvement in performance as compared to the original investigation, the Authority considers that improvement in performance of the industry is a consequence of anti-dumping duty in force, and establishes that the domestic industry earlier suffered injury due to dumped imports in India. The key price parameters of the domestic industry were adverse until 2023-2024 despite the anti-dumping duty in force. These parameters improved only in the period of investigation. The Authority also notes that the requirement of an original investigation is different from the sunset review investigation. It is also noted that the requirement in a sunset review investigation is to prove that the expiry of the duty is likely to lead to continuation of dumping and injury to the domestic industry. With respect to the injury determination, if the anti-dumping duty has had the desired effect, the condition of the domestic industry would be expected to have improved during the period the anti-dumping duty was in effect. The Authority draws reference to the decision of CESTAT in the case of Kalyani Steel Limited vs Designated Authority 2006 (203) ELT418 (Tri – Delhi) reproduced below.
- “15.1 Any one or more factors may sufficiently demonstrate injury to domestic industry. Decisive injury demonstrated by adverse effect of dumped imports on price would not be brushed aside by counting some marginal improvements of economic factors and indices on the state of industry due to imposition of the anti-dumping duty.”*
166. With regards to the comments that the Fujian Qingliu and its related trader Zhejiang Sanmei have provided complete questionnaire response and thus should be given individual margin, the same has been examined, and individual dumping margin has been determined in the present final findings.
167. With regards to the comments of the interested parties that the reliance on a consistent practice of adopting 22% ROCE does not itself establish that such return is “reasonable return”. The Authority notes that the interested parties has not put to record any verifiable evidence that how adopting 22% ROCE is unreasonable and how adopting different return would be reasonable and justified.
168. With regards to the comments of the interested parties on analysis of post-period of investigation data, the Authority notes that while the enquiry in the sunset review investigation review investigation is prospective, but, the twelve-month period of investigation together with the three preceding years affords a sufficient basis for such enquiry.
169. With regards to the comments of the interested parties on the downstream products in air-conditioning sector, which is linked to India's Production Linked Incentive Scheme for White Goods, the Authority has undertaken the quantification of impact of continuation of duty on the downstream product. It is seen the impact is miniscule. R-32 is a key component of important refrigerant blends, a healthy and vibrant industry is essential for the downstream industry.

M. CONCLUSION

170. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made, and the facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping, injury, and the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- i. The present sunset review investigation was initiated under Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules to examine whether the expiry of the anti-dumping duty in force on imports of Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32 is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

- ii. SRF Limited was the sole producer of the product under consideration in India throughout the injury period and constitutes the “Domestic Industry” within the meaning of Rule 2(b) of the Rules.
 - iii. Subsequent to the POI, two entities, Gujarat Fluorochemicals Limited, with the capacity of 10,000 MT and Navin Fluorine International Limited with the capacity of 9,000 MT, have also commenced production of the product under consideration. Gujarat Fluorochemicals Limited has supported continuation of the present measure. The installed capacity in India are now sufficient to cater to the present and potential demand for the product in the Country.
 - iv. None of the participating producers/exporters from China PR having rebutted the presumption of non-market economy status of China.
 - v. The normal value has been constructed under Para 7 of Annexure I on the basis of the CIF export price from the United Arab Emirates to India, a non-subject country with significant import volume into India and no anti-dumping measure in force. The export price has duly been adjusted to arrive at the ex-factory level.
 - vi. Price undercutting by imports of the product under consideration from China PR is positive and significant, in the range of 20-30%, and persists even in the POI.
 - vii. The landed price of imports increased in the period of investigation on account of the temporary reduction in supply from China PR. However, despite that, the landed price of imports was below the cost of sales of the domestic industry.
 - viii. The domestic industry was in profit during the base year. The profits declined in the subsequent year and in 2023-2024, the domestic industry turned into losses. The domestic industry however was able to earn reasonable profits in the POI once again with the increase in import price.
 - ix. China PR possesses substantial freely disposable production capacity of 413,500 MT for various HFCs. The capacities with the producers in China are interchangeable.
 - x. The volume of exports from China to various third countries, which is at dumped price, injurious and price attractive is more than demand for the product in India. Thus, the Chinese producers could divert their third countries exports to India to the extent of entire Indian demand and earn higher revenue as compared to what was earned by them in exporting to third countries in the absence of ADD measures. Thus, cessation of the present duty is likely to motivate the Chinese producers to divert their third countries exports to India in order to increase their revenue.
 - xi. The cumulative idle capacity of the participating Chinese producers alone exceeds the entire demand for the product under consideration in India. The low volume of export to India in the period of investigation is attributable to the temporary withholding of production quota by the Government of China PR.
 - xii. A significant proportion of exports of the product under consideration by China PR to third countries during the period of investigation were priced below normal value and below the price at which the product under consideration was exported to India. Further, entirety of such third-country exports were priced below the non-injurious price of the domestic industry.
 - xiii. Chinese producers of the product under consideration and other HFC products have been subjected to anti-dumping and/or countervailing measures by various other jurisdictions (USA and Argentina). This shows consistent pattern of injurious export pricing by Chinese HFC producers across jurisdictions and reinforces the likelihood of dumping and injury upon cessation of the duty in force.
 - xiv. Continuation of the anti-dumping duty is not against the interest of the Indian consumers or the wider public interest.
 - xv. The impact of continuation of the duty on downstream products (air conditioners, refrigerants and heat pump systems) is negligible and in the range of 0.14%-0.68% of the price of the end product.
 - xvi. Domestic industry, together with the two other domestic producers have adequate capacity to ensure availability of the product under consideration in the Indian market.
171. Having regard to the above, the Authority concludes that dumping of the product under consideration by China PR has continued during the POI despite the anti-dumping duty in force, that the performance of the domestic industry remains vulnerable to injury, and that cessation of the anti-dumping duty presently in force is likely to lead to dumping and consequent injury to the domestic industry.

N. **RECOMMENDATION**

172. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of continuation / recurrence of dumping and injury in the event of cessation of duties. Having concluded that there is likelihood of recurrence of dumping and injury to the domestic industry if the anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that continued imposition of measures is necessary on imports of the product under consideration from the subject country.
173. The fact that Authority has recommended continuation of measures based on likelihood of injury in the review investigation, the Authority considers that it would not be appropriate to re-quantify the margins. The Authority considers it appropriate to recommend continuation of definitive antidumping duty imposed vide Notification No. 75/2021-Customs (ADD) dated 21st December 2021 for a period of 5 years and as amended by Notification No. 22/2025-Customs (ADD) dated 15th July 2025. The duties are required to be continued except in respect of those producer exporters who had participated in the original investigation but have not participated in the current sunset review investigation. Those non-cooperating producer exporters in this sunset review investigation have been accorded residual duty.
174. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, antidumping duty equal to the amount indicated in Column (7) of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the product under consideration, from the subject country for a further period of five (5) years.

DUTY TABLE

SN	Heading/ sub- heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer/ exporter	Amount (USD)	Unit	Currency.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29034200	Hydrofluorocarbon Component R-32	China PR	Any country including China PR	Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd.	1,255.05	MT	US\$
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd.	1,171.78	MT	US\$
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co., Ltd	1,344.60	MT	US\$
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other than S. No. 1 to 3	1,519.70	MT	US\$
5	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	1,519.70	MT	US\$

**Note-Customs classification is only indicative, and the determination of anti- dumping duty shall be made as per the description of the PUC*

175. The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above duty table shall be conditional upon presentation to the customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

'I, the undersigned, certify that the (volume) of Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32 sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in China PR. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.'

176. If no such invoice is presented, the duty applicable to all other rates shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

O. FURTHER PROCEDURE

177. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act / Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority